छत्तीसगढ़ विधान सभा

गुरूवार, दिनांक 14 फरवरी, 2019

(माघ 25, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर</u>

श्री अजय चन्द्राकर :- मापननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन से विधान सभा शुरू हुई है । उस दिन से आज तक ट्रेजरी बेंच की उपस्थिति सबसे कम है । इन लोगों का शौक 3 दिनों में ही खत्म हो गया । कोई निर्णय इनके पक्ष में नहीं हो रहा है, सब निराश, हताश हैं, विधान सभा से चले गए हैं । देख लीजिए सबसे कम उपस्थिति ट्रेजरी बेंच में है । 4 दिन में उपस्थिति कम हो गई है, निराशा का वातावरण है, किसी का कोई काम नहीं हो रहा है, उसी तरह चार ही दिनों में जनता भी निराश हो गई है ।

अध्यक्ष महोदय :- अरूण जी प्रश्न करें ।

कृषकों को वितरण हेतु हाईब्रिड बीज की उपलब्धता

1. (*क्र. 539) श्री अरूण वोरा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 20 जनवरी 2019 की स्थिति में कृषकों को वितरण हेतु कौन-कौन से किस्म के हाईब्रिड बीज कितनी-कितनी मात्रा में कहां-कहां उपलब्ध हैं ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) क्या इन बीजों की प्रमाणिकता की जांच करवाई गई है ? यदि हां तो किस-किस के द्वारा कहां-कहां की गई एवं बीजों में कितने प्रतिशत उत्पादकता पाई गई है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) प्रश्नांकित तिथि की स्थिति में कृषकों को वितरण हेतु किसी भी फसल व किस्म का हाईब्रिड बीज उपलब्ध नहीं है. (ख) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है.

श्री अरूण वोरा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे विद्वान मंत्री ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जब प्रश्न करते हो तो, किसने प्रश्न बनाकर दिया उसको भी बताया करो (हंसी) सीधे प्रश्न में मत आया करो ।

श्री अरूण वोरा :- आज सच बता दूं । जहां से आप बनवाते हो ना, वहीं से मैं बनवाता हूं । लेकिन मैं उत्तेजित नहीं होता और आप उत्तेजित हो जाते हैं । आपको अंगूठी पहनना चाहिए, पूजा पाठ कराने की जरूरत है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस खरीफ वर्ष में कृषकों को वितरण हेतु कौन कौन से हाइब्रिड बीज कितनी-कितनी मात्रा में, कहां-कहां उपलब्ध कराए गए ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो अरूण जी को बधाई । किसानों के बारे में आपने प्रश्न किया । दूसरी, आपने जो पूछा था कि हाइब्रिड बीज और तारीख, तो उस तारीख में तो लगभग समाप्त था । अब आप पूरे प्रदेश का पूछ रहे हैं या जिले का पूछ रहे हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट कर दें तो मैं बताऊं ।

श्री अरूण वोरा :- पूरे प्रदेश का ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वो लिखकर ही नहीं दिए हैं तो कहां से स्पष्ट करेंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, पिछली विधान सभा के पहले एक किसान नेता यहां बैठते थे, राजकमल सिंघानिया जी । आज वो तमगा आपने अरूण वोरा जी को दे दिया है क्या, किसान नेता का ?

श्री अजय चन्द्राकर :- गुरूमुख सिंह जी बैठते थे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, गुरूमुख सिंह नहीं, राजकमल सिंघानिया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जब आप नहीं थे तो जय सिंह अग्रवाल जी को भी मैं किसान नेता कहता था और गुरूमुख सिंह जी को भी मैं किसान नेता कहता था ।

श्री अरूण वोरा :- अध्यक्ष महोदय, मैं पिछली विधान सभा में भी अध्यक्ष महोदय से संरक्षण चाहता था और इस विधान सभा में भी चाहता हूं । जब भी मैं खड़ा होता हूं तो पता नहीं, चन्द्राकर जी को क्या हो जाता है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए आप अपना पूरक प्रश्न करें ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, माननीय वोरा जी ने हाइब्रिड बीज और वितरणके संबंध में प्रश्न किया है । बीज निगम के द्वारा 5 लाख, 79 हजार 479 क्विंटल भंडारण किया गया था और 5 लाख, 49 हजार 849 क्विंटल वितरण किया गया है ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय मंत्री जी, जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जन घोषणा पत्र में नरवा, गरवा, घुरवा के साथ बाड़ी को सरकार की प्राथमिकता में लिया है, क्या इसे भी शामिल किया गया है? प्रदेश में किसी भी जिले में बीज उपलब्ध नहीं है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- जिस तारीख के बारे में आपने पूछा था, उस तारीख को खरीफ और रबी का सोइंग का सीजन समाप्त हो गया था इसलिए उस तारीख को बीज उपलब्ध नहीं है ऐसी जानकारी दी गई । आपने हमारे मुख्यमंत्री जी की नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी से इसे जोड़ते हुए प्रश्न किया है तो यह बाड़ी से हार्टीकल्चर के बीज सप्लाई का संबंध सीधा है । आने वो समय में जब हम लोग बाड़ी के विकास के बारे में योजना बनाएंगे तो हार्टीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा जो उनको सीड दिया जाता है, सब्जी का बीज दिया जाता है, इस प्रकार के किट दिए जाते हैं उसके बारे में सुविचारित नीति बनाई जाएगी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- खरीफ और रबी का अंतर भी समझा दीजिए ना ।

श्री अरूण वोरा :- वह मैं सब समझता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बीज खरीदी की क्या प्रक्रिया है ? क्या वितरण के बाद उत्पादकता की जांच का प्रावधान है या बीजों की प्रमाणिकता की जांच हेतु प्रदेश में कुछ कितने संस्थान हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- चौथी बार निर्वाचित माननीय सदस्य हैं। पूरा प्रश्न लिखकर ही पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि किसने लिखकर दिया है ? वे चौथी बार निर्वाचित हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, बीज खरीदी की निश्चित प्रक्रिया है। बीज निगम में रजिस्ट्रेशन होता है। किसानों का भी, सहकारी समितियों का भी और उसके द्वारा बीज प्रक्रिया केन्द्रों के माध्यम से बीच कलेक्ट किया जाता है। फिर वितरण एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसका टार्गेट तय करता हे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डिमांड तय करता है। उसके बाद बीज निगम के द्वारा सप्लाई होती है और जब इतना प्रश्न आपने कर लिया जो यह भी जानकारी होनी चाहिए कि प्राइमरी सोसाइटियों के माध्यम से किसानों को बीज दिया जाता है, विक्रय किया जाता है। इसको समझ लीजिए । बीज प्रक्षेत्रों के माध्यम से वितरण किया जाता है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी किसानों को बीज वितरित करता है। जहां तक आपने गुणवत्ता की बात कही तो बीज की निश्चित रूप से जांच की जाती है। पिछले जिस अवधि का आपका प्रश्न था। हाइब्रिड में धान और मक्का का। मक्का को चेक किया गया था, 3 जगहों के बीज अमानक पाये गये। अमानक का आशय यह है कि उसमें जितना जर्मीनेशन होना चाहिए, उससे थोड़ा कम जर्मीनेशन। क्योंकि तीनों अमानक पाये गये इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। उसके बीज का वितरण रोका गया।

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी का एक विषय आया कि बीज के प्रदाय या जो माननीय अरूण वोरा जी ने पूछा था कि नरवा, घुरवा, बारी के लिए कोई कार्ययोजना बनाएंगे क्या ? तो माननीय

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मंत्री जी ने कहा कि हम उसमें कार्ययोजना बनाएंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि उस विषय में कौन सी कार्ययोजना कब तक बनाएंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- आपकी तो इसमें अलग से चर्चा है न, उसमें यह सब आ जायेगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- यह हमारी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। चुनाव के पूर्व भी हमने इस सूक्ती वाक्य में किसानों के पास जाकर अपनी बात कही थी और अभी भी.......।

श्री अजय चन्द्राकर :- उस समय किसानों के पास जाकर नरवा, घुरवा, बारी नहीं कहा था चूंकि आपने कहा कि कार्ययोजना बनाएंगे इसलिए मैंने पूछा कौन सी कार्ययोजना कब तक बनाएंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- निश्चित रूप से हार्टिकल्चर डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम हैं, उसके अंतर्गत बाड़ी का जो डेवलपमेंट है, उसको जोड़कर हम लोग कार्य योजना बनाएंगे, मैंने यह सब कहा। फिर उसमें हम देंगे न। टार्गेट तय करेंगे, उसमें योजना बनाएंगे, उसमें सब्सिडी कब तक और अभी तो प्रश्न हो रहा है शीघ्र।

अध्यक्ष महोदय :- खेलसाय सिंह जी।

<u>जल संसाधन संभाग सुरजपुर में सिंचाई परियोजनाओं/अधोसंरचनाओं के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि</u>

2. (*क्र. 95) श्री खेलसाय सिंह : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जल संसाधन संभाग सूरजपुर अन्तर्गत विगत पांच वर्षों में कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाओं/अधोसंरचनाओं (जलाशय/एनीकट/स्टापडेम) के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई ? वर्षवार, विकासखण्डवार, स्वीकृत राशि सहित जानकारी देवें ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : जल संसाधन संभाग सूरजपुर अंतर्गत विगत पांच वर्षों में सिंचाई परियोजनाओं/अधोसंरचनाओं के निर्माण हेतु प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति की राशि की वर्षवार व विकासखंडवार जानकारी †[1] संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

श्री खेलसाय सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन संभाग सूरजपुर के अंतर्गत नवगई डायवर्सन, नवागांव एनीकट, टिकरापारा एनीकट और नमना एनीकट है जो प्रेमनगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत हैं और प्रेम नगर विधान सभा क्षेत्र की सिंचाई क्षमता केवल साढ़े सात परशेंट है। बहुत ही कम है। माननीय कृषि मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एनीकट नवागांव और एनीकट टिकरापारा और नमना एनीकट के किनारे क्या सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए बिजली लाइन उपलब्ध करायेंगे, जिससे कि किसानों को आसानी से पानी देने में सुविधा मिल जाये ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

[1] † परिशिष्ट "एक"

श्री रविन्द्र चौबे :- इस सदन के सबसे वरिष्ठतम सदस्य ने न केवल चिंता जाहिर की। सूरजपुर जिले के सिंचाई क्षमता की वृद्धि और उसके संबंध में तीन एनीकट की बात उन्होंने की है। अब एनीकट का विस्तार कैसे किया जा सकेगा ? हाइट की रेसिंग किया जायेगा। पानी की उपलब्धता क्या है, यह तो देखना पड़ेगा लेकिन जैसा आप सुझाव दे रहे हैं, माननीय खेलसाय सिंह जी, उस दिशा में हम पहल भी करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे।

श्री खेलसाय सिंह :- छत्तीसगढ़ शासन के अनुदान मांग बजट 2019-20 के बुक के पृष्ठ 31 में उल्लेखित मांग संख्या 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना मुख्य शीर्ष 7,902 में मद क्रमांक 9 के क्रम संख्या 55, 56, 57 में उल्लेखित क्रमश: बेलटिकरी जलाशय, जिसमें कोरिया जलाशय लिखा हुआ है, दूसरा परसरामपुर जलाशय, जिसमें कोरिया जिला लिखा हुआ है एवं परसाढोला जलाशय में भी कोरिया जिला लिखा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि तीनों जलाशय सूरजपुर जिले के अन्तर्गत आते हैं, उसमें सुधार कर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने की कृपा करेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, त्रुटि हो गई होगी, जिले के विभाजन में सूरजपुर और बैकुन्ठपुर अलग-अलग लिखा गया होगा। लेकिन वर्ष 2019-20 के मद में परसरामपुर जलाशय जिसका आपने जिक्र किया, बेलटिकरी जलाशय सहित लगभग 8 नये काम प्रस्तावित हैं। लगभग 21 करोड़ रूपये के काम प्रस्तावित हैं। इसमें सिंचाई क्षमता लगभग 2, 249 हैक्टेयर है। तो जैसा आप कह रहे हैं, अभी बजट आवंटन में किया गया है, उसकी प्रशासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन जिनकी प्राथमिकता आप कह रहे हैं निश्चित रूप से उसकी स्वीकृति जारी करके काम प्रारंभ करायेंगे और आपके जिले में, आपके विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई क्षमता की वृद्धि करेंगे।

<u>जांजगीर-चांपा जिलांतर्गत डभरा सब डिवीजन के काडा नाली निर्माण की लागत</u>

3. (*क्र. 593) श्री नारायण चंदेल : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले के डभरा सब डिवीजन अंतर्गत काडा नाली निर्माण कितनी लागत से किया जा रहा है ? (ख) काडा नाली निर्माण कार्य प्रारंभ करने व कार्य पूर्ण करने की तिथि क्या है ? निर्माण कार्य एजेंसी कौन है ? (ग) क्या उक्त निर्माण कार्य समय में पूर्ण नहीं हुआ है ? क्या कार्य में गुणवत्ताहीन कार्य होने व कार्य में अनियमितता व भ्रष्टाचार होने की शिकायत प्राप्त हुई है ? शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जांजगीर-चांपा जिले के डभरा सब डिवीजन अंतर्गत काडा नाली निर्माण कार्य रु. 299.99 लाख की लागत से किया जा रहा है. (ख) काडा नाली निर्माण कार्य प्रारंभ करने की तिथि 01-04-2018 है, जिसे 31-03-2019 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है. निर्माण कार्य एजेंसी जल उपभोक्ता संस्था है. (ग) वर्तमान में उक्त निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे दिनांक 31-03-2019 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है. गुणवत्ताहीन कार्य होने अथवा अनियमितता व भ्रष्टाचार होने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है.

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न जांजगीर-चाम्पा जिले के डभरा सब डिवीजन से सम्बन्धित है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वर्तमान में इस कार्य की क्या स्थिति है ? कितना कार्य पूर्ण हुआ है और कितना कार्य अपूर्ण है ? इस कार्य के माध्यम से उस सब डिवीजन में कितने क्षेत्रों में सिंचाई होगी ? यह प्रश्न क्रमांक-1। दूसरा, क्या पूरा कार्य जल उपभोक्ता संस्था द्वारा किया जा रहा है या कुछ प्रतिशत कार्य जल उपभोक्ता संस्था को दिया गया है, कृपया बतायें ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इतना कठिन प्रश्न क्यों कर रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- यहां पर पहले से आप दोनों की सेटिंग हो गई है। अब कठिन क्या और सरल क्या ? आप दोनों सेटिंग कर लिए हो।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तो फिर वह प्रश्न क्यों कर रहे हैं? आपने प्रश्न पूछा कितना कार्य पूर्ण हुआ है, लगभग 45 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। आपने पूछा है कि कुल कितने हैक्टेयर में सिंचाई होगी तो 791 हैक्टेयर क्षेत्र में यह सिंचाई उपलब्ध कराया जायेगा। कार्य क्षेत्र है, 2 सौ हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई की संभावना है। जहां तक आपने कहा कि जल उपभोक्ता समिति के द्वारा कितना कार्य कराया जा रहा है। मुझे जो विभाग की जानकारी मिली है, संपूर्ण कार्य समिति के द्वारा कराया जा रहा है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मात्र और प्रश्न है। मुझे जो जानकारी मिली है, मैं स्पेसीफिक बता देता हूँ एक तो गोबराकासा, बड़ेमुड़पार क्षेत्र में वहां पर किसी प्रकार के काडा नाली का कोई कार्य पूर्ण नहीं हुआ है न कोई कार्य कराया गया है। वहां के ग्रामीणजनों से शिकायत की है कि यह सिर्फ कागजों पर कार्य पूर्ण हुआ है। तो आप कृपया इसकी जांच करायेंगे क्या ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रश्न भी किया गया था तो अभी तक ऐसी शिकायत नहीं मिली है। लेकिन अगर जिम्मेदार सदस्य सदन में कह रहे हैं, जिन गांवों का जिक्र कर रहे हैं। अगर वहां लोगों की ऐसी शिकायत है, आपने कहा कि कागजों में नालियां बन गई हैं, कार्य नहीं हो पाया है तो निश्चित रूप से उसकी जांच करायेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रदेश में संचालित भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन व्यवस्था

4. (*क्र. 312) डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं ? इनमें कितने केन्द्रों के स्वयं के भवन नहीं हैं ? जिलेवार वर्णन दें ? (ख) उपरोक्त वर्णित स्वयं के भवन में संचालित नहीं होने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन निर्माण के लिए क्या कार्य योजना है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया) : (क) प्रदेश में 45687 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं. इनमें से 10293 आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्वयं के भवन नहीं है. जिलेवार जानकारी † [2] संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) कण्डिका (क) अनुसार संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में से स्वयं के भवन में संचालित नहीं होने वाले 10293 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 6573 केन्द्रों हेतु भवन स्वीकृत किये जा चुके हैं. शेष आंगनबाड़ी केन्द्रों जिनके स्वयं के भवन नहीं है के लिये वित्तीय उपलब्धता के आधार भवन स्वीकृत किये जाते हैं.

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि प्रदेश में जो 45 हजार आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हो रहे हैं, उसमें से 10,293 आंगनबाड़ी केन्द्र भवनविहीन हैं। मुझे यह बताते हुए दु:ख हो रहा है कि बिलासपुर जिला अव्वल दर्जे पर है। 767 भवन, भवनविहीन हैं। दूसरे नंबर पर सरगुजा है, 765 भवन, भवनविहीन हैं और तीसरे नंबर पर बलरामपुर है, जहां 736 भवन भवनविहीन हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान बिलासपुर की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी, साथ ही ये पूछना चाहती हूं कि लगभग 10 हजार भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, उसमें आपने बताया कि 6573 भवनों की स्वीकृति हो गई है तो कृपया बताएं कि स्वीकृति कब हुई, उसके लिए कितनी राशि आवंटित हुई और कब तक उनका निर्माण पूरा हो जाएगा ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि आंगन बाड़ी स्वीकृत हो गया है और वह आंगनबाड़ी मनरेगा के माध्यम से और एक लाख हमारे विभाग के माध्यम से बजट आवंटन होता है और वित्तीय उपलब्धता के आधार पर हम आंगनबाड़ी पूरी कराने की कोशिश करेंगे।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पेंड्रा नगर पंचायत में 5 साल पहले 8 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हुए, उनका टेण्डर भी निकला, पर उसमें से मात्र तीन बने हैं तो कृपया इस पर विशेष ध्यान दें कि जो स्वीकृत नये भवन, उनका निर्माण कार्य 5 वर्षों से लंबित है और आपसे

[2] परिशिष्ट "दो"

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

जानकारी और लेना चाहूंगी, जो 10 हजार आंगनबाड़ी केन्द्र किराए के मकानों में संचालित हो रहे हैं तो उनका किराया कितना देते हैं और क्या वहां समुचित पेय जल की व्यवस्था है क्या ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पेन्ड्रा में कुल आंगनबाड़ी केन्द्र भवन की संख्या 18 है और आरंभ 4 है, अपूर्ण 4 है । इस तरह से 8 आंगनबाड़ी अभी अपूर्ण है तो उसको मैं दिखवा लूंगी कि क्या कारण है और किराये के भवन संचालित हैं, उसमें ग्रामीण क्षेत्र में 1 हजार रूपये और शहरी क्षेत्र में चार हजार रूपये का प्रति माह प्रावधान है ।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतिम प्रश्न। क्या आप शुद्ध पेय जल की व्यवस्था इंश्योर करेंगी कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में रहे और जो नलकूप खनन भी होता है तो उसके आसपास ही प्रायरिटी के आधार पर हो, कृपया बताएं ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग की प्राथमिकता आंगनबाड़ियों केन्द्रों में शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराना है । जहां आवश्यकता पड़ेगी, वहां जरूर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराएंगे ।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहूंगी कि शायद उन्होंने पोषक आहार पर अंडे का वितरण, जो लोग खाते हैं, उनके लिए शुरू किया है, ये एक अच्छा कदम है।(मेजों की थपथपाहट)

श्री अमरजीत भगत :- भाभीजी, कुछ कहेंगी तो भिजवा भी देंगे । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, कोई साफ प्रश्न हो तो करिएगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- भाभीजी तो क्या-क्या खाती हैं, आप भिजवा नहीं पाओगे । आप तो भाभीजी के यहां बहुत खाये हो । आप तो अंडे में निपटा रहे हो । आप तो कई साल क्या-क्या खाये हो, वह सब भिजवा दो । न हो तो इधर से मांग लो । (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, क्या है कि ज्यादा खाने की लालच में उधर चले गए हैं न ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने अपने उत्तर में कहा है कि 6573 आंगनबाड़ी स्वीकृत हो गए हैं । उसमें उन्होंने उत्तर दिया है कि एक लाख रूपए विभाग से जाता है और बाकी मनरेगा में कनवरजेंस से हो रहा है करके ।

श्री अमरजीत भगत :- दोनों महिला विधायक और मंत्री में शालीनतापूर्वक चल रहा था, आप दाल-भात में मूसरचंद बताइए । (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न को पूरा पढ़िए और उसके बाद बिना पढ़े-लिखे मत बोलिए । तो उसमें मैं ये जानना चाह रहा था...।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- ज्यादा पढ़ने के चक्कर में तो उधर चले गए । हम लोग जो भी काम करते हैं, दिल से करते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बहुत सुन्दर । माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो 6573 केन्द्र हैं, उनमें कितने अभिशरण के द्वारा बनाये जा रहे हैं और कितने विभागीय मद से बनाये जा रहे हैं, विभागीय मद कितना है और कितनी संख्या अभिशरण से की जा रही है और अभिशरण में जो बनाये जा रहे हैं, उसमें से कितने में काम शुरू हो गया है और कब तक पूरा होगा ?

श्री अमरजीत भगत :- यह तो आपके लिये ही जानकारी में था, आप क्यों परेशान कर रहे हैं, बताईये ?

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पांच लाख तो हमारे मनरेगा के मद है । अभिभागी मद 1.45 लाख है और मनरेगा का अंशदान केन्द्रीय अंशदान प्रति भवन 1 लाख और राज्यांश 4 लाख 50 हजार रूपये वहन किये जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- संतराम नेताम जी ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- बता रही हूँ ना, आप बैठिये तो ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप लिखित जानकारी भेज दीजिएगा । श्री संतराम नेताम ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- जी । आप लोग का किया हुआ है, उसको धीरे-धीरे पूरा कर रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य :- कक्ष में चले जाइयेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री संतराम नेताम ।

<u>केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एनीकट/स्टापडेम/चेकडेम का निर्माण</u>

5. (*क्र. 600) श्री संतराम नेताम : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभाग द्वारा जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर 2018 तक कुल कितने एनीकट एवं स्टापडेम/चेकडेम का निर्माण कितनी-कितनी लागत से किस-किस स्थान पर कब-कब किया गया ? (ख) उक्त एनीकट एवं स्टापडेम/चेकडेम में कितने पूर्णतः टूट चुके हैं ? कितने में पानी का ठहराव नहीं हो रहा है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर 2018 तक कुल 06 एनीकट एवं 04 स्टापडेम का निर्माण कराया गया है, किसी भी चेकडेम का निर्माण नहीं किया गया है. विस्तृत जानकारी †† [3] संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

[3] परिशिष्ट "तीन"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(ख) उक्त 06 एनीकट तथा 04 स्टापडेम में से कोई भी एनीकट/स्टापडेम पूर्णतः नहीं टूटा है, अपितु 03 एनीकट आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें पानी का ठहराव नहीं हो पा रहा है.

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया था, उसमें मेरे विधान सभा के कबोंगा और मुण्डापारा और मैनपुर एनीकट आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने से पानी का ठहराव नहीं होना बताया है । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कारण से क्षति हुआ है और कब से हुआ है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, अब उत्तर में ही स्पष्ट है, आपको जो परिशिष्ट दिया गया है, कार्यपूर्णता के बाद तीनों में क्षति हुआ है, पानी भराव अधिक हुआ होगा, इसके लिए इसमें क्षति बताया गया है । कंबोगा एनीकट, मैनपुर एनीकट और मुण्डापारा एनीकट, तीनों क्षतिग्रस्त होने के बाद इसमें जांच भी की गई, कार्यवाही भी की गई, कुछ लोगों को निलंबन भी किया गया, इसमें और क्या जानना चाहते हैं ?

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि कब से हुआ है और उस एनीकट का गारण्टी कितने दिनों का था, उन ठेकेदारों पर आपने क्या कार्यवाही किये ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, अधिकारियों पर कार्यवाही की जानकारी तो इसमें दिया गया है । अब ठेकेदारों के खिलाफ इसमें क्या कार्यवाही की गई, मैं इसे देख लेता हूँ, बहुत पुराना मामला है, देखना तो पड़ेगा ना कि आप लोग इसमें क्या-क्या कार्यवाही किये हो ?

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, उनको अधिकारियों से मतलब नहीं है, उनका ध्यान ठेकेदारों के तरफ है ।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 में तीनों एनीकट का निर्माण पूर्ण होना बताया गया है । वर्ष 2014 से जिन किसानों ने वहां पर फसल लगाया है, उन किसानों का फसल नुकसान हुआ है, उसके लिए इसमें क्या प्रावधान किया गया है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, एनीकट में तो किसान किस तरह से सिंचाई सुविधा लेता है, कितना दर्ज है, उसको आप समझ सकते हैं । लेकिन मैं आपकी जानकारी में ला दूं, पहला मुण्डापारा एनीकट, कार्य पूर्णता वर्ष 2014, कितनी सिंचाई क्षमता और कितने किसानों का इसके बारे में प्रश्न नहीं था । यह टूटा क्यों, ठेकेदारों पर कार्यवाही हुई......।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न लगाने का मतलब यह है कि इसे वर्ष 2014 से आपने बनाया । अध्यक्ष महोदय, तीन-तीन एनीकट, इसमें एक है 4 करोड़ 63 लाख 33 हजार,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

एक है 3 करोड़ 22 लाख 88 हजार, एक है 2 करोड़ 77 लाख 48 हजार, इतने पैसे खर्च करने के बाद एक भी किसानों को उसका लाभ नहीं मिला, आप क्या इसकी जांच करायेंगे या उस एनीकट से एक भी किसानों को लाभ मिला है, वह बता दीजिए ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, यह तो सच है कि उसमें पानी नहीं है, वह टूटा है, विभाग स्वीकार कर रहा है, वर्ष 2014-2015 में एनीकट कैसे बनते थे, ठेके कैसे दिये जाते थे, टूट क्यों जाता था? यह तो पूरा जांच का विषय है, पूरे प्रदेश का विषय है ।

श्री संतराम नेताम :- मैं माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहता हूँ कि इसकी जांच करायेंगे क्या?

श्री अजय चंद्राकर :- क्या है आपने कहा है कि पांच साल में वायदा पूरा करेंगे तो जो वित्तीय नहीं है, गैर वित्तीय है, जांच में तो कोई वित्त भार आना नहीं है, जांच ही जांच चलने दो, क्या है।

श्री शिवरतन शर्मा :-एक काम कर दीजिए, इसके लिए भी एक एस.आई.टी. का गठन कर दीजिए।

श्री मनोज सिंह मंडावी :- चंद्राकर जी, पूरा कारनामा पता चल जायेगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गंभीर मामला है, करोड़ों का एनीकट बना और ध्वस्त हो गया। जैसा विभान ने जानकारी दी है कि अधिकारियों पर कार्यवाही हुई, ठेकेदारों पर कार्यवाही लंबित है। उन पर कार्यवाही करेंगे। आपने जांच की बात कही, इन तीनों एनीकट की भी जांच करायेंगे। कल भी एक ध्यानाकर्षण में एक एनीकट की चर्चा हुई थी, प्रदेश में इस प्रकार से बहुत सारे स्थानों पर अनावश्यक भी बनाये गये और बिलो स्टैंडर्ड, बिलो क्वालिटी के भी बनाये गये। जहां-जहां ऐसी बात आयेगी, हम जांच भी करायेंगे और कार्रवाई भी करेंगे।

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मेरा एक अंतिम प्रश्न है। ये तीनों एनीकट को अभी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होना बताये हैं जिसके कारण पानी का ठहराव नहीं हो रहा है और किसानों को सिंचाई का लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये तीनों को जो आंशिक रूप से टूटना बताया गया है उसे आप कब तक मरम्मत करायेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव मंगवा लेंगे, प्राक्कलन तैयार करा लेंगे और उसके बाद इसके मरम्मत की कार्यवाही करेंगे।

<u>राजधानी रायपुर में कृषि मेले के आयोजन में व्यय राशि</u>

6. (*क्र. 587) श्री दलेश्वर साहू: क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में राजधानी रायपुर में कृषि मेले का आयोजन किया गया है? (ख) यदि

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हां तो राज्य व राज्य के बाहर के किस-किस विभाग/संस्थान ने प्रदर्शनी हेतु भाग लिया? उक्त मेले में किये गये व्यय का विभागवार, मदवार, कार्यवार, दिनांकवार जानकारी दें?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जी हां. (ख) कृषि मेला (एग्री बिल्ड एण्ड ट्रेड फेयर 2018) में राज्य शासन के 17 विभाग/निगम/मण्डल/बोर्ड तथा 124 निजी संस्थानों ने प्रदर्शनी में भाग लिया. जिसका विवरण ‡[4] संलग्न प्रपत्र “अ” एवं प्रपत्र “ब” पर है. राज्य से बाहर के किसी भी विभाग/संस्थान ने प्रदर्शनी में भाग नहीं लिया था. मेले में विभागवार, मदवार, कार्यवार, दिनांकवार व्यय की जानकारी ‡ संलग्न प्रपत्र “स” पर है.

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने वर्ष 2018-2019 में कृषि मेला के संबंध में जानकारी मांगी थी, जिसमें अधूरी जानकारी दी गई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्यों अधूरी जानकारी दी गई है? कृपया इसके बारे में बतायें।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जो प्रश्न किया गया है वह सारा परिशिष्ट 1, 2 एवं 3 में है। आप तीनों परिशिष्ट को पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि जानकारी पूरी दी गई है। उसके बावजूद भी माननीय सदस्य अगर कोई बात जानना चाहें तो प्रश्न करें, उसका उत्तर आयेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी नारायण चंदेल जी के प्रश्न में कहा गया कि जिम्मेदार सदस्य बोल रहे हैं इसलिए मैं जांच करवाऊंगा। जब ये जिम्मेदार सदस्य कह रहे हैं कि जानकारी अधूरी दी गई है और इसी सदन में कह रहे हैं तो आप उस प्रश्न को अगले दिन के लिए रख लीजिए। जब वह अधूरी जानकारी की बात कह रहे हैं तो वह भी जिम्मेदारी से पूरी बात कह रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय जी, माननीय दलेश्वर साहू जी बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, मैं समझ रहा हूं और जितनी जिम्मेदारी से माननीय अजय चन्द्राकर जी उधर से कह रहे हैं उससे भी ज्यादा गंभीर और जिम्मेदारी से आदरणीय दलेश्वर साहू जी कह रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके विधायक ने कहा मैंने नहीं कहा इसलिए मैंने कहा कि अगले दिन के लिए रख लीजिए। आप एकमात्र आदमी हैं जिन्होंने उल्लेख किया कि खेलसाय सिंह जी वरिष्ठ हैं, बहुत अच्छी बात, आपने कहा कि नारायण चंदेल जी वरिष्ठ हैं बहुत अच्छी बात, दलेश्वर साहू जी भी वरिष्ठ हैं यदि वह बोल रहे हैं कि अधूरा है तो आप कल या परसों के लिए जैसा आसंदी चाहे उस दिन उत्तर दे दीजिएगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खेलसाय सिंह जी को वरिष्ठ कहा तो इसमें आपत्ति क्या है?

[4] परिशिष्ट “चार”

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो आपको बधाई दी। मैंने आपको एकमात्र मंत्री कहा।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नारायण चंदेल जी को बुद्धिमान कहा तो इसमें आपत्ति कहां है? मैं तो अजय जी को भी बुद्धिमान मानता हूं, लेकिन कभी-कभी।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आप मानते हैं लेकिन इनको वैसा होना चाहिए ना।

श्री अमरजीत भगत :- वैसे पूरे रोल में चन्द्राकर जी हैं, वह नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे, बन नहीं पाये, अब उसको कैसे निकालें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि एकमात्र आदमी हैं और बाजू वाले हैं जिन्होंने शरणागति स्वीकार नहीं की है। आप तो अभी भी मंत्री बनने के लिए नेता खोज रहे हो कि ऊपर में बाबा जी, मुख्यमंत्री जी और कोई मिल जाए। ये आदमी तो केपेसिटी में बने।

श्री अमरजीत भगत :- आप दूसरे के घर में बहुत ताका-झांका करते हैं। आपको कैसे मालूम है?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार सदस्य ने कहा है कि अधूरी जानकारी है तो अगले दिन के लिए रख लीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पहली बार हो रहा है कि प्रश्न दलेश्वर जी का और प्रस्ताव अजय जी कर रहे हैं कि अगले दिन के लिए रख लीजिए। अभी उनका प्रश्न आने दीजिए ना।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- इसी को कहते हैं कि दाल-भात में मूसरचंद।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कार्यवार दिनांकवार व्यय की जानकारी मांगी थी तो जानकारी बिल्कुल अधूरा है तो पृथक से जानकारी दे दें। मैं यहीं मंत्री जी से जानना चाहूंगा। अगर पृथक से जानकारी दे देंगे तो भी स्वीकार है। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि इतने बड़े कृषि मेले में ये रोटरी क्लब आप रायपुर कास्म को ये सहकारिता बनाने का क्या कारण है, किन नियमों का पालन कर इतनी बड़ी राशि, कृषि मेला तो विभाग का हुआ था पर ये रोटरी क्लब रायपुर कहां से आ गया और इनको कौन से नियम के तहत 52 लाख रूपये ईशु कर दिया गया, क्या मंत्री जी इस मामले को लेकर बताएंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, जब मेले का निर्णय हुआ, राज्य शासन द्वारा रोटरी क्लब ऑफ रायपुर कास्मो पोटकली रायपुर एवं कृषि जैव प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एग्री बिल्ड एण्ड ट्रेड फेयर के सफल संचालन हेतु मंडी बोर्ड, पहले ये दोनों विभाग और रोटरी क्लब ऑफ रायपुर कासमों पालिटिन रायपुर ये दोनों के संयुक्त तत्वावधान में ये मेला करने का निर्णय लिया गया और नोडल एजेंसी मंडी बोर्ड रायपुर को बनाया गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय जी, आपका विभाग का पैसा है, आपने नोडल अधिकारी मंडी बोर्ड को बना दिया। ये रोटरी क्लब को लाने की क्या जरूरत है और आपने इतने पैसे को दे दिये ये तो गंभीर अनियमितता है और मैं तो चाहूंगा कि इनका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए? मैं ये आपसे मांग करता हूं। आपके पास सारे एजेंसी है, क्यों लाया गया ? रोटरी क्लब को लाने का क्या कारण है, ये तो घोर अनियमितता परिलक्षित होता है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, दस्तावेजों में ऐसा स्पष्ट है कि संयुक्त रूप से कृषि विभाग और रोटरी दोनों को मेले की जवाबदारी दी गई थी। नोडल एजेंसी मंडी को बनाया गया था, मंडी के द्वारा अब सीधी राशि खर्च की, कुछ प्राईवेट पार्टियां भी आई, लोगों को आमंत्रित किया गया, जगह सुरक्षित कराया गया तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि तात्कालीन सरकार ने ये निर्णय लिया होगा कि रोटरी कासमो फाउण्डेशन को इसके लिए उपयुक्त माना गया होगा और उसको संयुक्त रूप से मेले की जवाबदारी दी गई होगी। जहां तक आपका प्रश्न है, राशि खर्च करने का, इतनी राशि खर्च करने का, पहले आपके उत्तर में हम लोगों ने बताया है कि राशि कितना खर्च हुआ। निश्चित रूप से उनके द्वारा खर्च किया गया और लगभग 1 करोड़ से भी अधिक की राशि इस मेले में खर्च किया गया। इस राशि को खर्च करने का अधिकार उनको कैसे मिला, उनको किस तरीके से अधिकार दिया गया, निश्चित रूप से ये तो जांच का विषय है लेकिन जो निर्णय तत्कालीन सरकार ने किये थे, वे इसी तरीके से किये थे।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, तो आप उच्च स्तरीय अधिकारी से जांच करवा लीजिए न, आलरेडी हमारा विभाग इतना सक्षम है, उसके बाद आपका नोडल अधिकारी मंडी बोर्ड बना, उसके बाद अगर किसी को देना, मैं सोचता हूं कि ये जांच का विषय है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उच्च स्तरीय जांच का आज इस सदन में घोषित कर दें।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, निर्णय तो हुआ है और उनके माध्यम से खर्च भी हुए हैं। किस आधार पर उनको ये काम दिया गया, ये अभी दस्तावेजों में नही है लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि आखिर ये निर्णय किस स्तर पर हुआ, रोटरी को क्यों ये काम करने की इजाजत दी गई? ये जांच का विषय है। मैं अपने संचालक को निर्देश करूंगा, इसकी पूरी प्रकरण की जांच करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, मंत्री जी से एक बात हम भी पूछना चाहते हैं, आगे आपकी सरकार में ऐसा रोटरी वोटरी कहीं प्रकट न हो, आपके विभाग में इसका भी ख्याल रखियेगा।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष जी, एक मेरी जानकारी है कि इस कृषि मेले में युवराज नाम का एक हरियाणा से सांड मंगवाया गया था। मुझे प्राथमिक जानकारी है, मंत्री जी बतायेंगे। लगभग 4 लाख रूपये उनको दिया गया और उनको खाने पीने में सेवफल, मुसब्बी, केला दिया गया। मंत्री जी ये बताने की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कृपा करेंगे कि इसमें कितना खर्च हुआ है और क्यों लाया गया? ये मेरी प्राथमिक जानकारी है। एथेंटिक रूप से मंत्री जी बतायेंगे।

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ में सांड नहीं मिला क्या ? (हंसी)

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, माननीय जोगी जी, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं मिला इसका उत्तर ये भी एक जांच का विषय है। (हंसी)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष जी, चंद्राकर जी के रहते बाहर से क्यों बुलाये। (हंसी)

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय और जब माननीय सदस्य प्रश्न कर रहे थे कि युवराज बुलाया गया तो मुझे लगा कि वह 6 छक्के मारने वाला युवराज थोड़ी आया था। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, युवराज के और भी अर्थ निकलते हैं। आप 6 छक्के को छोड़ दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप अभी सिर्फ मुसंबी वाले, साण्ड के बारे में ही बताईये। जनता जानना चाह रही है?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, और वह एक ही साल नहीं, दो साल आया है। आप दो सालों का बताईये। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, जल्दी करिये। मुझे भी रिकॉर्ड बनाना है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेले में आयोजन हेतु चयनित एजेंसी ग्रापक इंटरप्राईजेस द्वारा लगभग 5 लाख रूपये खर्च करके, जिस युवराज की चर्चा और चिंता, आदरणीय दलेश्वर जी कर रहे हैं, उसको लाया गया था।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहां लाया गया था तो किसी काम के लिए लाया गया था? दिखाने के लिए लाया गया था ? (हंसी)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय मंत्री जी, यूटिलाईजेशन सर्टीफिकेट लिया गया था अथवा नहीं ?

श्री धर्मजीत सिंह :- आदरणीय पूरे सदन के सारे लोगों की जिज्ञासा है कि आखिर वह 7-8 लाख का साण्ड जो नींबू, संतरा, केला, मुसंबी, काजू खाता था। आखिर वह छत्तीसगढ़ में पर्दापण क्यों किया? और किया तो क्या असर दिखाया ? ये बता दीजिए। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय कृषि मंत्री जी, वह साण्ड नहीं था। साण्ड नहीं आया था। वह भैंसा था। (हंसी)

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छक्का मार दिया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वीकार तो किया गया कि उसको लाया गया था। अब यहां अच्छे नस्ल के सुधार के लिए किसानों को, प्रदर्शन के लिए, उनके जानने के लिए किस प्रकार से हम कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी बातें हैं और 15 सालों से ये नस्ल बिगड़ा ही हुआ है। अब सुधारने का काम तो हमको करना ही पड़ेगा तो वह लाया गया था, उसका कितना क्या असर हुआ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अब आप कहॉ से साण्ड, भैंसा लायेंगे ? ये बता दीजिए, जब आप लायेंगे तो ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन माननीय सदस्य के पूछने का आशय मैं नहीं समझ पाया। आपने पूछा कि केवल लाया गया था। अब वह क्या-क्या खाता था इसको अब जो लाये थे, वही बतायेंगे ?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय आदरणीय, मालूम है उनके क्षेत्र में कुछ रहा होगा। वे केला, संतरा, मुसंबी खाते देखे हैं और अगर इतने रेट में वह साण्ड आया तो बड़ा महंगा सौदा है। इससे सस्ते में भी काम हो सकता था भई।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, साण्ड नहीं आया था भई। वह प्रश्न गलत है भैंसा आया था।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आदरणीय अजीत जोगी जी।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक अंतिम प्रश्न है ये तो जांच का विषय है माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि जांच करायेंगे, पर अंत में एक अंतिम प्रश्न करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी के आदेशानुसार मेरे यहां 22, 23 और 24 को कृषि मेला का आयोजन करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- आप उस साण्ड को बुलायेंगे क्या ?

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह मंत्री जी बतायेंगे (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, साण्ड नहीं था भई। वह भैंसा था।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय चन्द्राकर जी, मैं राउत हों, गरवा चरावत रहेव, वोला सरवा कहिथ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां 22, 23 और 24 को कृषि मेला का आयोजन करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है क्या उसी तहत मतलब 17 विभागों ने मदद की थी। क्या वही विभाग मेरे कृषि मेले में सहभागिता देंगे, मदद करेंगे ? मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा और चाहूंगा कि उतने ही विभाग मेरे भी कृषि मेला में सहभागिता दें।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम विचार करेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक निवेदन और कर लेना चाहता हूँ कि उसको एक दिन आप कम से कम विधान सभा के प्रांगण में लाकर सबको दिखवा दीजिए। इतना महापुरूष साण्ड कहां से आया है ? कौन लाया है, उसको भी अभिनंदन कर दीजिए। आप जांच बिल्कुल मत कराईये, चाहे जितना भी काजू खाया हो, पर उसको लाकर यहां दिखवा दीजिए और उसका आर्डर कौन साहब किया है उसको भी आज वहीं नागरिक अभिनंदन कर दीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका ऑर्डर कौन साहब किया है, वह तो यहीं मौजूद होंगे। लेकिन उस साण्ड को जो खर्च बता रहा है। अब इतना ज्यादा खर्च करके, विधान सभा प्रांगण में क्यों लायेंगे ? उसकी जरूरत नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां एक से एक साण्ड है।

जल संसाधन संभाग पेण्ड्रा रोड अंतर्गत नहर निर्माण कार्यों के पूर्णता की स्थिति

7. (*क्र. 244) श्री अजीत जोगी : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत जल संसाधन संभाग पेण्ड्रा रोड के जोगी डोंगरी जलाशय से नहर का कार्य अपूर्ण होने के कारण ग्राम आंदू, सेमरा, भदौरा, सदवानी में सिंचाई नहीं हो पा रही है. नहर कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जायेंगे ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड के अंतर्गत जोगीडोंगरी जलाशय के नहरों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है. नहरों में सिल्टिंग/टूट-फूट होने के कारण योजना के सैंच्य क्षेत्र के ग्राम आंदूल, भदौरा, सधवानी में पूर्ण क्षमता के अनुरूप सिंचाई नहीं हो पा रही है. प्रश्नाधीन ग्राम सेमरा योजना के सैंच्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है. नहर सुधार कार्य जून 2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है.

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जोंगी डोंगरी बांध मेरे गांव में ही बना है जिससे संबंधित यह प्रश्न है। बांध बहुत अच्छा बना, उसमें लबालब पानी भरा रहता है पर उसका केनाल सिस्टम बिल्कुल ही खराब बना, पहले साल ही टूट गया, उस कारण से उस बांध में पूरा पानी भरा होने के बावजूद कोई सिंचाई नहीं हो रही है। इसलिए मैं पहले मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने स्वत: स्वीकार किया है कि नहर टूट-फूट गई और उसके कारण सिंचाई नहीं हो पा रही है तो मैं पहला प्रश्न आपने यह पूछना चाह रहा हूं कि जो केनाल सिस्टम ठीक से नहीं बना, क्या आप उसकी जांच करायेंगे? और जिन लोगों ने ठीक से नहीं बनाया जिसके कारण बांध बनने के बाद भी सिंचाई नहीं हो रही है उन पर क्या अभी तक कोई कार्यवाही हुई है? और यदि नहीं हुई है तो क्या वर्तमान शासन उन लोगों पर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कार्यवाही करेगा जिससे इतना बड़ा खर्च होने के बाद भी उसका कोई लाभ गांव के लोगों को नहीं मिल रहा है?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में ही स्पष्ट है, इसकी स्वीकृति दिनांक 07-12-2012 के द्वारा 1307 लाख की लगभग 465 हेक्टेयर खरीफ और 61 हेक्टेयर रबी फसल, 526 हेक्टेयर कुल सिंचाई के लिए इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई थी। माननीय अध्यक्ष जी, इसका जो दोनों केनाल है, एल.बी.सी. लगभग 330 हेक्टेयर के लिए और आर.बी.सी. लगभग 135 हेक्टेयर के लिए बनाया गया था। निश्चित रूप से विभाग ने ये स्वीकार किया है कि अधिक जल भराव होने के कारण और सिल्टिंग के कारण इस योजना की सिंचाई क्षमता के अनुरूप इसमें सिंचाई नहीं हो पा रही है, टूट-फूट हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यह तो छोटी योजना है, माननीय जोगी जी कह रहे हैं कि नहर निर्माण में दोषी कोई लोग हैं तो अगर आप स्पष्ट कहेंगे तो जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कह रहा हूं नहर ठीक से बनाई ही नहीं गई। मेरा खुद का गांव है इसलिए मुझसे ज्यादा अच्छा न तो आपके अधिकारियों ने आपको जानकारी दी हुई होगी। मैं यह जानकारी दे रहा हूं कि उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। पानी बहुत ज्यादा है, पूरा तालाब लबालब भरा हुआ है, नहर सिस्टम पूरा बनाया ही नहीं गया, पहली बात तो यह है कि जिन लोगों ने नहीं बनाया या कमजोर बनाया जिससे टूट-फूट हो गई, उन लोगों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब इतना बड़ा बांध बनाकर खर्च कर दिया है तो क्या आप अच्छे से नहर बनायेंगे जिससे उसका कुछ लाभ गांव के लोगों को हो सके ? उसके साथ ही एक प्रश्न और है, इसी गांव से लगा हुआ सेमरा गांव है जो सिंचाई के कमाण्ड एरिया में आता है। सेमरा गांव में नहर क्यों नहीं बनाई गई ? पानी पर्याप्त है, सेमरा कमाण्ड एरिया में आता है, मेरा आपसे ये प्रश्न है और आकांक्षा भी है कि सेमरा के लिए भी नहर बनाई जाये और वहां भी सिंचाई की जाये और पूरा नहर सिस्टम नये सिरे से बनवा दीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जोगी जी, हमारे प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, वह अगर कह रहे हैं कि उसमें पूरी नहर नहीं बनाई गई थी, इसकी जांच होनी चाहिए तो मैं चीफ इंजीनियर को भेजकर तत्काल जांच कराऊंगा।

श्री अजीत जोगी :- धन्यवाद।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात माननीय जोगी जी ने प्रश्न किया कि जिन 4 गांवों में सिंचाई के लिए प्रस्तावित था, ग्राम आंदूल, भदौरा, सधवानी और धनगवां, इसके 526 हेक्टेयर के लिए नहर अगर नहीं बनाई गई थी तो नया बनाना पड़ेगा, जैसा आपने कहा। लेकिन टूट-फूट और सिल्टिंग के कारण हुआ है, विभाग को लगभग 29-30 लाख रुपये का इस्टीमेट आया हुआ है, हम

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ए.आर. से इसी सत्र में उसको बनवायेंगे भी और सिंचाई की सुविधा भी मुहैया करायेंगे और तीसरा जो आपने कहा ।

श्री अजीत जोगी :- सेमरा गांव ।

श्री रविन्द्र चौबे :- प्रश्नाधीन गांव सेमरा । विभाग के मुताबिक वह अप स्ट्रीम में है, डाऊन स्ट्रीम में या कमाण्ड एरिया में वह सेमरा गांव नहीं आ सकता ऐसा विभाग का मत है ।

श्री अजीत जोगी :- वह गलत बताया होगा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अगर वह गलत बता रहे हैं तो मैं फिर से इसको सर्वे करके साईट दिखवा लूंगा । हमारी योजना है, सरकार की योजना है कि आने वाले समय में केवल एक साल में जो एज पर डिजाईन जो इरीगेशन की हमारी प्रदेश की क्षमता है कम से कम दो लाख हैक्टेयर हम और बढ़ाने के बारे में विचार कर रहे हैं तो इन छोटी-छोटी योजनाओं में हम राशि उपलब्ध भी करायेंगे । एक्सटेंशन भी करायेंगे, रिमॉडलिंग भी करायेंगे, रिसेक्सनिंग भी करायेंगे और इस प्रस्ताव को माननीय जोगी जी आपने सदन में कहा तो इसमें उसकी राशि स्वीकृत करायेंगे । 4 गांवों में तो सिंचाई हो जायेगी, सेमरा फिर से सर्वे करने का विषय है उसको मैं विभाग को निर्देशित करूंगा ।

श्री अजीत जोगी :- बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्रीमती रेणु अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह बांध मेरे क्षेत्र में निर्मित है और सधवानी गांव भी मेरे क्षेत्र में है ।

श्री अजीत जोगी :- गांव मेरा है और क्षेत्र आपका है । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग दोनों निर्णय कर लें कि है किसका ? (हंसी)

श्रीमती रेणु अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि पानी उसमें लबालब भरा है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि सिंचाई विभाग उसमें मछली निकालने की अनुमति भी नहीं दे रहा है यानी पानी भी भरा है तो पानी तो उपलब्ध नहीं हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- पानी जोगी जी का है और मछली आपकी है । (हंसी)

श्रीमती रेणु अजीत जोगी :- नहीं, पानी भी मेरा ही है मतलब यह क्षेत्र मेरा है और मैं चाहती हूं कि मछली जो उसमें भरी हैं । वहां के स्वसहायता समूह आवेदन करते हैं पर सिंचाई विभाग उन्हें अनुमति नहीं दे रहा है और मछली विभाग भी आपका है तो कृपया इसमें सहानुभूतिपूर्वक निर्णय दें ।

श्री धर्मजीत सिंह :- पंडित जी, मछली के बारे में आप समझ नहीं पायेंगे । मछली तालाब के अंदर जो खाने-पीने के काम वाली चीज है उसको महिला लोग समझते हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- मछली के बारे में हम भी बहुत समझते हैं । कक्षा-पहली में हम लोग पढ़े थे कि मछली जल की रानी है । (हंसी) अब उसके आगे नहीं जानते । माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा लगा कि एक प्रश्न में भैया और भाभी दोनों एक हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- भैया, सब विषय में एक हैं, केवल इसी प्रश्न में एक हैं ऐसा नहीं है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- नहीं, यहां सदन में एक दिखे न ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिये धन्यवाद । एक करने में आपकी भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका रही । एक सिम्बॉल से लड़े ।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक करने के लिये तो वास्तव में धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- दोनों को एक कर दिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- 2 तारीख तक के नामांकन के आखिरी दिन तक वे इंतजार कर रहीं थीं ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- पति-पत्नी को एक जगह रखना तो पुण्य का काम है । अलग-अलग रहें तो कोई अच्छी बात थोड़ी है । (हंसी)

श्री रविन्द्र चौबे :- कुछ मामले में तो एकदम एक हैं । मछली के मामले में तो भाभी जी एक हैं ही न । (हंसी) विभाग आपत्ति क्यों करेगा इसको मैं नहीं समझ पाया । जैसा कि भाभी जी ने कहा न केवल इस जलाशय में इरीगेशन के सारे जल स्त्रोत जहां भी है जल भराव वहां इस प्रकार से हम लोग मत्स्य पालन की अनुमति देते हैं और आपने जैसा कहा भाभी जी तो वहां लोकल अगर कोई सोसायटी होगी मत्स्य पालन के लिये और आपने सदन में कहा इसलिये मैं विभागीय अधिकारियों को निर्देश करूंगा उसमें आपत्ति जैसा सवाल नहीं है । मछली पालन के अधिकारी उनको सहयोग भी करेंगे और वहां आप जिस प्रकार से कह रहे हैं उस प्रकार से उसका पालन किया जायेगा ।

श्रीमती रेणु अजीत जोगी :- धन्यवाद ।

<u>जशपुर जिलांतर्गत स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र</u>

8. (*क्र. 11) श्री यू. डी. मिंज : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जशपुर जिले में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं ? कितने केन्द्रों हेतु भवन उपलब्ध हैं ? कितने किराये के भवन में चल रहे हैं ? भवन कब तक बन जायेंगे ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया) : जशपुर जिले में 2946 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है, जिसमें से 2931 केन्द्र संचालित है. संचालित केन्द्रों में से 2683 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु स्वयं के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

भवन उपलब्ध हैं. 201 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवन में चल रहे हैं. स्वयं के भवन विहीन 248 संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 145 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन स्वीकृत किये जा चुके हैं, 103 केन्द्रों हेतु भवन स्वीकृत किया जाना शेष है. वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन स्वीकृत किये जाते हैं. भवन निर्माण की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

श्री यू. डी. मिंज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि जशपुर जिले में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं और कितने केंद्रों हेतु भवन उपलब्ध हैं और कितने किराये के भवन चल रहे हैं तथा भवन कब तक बन जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- यह तो आपने प्रश्न में ही पूछा है जिसका उत्तर आ चुका है । इसका उत्तर लिखित में आ चुका है ।

श्री यू. डी. मिंज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ पूरक प्रश्न भी हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- हां, आप पूरक प्रश्न करें ।

श्री यू. डी. मिंज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिले में संचालित 2946 आंगनबाड़ी केंद्रों में ऐसे कितने केंद्र हैं जहां 2 से 5 बच्चे हैं ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- यह प्रश्न में नहीं है इसलिए आप दे देंगे तो मैं आपको इनकी लिस्ट उपलब्ध करा दूंगी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कितने आंगनबाड़ी केन्द्र ऐसे हैं जिनमें 2 से 5 बच्चे हैं । अरे, हमारे सदन में 12 बच्चे वाले लोग हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, वो बात अलग है । यू.डी.मिंज जी आप पूछिए ।

श्री यू.डी.मिंज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से आग्रह करना चाहता हूं कि जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति जर्जर है ऐसे आंगनबाड़ी भवनों की तत्काल मरम्मत कराए । क्या ऐसे केन्द्रों से विभाग के स्थापना व्यय पर भार नहीं पड़ रहा है ? जो मैंने 2 से 5 बच्चों के केन्द्रों की बात की है, इनके भवन के रख रखाव में व्यय हो रहा है । वेतन भत्तों में 3 हजार से 5 हजार प्रति व्यक्ति खर्च हो रहा है । क्या विभाग ने इस पर कभी संज्ञान लिया है ? मुझे लगता है कि विभाग को इस पर विचार करना चाहिए । मेरा मानना है कि ऐसे कम दर्ज संख्या वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों को अगर शासन ध्यान दे तो शासन का पैसा बच भी सकता है । जैसा कि मंत्री महोदया ने जवाब दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- आप सुझाव दे रहे हैं, प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं ।

श्री यू.डी.मिंज :- सर, सुझाव भी है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप सुझाव दे रहे हैं, कुछ प्रश्न पूछिए ना । प्वाइंटेड प्रश्न पूछिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री यू.डी.मिंज :- इसमें और ऐसा कोई प्रश्न नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय रामपुकार जी ।

श्री रामपुकार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि प्रश्न जिला जशपुर से संबंधित है । भवन विहीन केन्द्रों की संख्या 248 है, जिनमें से 145 भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है । इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि मैं जानना चाहता हूं कि पत्थलगांव ब्लॉक में कितने भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्र हैं और इस आंकड़े में से कितने स्वीकृत किए गए हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- पत्थलगांव ब्लॉक तो जशपुर जिले में ही आता है, इसलिए आप बताना चाहें तो बता सकती हैं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, इसमें जशपुर जिले का ही प्रश्न था इसलिए ।

अध्यक्ष महोदय :- पत्थलगांव भी वहीं है ना, देखिए ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सर, एक बार फिर से रिपीट करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न एक बार और रिपीट कर दीजिए ।

श्री रामपुकार सिंह :- मेरा प्रश्न इस प्रकार रहा कि जिले के अंतर्गत 248 भवनविहीन बताया गया है और उसमें से 145 आंगनबाड़ी के भवन स्वीकृत किये गये हैं । मैं यह जानना चाहता हूं इन स्वीकृत भवनों में से पत्थलगांव विकासखंड में कितने हैं और कितने भवन विहीन रह जाएंगे ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, पत्थलगांव भवनों की जानकारी मैं आपको अलग से उपलब्ध करवा दूंगी और जो अस्वीकृत हैं उनको भी जल्दी स्वीकृत कराने की कोशिश करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय:- जल्दी से इनको जानकारी भेज दीजिएगा ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- जी ।

<u>जांजगीर-चाम्पा जिलांतर्गत हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान</u>

9. (*क्र. 400) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चाम्पा के अंतर्गत कितने व्यक्तियों को विभिन्न योजना अंतर्गत पेंशन दी जाती है ? योजना के नाम, राशि सहित विकासखण्डवार जानकारी बतायें ? (ख) उक्त पेंशन धारी हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान किस माध्यम से किया जाता है एवं कितने माह में पेंशन भुगतान की जाती है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया) : (क) जिला जांजगीर-चाम्पा अंतर्गत विभिन्न योजनांतर्गत दी जा रही पेंशन योजना का नाम व राशि सहित विकासखण्डवार जानकारी †

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) डी.बी.टी. के माध्यम से हितग्राहियों को प्रतिमाह पेंशन भुगतान की जाती है. ऐसे ग्राम जहां से तीन किलोमीटर की दूरी के भीतर बैंक स्थापित नहीं है, वहां पर नगद भुगतान द्वारा.

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पेंशन से संबंधित है । माननीय मंत्री महोदया ने बताया है कि प्रत्येक माह में सभी हितग्राहियों को पेंशन की राशि डीबीटी के द्वारा भुगतान किया जाता है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जांजगीर-चांपा जिले में पेंशन नहीं मिलने के या 6 महीने, 8 महीने, 1साल से पेंशन नहीं मिलने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर-चांपा में अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम जिलाध्यक्ष, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 100 पत्र तो मैंने लिखा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके लिए प्रश्न है कि 100 पत्र आपने कितने दिनों में लिखे ?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय मंत्री जी, मैं आपसे व्यक्तिगत अनुरोध कर रहा हूं कि यह पेंशन, असहाय लोगों को मिलती है, नि:शक्त लोगों को मिलती है, वद्ध लोगों को मिलती है । इसमें भयानक अनियमितता है, 6-6 महीने, 8-8 महीने में भुगतान किया जा रहा है । कृपया इसको दिखवाएं और प्रत्येक माह नियमित भुगतान करवाएं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने यह कहा कि 3 किलोमीटर पर बैंक है, वहां हम नगद भुगतान की व्यवस्था करते हैं । जांजगीर-चांपा जिले में कितने ग्राम पंचायतों में आप नगद भुगतान करवा रही हैं, कृपया बताएं ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर-चांपा जिले में बैंक के माध्यम से हमारे विभाग के द्वारा हर महीना हितग्राहियों के खाते में पहुंच जाती है और कुछ राज्यांश जो देते हैं वो डायरेक्ट जनपद के माध्यम से पहुंचती है और लगभग 56 हितग्राही हैं, जिन्हें बैंक मित्र के माध्यम से भुगतान करते हैं ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- मंत्री जी ने कहा कि 3 किलोमीटर में जहां बैंक नहीं है वहां हम नगद भुगतान करते हैं। मैं यही जानना चाहता हूं कि जांजगीर-चांपा जिले में कौन-कौन से ग्राम पंचायत में आप नकद भुगतान करते हैं ? बता दें एक पंचायत होगा, दो होगा, दस होगा, बीस होगा जहां तीन किलोमीटर के दायरे में बैंक नहीं होगा या ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तो मेरा व्यक्तिगत रूप से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि क्या आप नगद भुगतान की व्यवस्था करेंगे ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती अनिला भेंडिया :- हम लोग निरंतर ऐसी जगह में जहां कई बार ऐसा होता है कि 3-3 किलोमीटर की दूरी में बैंक भी नहीं होता। इसलिए थोड़ी दूरी का भी प्रभाव पड़ता है और ऐसी स्थिति में हम लोग लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं कि बैंक मित्र के द्वारा हम लोगा जहां तक हो सके वहां तक भुगतान कराने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री केशव चन्द्रा :- नहीं-नहीं। मैं यही जानना चाह रहा हूं कि जांजगीर-चांपा जिले में आप कितने ग्राम पंचायत में नगद भुगतान की व्यवस्था किये हैं ? आपका उत्तर है कि तीन किलोमीटर की दूरी में जहां बैंक नहीं है, वहां हम नगद भुगतान करते हैं तो जांजगीर-चांपा जिले में कोई ग्राम पंचायत होगा तो बता दीजिए।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अलग-अलग ग्राम पंचायतों से है। मैं आपको लिस्ट उपलब्ध करा दूंगी। 56 व्यक्तियों को हम लोग बैंक मित्र के द्वारा भुगतान करते हैं और अलग-अलग पंचायतों का मैं आपको जानकारी उपलब्ध करा दूंगी।

अध्यक्ष महोदय :- सौरभ सिंह जी।

श्री केशव चन्द्रा :- मेरा एक अंतिम प्रश्न है।

श्री अजीत जोगी :- आप लिखित में ले लेना जो भी जानकारी चाहिए आपको।

श्री केशव चन्द्रा :- आपके जनघोषणा पत्र में 1000 रूपये प्रतिमाह, 1500 रूपये प्रतिमाह विधवा पेंशन 1000 रूपये प्रतिमाह करने की घोषणा की गई है। यह पेंशन आप कब तक बढ़ायेंगे ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आपकी चिंता जायज है पर आप जान रहे हैं कि 5 साल की अभी अवधि है और धीरे-धीरे हमारी सरकार बढ़ा रही है एक-एक करके, वह भी बढ़ जाएगा। आप चिंता मत करिए।

अध्यक्ष महोदय :- सौरभ सिंह जी।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब में मुख्यमंत्री पेंशन योजना के बारे में आया है।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, यह सवाल सिर्फ जांजगीर-चांपा जिले का है। अन्य जिलों के विधायकगण जो आप लोग जानना चाहते हैं, मैं समझता हूं मेरे हिसाब से ठीक नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह समस्या पूरे प्रदेश की है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विषय में माननीय मंत्री जी का बहुत नीतिगत जवाब आया है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, सौरभ जी पहले पूछेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री सौरभ सिंह :- आपने अपने जवाब में दिया है मुख्यमंत्री पेंशन योजना। उसमें सारे विकासखंडों की जानकारी है। अकलतरा विकासखंड में 835 ही स्वीकृत हुआ है। मैं आपके बाकी विकासखंडों में किसी में तीन हजार, दो हजार है, अकलतरा विकासखंड का आधे ग्राम पंचायतों का प्रकरण अनुमोदन के के लिए जिला पंचायत में पिछले 4 महीने से लंबित है तो आपसे मेरा निवेदन है कि कृपापूर्वक दिशा-निर्देश दें कि 835 का जो लंबित प्रकरण है। जिला पंचायत अनुमोदन होकर आये तो लोगों को लाभ मिलना प्रारंभ हो जायेगा।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- इसमें जो पात्र हितग्राही होंगे, उनको फायदा होगा।

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत सिंह जी। आपका क्वेश्चन क्रमांक 10।

<u>कृषकों को प्रमाणिक बीज का वितरण</u>

10. (*क्र. 591) श्री धर्मजीत सिंह : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरीफ वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में प्रदेश के किसानों से किन-किन फसलों के प्रमाणिक बीज कितनी-कितनी मात्रा में खरीदे गये ? जिलेवार बतायें ? (ख) कंडिका "क" के वर्षों में प्रदेश के कितने किसानों को प्रमाणिक बीज वितरित किये गये जिलेवार बतायें ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) खरीफ वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में प्रदेश के किसानों से क्रय की गई फसल का जिलेवार एवं फसलवार विवरण ††[5] संलग्न प्रपत्र "अ" पर है. (ख) कंडिका "क" के वर्षों में कृषि एवं उद्यानिकी फसलों के प्रमाणिक बीज वितरण से लाभान्वित कृषकों की संख्या †† संलग्न प्रपत्र "ब" एवं प्रपत्र "स" पर है.

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, यह प्रश्न इसलिए पूछा था कि किसानों को प्रमाणित बीज नहीं मिलने के कारण उनका बीज अंकुरित नहीं होता और उनको बहुत नुकसान होता है। अब ज्यादा प्रश्न पूछने का समय भी नहीं है। मल्टीनेशनल कंपयियां जो बीज देती हैं यहां, वह विभाग को दिखाते हैं ए क्लास का और किसानों को देते हैं सी क्लास का। वह जर्मीनेट नहीं होता है। आपके आंकड़े में आपने बताया है कि 2015-16-17 में सबसे कम प्रमाणित बीज किसानों ने दिया और सिर्फ 6 लाख 57 हजार 536 किसानों को बीज वितरित किया गया जबकि किसान छत्तीसगढ़ में लगभग 16 लाख रजिस्टर्ड हैं तो साढ़े नौ लाख किसान बीज नहीं पा रहे हैं तो उन्हें प्रमाणित बीज देने का आप इंतजाम करेंगे क्या ? और मल्टीनेशनल कंपनियां जो गलत तरीके से अफसरों से मिलकर रिश्वतखोरी करके कमिशन खाकर गलत-सलत बीज बांटते हैं उन पर जांच कराएंगे क्या ?

[5] †† परिशिष्ट छ:

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न समाप्त करें।

श्री धर्मजीत सिंह :- जी हां।

अध्यक्ष महोदय :- कोई पूरक प्रश्न नहीं।

श्री धर्मजीत सिंह :- अब जांच कराएंगे बोल दिये हैं, मैं दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :-आप धन्यवाद दे दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- चौबे जी के लिए शुरू से धन्यवाद और आज भी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री रविन्द्र चौबे :- बात यह है कि जितना विस्तृत प्रश्न है अजय जी और ऊपर जो घड़ी के कांटे हैं, उसकी इजाजत नहीं दे रहा है लेकिन भावनाओं से मैं सहमत हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं दूसरी बात कह रहा था। जो गैर वित्तीय चीजें हैं, उसमें तुरंत हां बोलवा लो।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं जी हां कहा न।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं वही तो बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त । उमेश पटेल जी।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय

12.00 बजे **पत्रों का पटल पर रखा जाना**

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2017-18

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एंव संचालन) नियम, 2005 के नियम 22 एवं नियम 23 के उप नियम (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2017-18 पटल पर रखता हूँ।

पृच्छा

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार ने एक तरफ किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की है। वहीं पूरे प्रदेश में किसान सहकारी समितियों के पास नो ड्यूज लेने के लिए भटक रहे हैं। सहकारी समितियां किसानों को न तो नो ड्यूज दे रही है और न किसानों को कुछ लिखकर दे रही है। किसान सहकारी समितियों को छोडकर अन्य बैंकों से लोन लेना चाहते हैं। परन्तु नो ड्यूज के चलते उनको लोन नहीं मिल पारहा है। रबी की फसल के लिए किसानों के पास एक बड़ी समस्या खडी हो गई है। यह सरकार दोहरी बातें कर रही हैं। एक तरफ किसानों की कर्ज मुक्ति की बातें करती है, पैसा जमा करने की बात करती है, वहीं किसानों को नो ड्यूज दिया जा रहा है। इससे पूरे प्रदेश के किसान आक्रोशित हैं। मैंने इस पर ध्यानाकर्षण दिया है, इसे स्वीकार कर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय को माननीय श्री शिवरतन शर्मा जी ने उठाया, हम लोगों ने उससे एक कदम आगे बढ़कर, मैंने अपने बजट भाषण में भी इस बात कहा था कि जो किसान रबी के लिए व्यवसायिक बैंक से खरीफ के लिए एक साथ कर्ज लेता है, उनकी माफी नहीं होने के बाद, सोसायटी से जो कर्ज मि ला है, उनका नो ड्यूज नहीं होने के कारण पूरे प्रदेश में जहां-जहां फसल दे रही है, वहां-वहां के किसान भटक रहे हैं। धान लगा लेने के बावजूद उनका कोई कृषि कार्य पूरी तरह से ठप्प पडा हुआ है और यह सरकार की गलत नीतियों के कारण है। अध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध है कि हमने स्थगन, ध्यानाकर्षण दोनों दिया है।

श्री अरूण वोरा :- आप भाषण दे रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आप भाषण देना शुरू कर दिए। गलत नीतियों की बात कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- वे आसंदी की अनुमति से बोल रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है कि आप तत्काल कार्यवाही रोककर चर्चा करवायें।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- भाषण देने की जरूरत नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी बात शून्यकाल में आपकी अनुमति से रखी है। माननीय सत्यनारायण जी को यहां बैठे-बैठे व्यवस्था देने की आदत पड़ गई है। इस पर रोक लगाये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। नेता जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो बोलूंगा, वह मेरा मौलिक अधिकार है। वह व्यवस्था नहीं दे सकते कि मैं कितना कब,क्या बोलूं। ये आदत को ठीक करिये। मैं इनसे सीखूंगा नहीं। मुझे उनसे सीखने की जरूरत नहीं है कि शून्यकाल में क्या बोलना है, कैसे बोलना है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी विषय को लेकर, खाद-बीज और नो ड्यूज को लेकर किसान आक्रोशित हैं। इसी विषय को लेकर महासमुन्द के किसान सरकार के वादा खिलाफी को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। वहां बैठकर सरकार से उस वादे को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। यदि इस पर चर्चा करायेंगे तो वृहद रूप से उसमें और भी बातें आयेंगी।

समय :
12:03 बजे **(सभापति महोदय (श्री अमरजीत भगत) पीठासीन हुए)**

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चाम्पा) :- माननीय सभापति महोदय, जिन विषयों को माननीय शर्मा जी और बाकी लोगों ने रखा है, वास्तव में पूरे प्रदेश में किसानों की जो स्थिति है, वह अत्यंत दयनीय होती जा रही है। खाद बीज की समस्या, सहकारी समिति से किसानों को निराशा, हम लोगों ने इस पूरे विषय पर ध्यानाकर्षण और स्थगन दिया है। किसान ही छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा व्यक्ति है। अगर किसान हताश है, किसान परेशान है और अगर इस विषय पर सरकार गंभीर नहीं है तो यह अत्यंत ही चिंता का विषय है।

श्री बृहस्पत सिंह :- चलिये अच्छी बात है। आपको 15 साल बाद याद आ रहा है कि किसान बहुत महत्वपूर्ण है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री नारायण चंदेल :- इसीलिए इस विषय को लोक महत्व का विषय मानते हुए हमने ध्यानाकर्षण और स्थगन दिया है। इस पर चर्चा करायें।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपको 15 साल बाद याद आया कि किसान बहुत महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय :- चंदेल जी, ठीक है। आपने ध्यान आकर्षण कर दिया है।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, पूरे जांजगीर-चाम्पा जिले में, सरकार ने कहा है कि हम पानी दिए हैं। रबी फसल के लिए पानी दे दिए हैं और किसानों को नो ड्यूज नहीं मिल रहा है। इस कारण उनको खाद नहीं मिल रहा है तो फिर वे कैसे खेती करेंगे ?

सभापति महोदय :- ठीक है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विज्ञापन में छपवाया है कि हमने 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर दिया। आज सरकार को गठित हुए दो महीने हो गए हैं। अगर आपनी कर्ज माफी की है तो किसानों को नो ड्यूज देने में क्या आपत्ति है ? ये सारी गलत बातें प्रचारित कर रहे हैं। किसानों को नो ड्यूज दिलाये ताकि किसान रबी के लिए कर्ज ले सके। अगर आपने कर्ज माफी की है तो नो ड्यूज दिलाये न।

सभापति महोदय :- अब ध्यानाकर्षण ली जायेगी। माननीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, यह बहुत गंभीर विषय है, किसानों से संबंधित मामला है । सरकार किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की है तो नो ड्यूस क्यों नहीं दे रही है ?.........(व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- सभापति महोदय, सारे जगहों में नो ड्यूज नहीं मिला है, बहुत सारे किसानों ने शिकायत की है कि नो ड्यूज उपलब्ध नहीं हुआ है करके । .....(व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोगों ने ध्यानाकर्षण दिया है न । .....(व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, किसानों का कर्ज माफ किया गया है तो किसानों को नो ड्यूस भी दिलवाइए.....(व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय सत्यनारायण शर्मा जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, फिर आग्रह करते हैं कि किसानों के मुद्दे में सभी काम रोककर तत्काल चर्चा कराई जावे ।

श्री सौरभ सिंह :- ये सबसे बड़ा विषय है.....(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- सभापति महोदय, केवल एक जिले का नहीं, पूरे प्रदेश का मामला है । .....(व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- ये तो दुर्गति हुई और 15 सीट में आ गए । किसानों के हितैषी रहते तो ये हालत नहीं होती ।.....(व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- आपके पिछले पांच साल के कार्यकाल में 24सौ किसानों ने आत्महत्या की है ।.....(व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- सभापति महोदय, किसानों के साथ धमतरी जिले में क्या हुआ था, चन्द्राकर जी बताईए ।.....(व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सहयोग करें, आज विभाग की चर्चा भी होनी है और ध्यानाकर्षण भी लेना है इसलिए आपसे आग्रह है कि सहयोग करें । .....(व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- सभापति महोदय, किसानों को बोनस भी नहीं दिया और आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं.....(व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- सभापति महोदय, 15 सालों में इन लोगों ने कुछ नहीं किया और अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं । घड़ियाली आंसू बहाना बंद करो ।

डा. लक्ष्मी ध्रुव :- सभापति महोदय, आपने किसानों के साथ क्या किया, पहले अपने गिरेबान में झांककर देखिए ।.....(व्यवधान)

सभापति महोदय :- सदन में इस प्रकार की कोई नो-ड्यूज के लिए सूचना नहीं है इसलिए जब सूचना आयेगी तब इसमें चर्चा कराएंगे ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्‍वारा नारे लगाए गए)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, हमने दिया है... .....(व्यवधान)

सभापति महोदय :- इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, इस विषय में माननीय शिवरतन शर्मा जी के द्‍वारा सूचना दी गई है और बाकी सदस्य भी सूचना देंगे । आप इसमें सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराएं, ये बहुत गंभीर विषय है, कोई एक जिले का मामला नहीं है, पूरे प्रदेश का मामला है और खासकर किसानों का मामला है । इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, अगर आपने किसानों का कर्ज माफ किया है तो

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

किसानों को नो ड्यूज दिलाने में सरकार को क्या आपत्ति है, सरकार बने दो महीने से अधिक हो गए हैं.....(व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, आप इस संबंध में चर्चा नहीं करा रहे हैं, उसके विरोध में हम सदन से बहिर्गमन करते हैं ।

समय :
12:07 बजे

बहिर्गमन

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा किसानों के संबंध में चर्चा नहीं कराने के विरोध में

(श्री धरम लाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा किसानों से संबंधित चर्चा नहीं कराने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

समय :
12:08 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

1. गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से मौंते होना

श्री सत्यनारायण शर्मा (रायपुर-ग्रामीण) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

गरियाबंद जिला के सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से मौत का सिलसिला 2005 से निरंतर अभी तक जारी है और अब तक लगभग 70 मौतें हो चुकी हैं, किन्तु इन मौतों का कारण किडनी संबंधी बीमारी न होकर अन्य कारण बताये जा रहे हैं, जबकि स्थानीय निवासियों के अनुसार उक्त मौंते किडनी संबंधी बीमारी से हुई हैं । हर साल इन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है । किडनी की बीमारी से जुझ रहे अनेक ग्रामीणों की हालत बढ़ती जा रही है । किडनी की समस्या से जूझ रहे अनेक ग्रामीणों की हालत निरंतर खराब होती जा रही है और उन्हें राज्य के बाहर पड़ोसी राज्य उड़ीसा में इलाज के लिए भर्ती कराया जा रहा है । शासन प्रशासन द्वारा इलाज के सिर्फ दावे किए गए, किन्तु इसकी रोकथाम नहीं हुई है । स्वास्थ्य क्षेत्र में न तो किडनी विशेषज्ञ डाक्टर हैं और न ही उनके द्वारा क्षेत्र के गांवों में जाकर जांच एवं ईलाज किया जा रहा है । बीमारी के डर से सुपेबेड़ा एवं आसपास के ग्रामों से ग्रामवासियों का पलायन निरंतर जारी है । किडनी की बीमारी के चलते इस ग्राम के बच्चों की शादी ब्याह एवं अन्य सामाजिक संबंध रखने से अन्य ग्रामों के निवासी परहेज कर रहे हैं । इन सब बातों को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल और उनमें आक्रोश व्याप्त है ।

समय :
12:09 बजे

(अध्यक्ष महोदय(डॉ.चरण दास महंत) पीठासीन हुए)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है कि गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में असामयिक मौत का सिलसिला निरंतर अभी तक जारी है, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि सुपेबेड़ा में वर्ष 2005 से अब तक प्राप्त जानकारी के आधार पर कुल 68 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है, जिनके रक्त में यूरिया एवं क्रिएटिनीन मानक मात्रा से अधिक थे, किन्तु यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि उक्त मौंते किडनी बीमारी से हुई है ।

यह भी सत्य नहीं है कि किडनी बीमारी से मौंते होने की जानकारी तथा हर साल मरीजों की संख्या बढ़ रही है, किडनी बीमारी से जुझ रहे अनेक ग्रामीणों के हालत निरंतर खराब हो रहे हैं और उन्हें राज्य के बाहर पड़ोसी राज्य उड़ीसा में ईलाज के लिए भर्ती कराया जा रहा है । शासन-प्रशासन द्वारा ईलाज के सिर्फ दाये किये गए, किन्तु इसकी रोकथाम नहीं हुई है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य शासन द्वारा ग्राम सुपेबेड़ा एवं आश्रित ग्रामों में विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर समुचित एवं बेहतर स्वास्थ्य परामर्श निरंतर दिया जा रहा है तथा मरीजों की बीमारी के अनुरूप आवश्यकतानुसार उच्च स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कराने के लिए जिला चिकित्सालय एवं मेकाहारा रायपुर को रेफर किये जा रहे हैं ।

राज्य शासन द्वारा ग्राम सुपेबेड़ा एवं आश्रित ग्रामों के लिए निम्नानुसार स्वास्थ्य सुविधा प्रदाय किये जाने की व्यवस्था की गई है-

1. ग्राम सुपेबेड़ा में सप्ताह के कुल 9 स्वास्थ्य शिविर आयोजित की जा चुकी है । पं. जवाहरलाल नेहरू स्कृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर भेजे गये मरीजों की संख्या 25, दिनांक 7.7.2017 से 19.1.2019 तक रक्त नमूने की संख्या 681, सुपेबेड़ा में अस्थायी शिविर 2.12.2017 से आज तक ओपीडी में देखे गये कुल मरीजों की संख्या 902 है एवं फालोअप मरीजों की संख्या 278 है, दिनांक 19.1.2019 पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के विशेषज्ञ टीम द्वारा ग्राम सुपेबेड़ा में केम्प लगाया गया । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर से सतत तौर पर चिकित्सकीय सुविधायें प्रदाय की जा रही है ।
2. दिनांक 24.3.2018 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवभोग में मरीजों के लिए सेमी-आटोएनालाईजर मशीन स्थापित कर ली गई है । किडनी फंक्शन टेस्ट के अंतर्गत अब तक ओ.पी.डी. में आये हुये मरीजों का ब्लड-यूरिया, सीरम क्रियेटिनीन एवं सीरम इलेक्ट्रोलाईट की जांच की जा रही है । इसके अतिरिक्त लीवर फंक्शन टेस्ट भी किये जा रहे हैं ।
3. सीएचसी देवभोग में सेम्पल जांच से संभावित मरीज को डायलिसिसके लिए सलाह दी जाती है ।
4. सीएचसी देवभोग में सभी दवाईयां उपलबध करा दी गई है । ग्रामीणों को किडनी संबंधित बीमारी से बचाव हेतु डाईट चार्ट एवं मरीजों हेतु स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करा दी गई है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

5. डायलिसिस मशीन के सुचारू संचालन हेतु सीएचसी देवभोग 2 मेडिकल ऑफिसर एवं 2 लैब टेक्निशियन,3 स्टाफ नर्स को प्रशिक्षण हेतु डी.के.एस. सुपरस्पेशिलिटी हॉस्पिटल पी.जी. इंस्टभ्टयूट में दिनांक 5.2.2019 से 20.02.2019 तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।
6. ग्राम सुपेबेड़ा में उपस्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति प्रदाय की गई है । भवन का चिन्हांकन कर लिया गया है ।
7. सुपेबेड़ा उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु स्वास्थ्य कर्मचारी का 2 पदों की स्वीकृति दी गई है ।
8. ग्राम सुपेबेड़ा में मेडिकल ऑफिसर की सेवा उपलबध कराने हेतु सीएचसी देवभोग एवं जिला चिकित्सालय से मेडिकल ऑफिसर की प्रतिदिन सोमवार से शनिवार रोस्टर डयूटी लगाई गई है ।
9. जिला गरियाबंद में 2 ग्रामीण मोबाईल मेडिकल यूनिट का संचालन किया जा रहा है । जिसमें से 01 ग्रामीण मोबाईल मेडिकल यूनिट को वि.ख.देवभोग में संचालित किये जाने हेतु तथा प्रत्येक सप्ताह में एक दिवपस हेतु ग्राम पेबेड़ा विकासखण्ड देवभोग में अनिवार्य रूप से संचालन करने शासन द्वारा सेवा प्रदाता एजेंसी को निर्देशित किया गया है ।
10. डी.के.एस.सुपरस्पेशिलिटी हॉस्पिटल पी.जी.इदंस्टीटयूट एवं रिसर्च सेंटर रायपुर से किडनी रोग विशेषज्ञ चिकित्सक एवं उनकी टीम द्वारा ग्राम सुपेबेड़ा में क्रॉनिक किडनी डिसिस (सी.के.डी.) मरीजों की जांच की गई, जिनमें ओ.पी.डी. में देखे गये मरीजों की संख्या 71 जिनमें से 14 मरीजों का जांच एवं उपचार किया गया एवं 4 मरीजों को उच्च स्तरीय चिकित्सकीय उपचार हेतु डी.के.एस.सुपरस्पेशिलिटी हॉस्पिटल पी.जी. इंस्टीटयूट एवं रिसर्च सेंटर रायपुर आने की सलाह दी गई । कुल ब्लड सेंपल 17 लिया गया ।
11. दिनांक 02 फरवरी 2019 को मेरे एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री द्वारा सचिव, स्वास्थ्य के साथ ग्राम सुपेबेड़ा का भ्रमण किया गया एवं जन समुदाय एवं पीड़ित मरीजों के हालचाल की जानकारी प्राप्त कर एवं मरीजों द्वारा बताये गये तकलीफों को ध्यान में रखते हुये तत्काल विशेष स्वास्थ्य शिविर में समुचित उपचार कराने तथा आवश्यकता के अनुरूप बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए जिला चिकित्सालय एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के सलाह के अनुरूप डायलिसिस कराने के लिए मेकाहारा रायपुर में आने की सुझाव दिये हैं ।
12. मेरे द्वारा ग्राम सुपेबेड़ा भ्रमण में ग्रामवासियों को दिये ये आश्वासन के अनुरूप एक मोबाईल मेडिकल यूनिट सेवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवभोग जिला गरियाबंद को उपलबध करायी गयी है ।

यह कहना सही नहीं है कि बीमारी के डर से सुपेबेड़ा एवं आसपास के गामों से ग्रामवासियों का पलायन निरंतर जारी है । अपितु वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम पंचायत सुपेबेड़ा के सचिव से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार विगत एक वर्ष से ग्राम सुपेबेड़ा क्षेत्र से किसी का पलायन अन्य क्षेत्र में नहीं हुआ है । यह

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कहना भी सही नहीं है कि किडनी की बीमारी के चलते इस ग्राम के बच्चों से शादी-ब्याह एवं अन्य सामाजिक संबंध रखने से अन्य ग्रामों के निवासी परहेज कर रहे हैं। सत्य यह है कि विगत तीन माह में सुपेबेड़ा ग्राम के सानझाजरपारा में कु. लहबारू का विवाह श्री मकरसिंह से, ग्राम के ही बंदपारा में कु. ग्वादि का विवाह श्री गंभीर से, एवं बंदपारा में ही कु. खेमानिधी का विवाह श्री टंकधर से संपन्न हुआ है। अत: यह कहना पूर्णत: असत्य है कि क्षेत्र में किडनी की बीमारी के चलते सामाजिक संबंध स्थापित नहीं किये जा रहे हैं। अपितु वास्तविकता यह है कि शासन-प्रशासन द्वारा ग्रामीणों की बीमारी के निदान एवं उपचार हेतु किये जा रहे प्रयासों से आम जनता आशान्वित है तथा इन सब बातों को लेकर ग्रामीणों में किसी भी प्रकार का दहशत का माहौल नहीं है तथा उनमें किसी भी प्रकार का कोई आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह तो स्वीकार किया है कि 68 मौतें हुई हैं और उसका कारण रक्त में यूरिया और क्रियेटिनिन की मात्रा का अधिक होना है। जब क्रियेटिनिन की मात्रा बढ़ती है तो इसका सीधा असर किडनी पर होता है और किडनी डैमेज होती है। माननीय मंत्री जी ने दौरा किया, लोगों को आश्वस्त किया इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा। इनके द्वारा सबसे अच्छी बात यह हुई है कि इन्होंने डायलिसिस मशीन के सुचारू रूप से संचालन के लिए 05 02-2019 से 20-02-2019 तक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व सरकार के समय तो कुछ नहीं हुआ लेकिन मंत्री जी, आपने कम से कम ये किया। मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। माननीय लोक स्वास्थ्य मंत्री जी और आप दोनों ने इस गांव का भ्रमण किया, माननीय लोक स्वास्थ्य मंत्री जी भी यहां पर हैं, यह सामूहिक जिम्मेदारी भी होती है, एक बार वहां के पानी की जांच और पानी की समुचित व्यवस्था करा दें। वहां के लोगों को शुद्ध पेयजल मिले और लोगों के रक्त में क्रियेटिनिन की मात्रा कैसे कम की जा सकती है उसका समुचित उपचार कराने की व्यवस्था क्या माननीय मंत्री जी करेंगे?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हॉ, करेंगे।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है कि यह विषय विधानसभा के चतुर्थ कार्यकाल में भी लगातार उठा है और माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा सुपेबेड़ा में जितने लोग किडनी की बीमारी से मृत हुए, उनके लिए प्रति परिवार के हिसाब से 10 लाख रूपये की मांग इस सदन में की गई थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि श्री भूपेश बघेल जी ने चतुर्थ विधानसभा के कार्यकाल में जो प्रति परिवार के हिसाब से 10 लाख रूपये की मांग

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

इस सदन में की थी, उस मांग को आप पूरा करेंगे क्या? मृतक परिवार को 10 लाख रूपये देने की व्यवस्था करायेंगे क्या?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस पारी में थे उस समय तो विचार नहीं हुआ लेकिन आपने अगर ये बात उठाई है तो मैं जरूर मुख्यमंत्री जी के ध्यान में इस बात को ला दूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्णय तो आपको करना है। जब आप मांग कर रहे थे, हमने नहीं किया, जो आपकी मांग थी उस मांग को तो आपको पूरा करना चाहिए, सदन में घोषणा कर देनी चाहिए। या फिर आप उस समय गलत मांग कर रहे थे, राजनीति करने के लिए मांग कर रहे थे, यह आप बता दीजिए।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) - शिवरतन भैय्या, मेरा ही ध्यानाकर्षण था, आपको याद है? आपके मंत्री जी मानने को तैयार नहीं थे कि वहां किडनी की बीमारी से कोई बीमार है और वहां के पानी में कोई समस्या है। इसके लिए हम लोग ध्यानाकर्षण लगाते-लगाते, बोलते-बोलते थक गये थे।

श्री बृहस्पत सिंह :- और आप बोलने को भी तैयार नहीं थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो खाली याद दिला रहा हूं कि कथनी और करनी का अंतर क्या होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था तो खुद कर दीजिए। हमने गलत किया तो हम स्वीकार कर लेते हैं लेकिन आपने जो कहा उसको तो पूरा करें।

श्री मनोज सिंह मंडावी :- कुछ नहीं किया उसके बाद ये सारी चीज कर रहे हैं।

श्री डमरूधर पुजारी :- अध्यक्ष महोदय, ये मेरे क्षेत्र का मामला है और जब उस समय पी.सी.सी. अध्यक्ष जी गये थे जो कि इस समय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा था कि प्रत्येक मृतक परिवार को 10 लाख रूपये देंगे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे। वह कहां गये, अभी दे देते? महोदय जी, उसकी घोषणा कर देते कि कब देंगे?

श्री मनोज मंडावी :- अध्यक्ष जी, आप ही बता दो कहां गया, उसकी सरकार आपकी सरकार। आप उस समय कहां थे। आपकी सरकार थी कहां गयी बता दो।

श्री डमरूधर पुजारी :- अध्यक्ष जी, अभी कर देते, मेरे क्षेत्र का मामला है।

श्री मनोज मंडावी :- अध्यक्ष जी, आपकी सरकार तो मानने के लिए तैयार नहीं थी। (व्यवधान)

मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने गरियाबंद में .....।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- अध्यक्ष जी, मैं निश्चित रूप से डॉ. रमन सिंह जी, सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा कि उनने क्यों इनकी सहमति नहीं दी थी और जो आपकी बात है वो मैं वर्तमान मुख्यमंत्री जी की ....। (मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, अब आपको पूछने की जरूरत नहीं है। अब आपको निर्णय करने का अधिकार है। (व्यवधान)

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष जी, देखिए इतना बड़ा अनुभव है, उसका लाभ तो लेने दीजिए।

श्री केशव चंद्रा :- अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी अब तो आप दाता बन गये हैं।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, इस बात के लिए सहमत हैं कि कुछ पूछ के और आगे काम करेंगे तो मैं कहता हूं कि यदि उस समय मांग इधर रहते हुए किये थे और जनता ने आपको मौका दिया आप वहां पहुंच गये तो ये एक परिवर्तन हुआ है। कम से कम उस समय के मांग, जो आप यहां नारे लगा लगा के करते थे, ये घोषणा तो कर दीजिए कि उस समय हमने जो मांग किया था, इससे हम सहमत थे। उसको आप पूरा कर सकते हैं। मेरी इसमें हमेशा सहमति रहेगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप क्यों उलझा रहे हैं? आप उलझ रहे हैं।

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की बात है । सुपेबेड़ा जा के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, ...।

अध्यक्ष महोदय :- आप अलग से प्रश्न करिये।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे विधानसभा के माननीय सदस्य श्री अमरजीत भगत जी की शादी की सालगिरह है तो मैं विधानसभा की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- हमारी भी बधाई स्वीकार करें, धन्यवाद ।

श्री मनोज मंडावी :- अध्यक्ष जी, कितने साल हुआ है बता दें, कितना उम्र हुआ है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, आज 14 फरवरी है। आज शायद वेलेन्टाइन्डे आज ही है क्या ? (हंसी) क्यों भाई साहब, उस समय मनाना शुरू कर दिये था क्या ?

श्री मनोज मंडावी :- अध्यक्ष महोदय, उसी की व्यवस्था ही, उसी का व्यवस्थापन है।

2. रायपुर शहर में निर्माणाधीन स्काईवॉक की उपयोगता एवं औचित्यहीन निर्माण

श्री धर्मजी सिंह (लोरमी), श्री बहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- अध्यक्ष महोदय, रायपुर शहर में महज 1.5 कि.मी. लंबाई में बन रहे स्काईवॉक की निर्माण लागत दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, कुल 45-46 करोड़ की लागत अब 80 करोड़ तक बढ़ गई, जो निर्माण आज से 1 साल पहले पूर्ण हो जाना चाहिए था, वह अब भी 60 से 70 प्रतिशत ही पूरा हो पाया है, मगर बजट दो गुना बढ़ गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

शहरवासी स्काईवॉक के उपयोग और इस पर किये जाने वाले बेहिसाब खर्च से अचंभित हैं। स्काईवॉक बनाने का निर्णय चंद अधिकारियों ने निजी कंपनी से सांठगांठ कर ले लिया और आनन-फानन में बिना सोचे समझें काम भी चालू करा दिया, ठेकेदार ड्राईंग डिजाइन को नजर अंदाज कर मनमाफिफ काम करा रहा है। स्काईवॉक का निर्माण 70 प्रतिशत पूरा होने के बाद आला अफसर इसकी उपयोगिता पर प्रश्नचिन्ह खड़े करने में लगे हैं। 21-22 जनवरी, 2019 को समीक्षा बैठक आयोजित कर स्काईवॉक का कांसेप्ट ही बदलने पर विचार किया गया। तथाकथित विशेषज्ञ स्काईवॉक पर बाजार लगाने, दुकान लगाने जैसे अजीबोगरीब सुझाव देकर शहरवासियों के ध्यान हटाने में लगे हैं। न तो काम शुरू होने के पहले किसी भी प्रकार का सर्वे किया, न ही आम नागरिकों, प्रतिनिधियां पर सुझाव मांगा गया, जिसका परिणाम स्काईवॉक अब स्काई सुरंग ही साबित हो गया है। जनता की गाढ़ी कमाई का फिजूल खर्च तथा औचित्यहीन निर्माण से रायपुर शहर के आम नागरिकों में शासन/प्रशासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

लोक निर्माण मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय धर्मजीत सिंह जी ने जो ध्यानाकर्षण लाया है, उस पर शासन का वक्तव्य इस प्रकार से है। रायपुर शहर में निर्माणाधीन स्काईवॉक का निर्माण पैदल यात्रियों को आने जाने के लिए सुरक्षित यातायात की दृष्टि से अति व्यस्ततम शास्त्री चौक पर स्काईवॉक का निर्माण किया जा रहा है। शासन द्वारा इसे वर्ष 2016-17 के बजट में शामिल किया गया, तत्तपश्चात शासन द्वारा कंसलटेंट एस.एन.भोबे एण्ड एसोसिएट्स प्रा.लि. मुंबई को दिनांक 20.09.2016 द्वारा डी.पी.आर. एवं पी.एम.सी. तैयार करने हेतु अनुबंध किया गया। कंसलटेंट द्वारा डी.पी.आर. के अनुसार शास्त्री चौक पर प्रति दिन लगभग 27000 पैदल यात्रियों एवं मेकाहारा चौक पर लगभग 14000 पैदल यात्रियों के आने-जाने का सर्वे किया गया।

कंसलटेंट द्वारा प्रस्तुत डी.पी.आर. एवं प्राक्कलन के आधार पर राशि रू.4908.89 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति विभाग द्वारा दिनांक 08.03.2017 को प्रदान किया गया था, तत्पश्चात् अनुबंध की प्रक्रिया पूर्ण कर मेसर्स जी.एस. एक्सप्रेस प्रा.लि. लखनऊ को दिनांक 24.04.2017 को कार्यादेश जारी कर कार्य प्रारंभ किया गया। स्थल परिस्थिति के कारण एवं कार्य में हुये परिवर्तन के आधार पर विभाग के पत्र दिनांक 13.12.2018 द्वारा राशि रु. 7710.30 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

स्काईवॉक की कुल लंबाई 1470.00 मीटर है (मल्टीलेवल पार्किंग जयस्तम्भ चौक की ओर-614.00 मीटर, अम्बेडकर अस्पताल की ओर-590.00 मीटर एवं शास्त्री चौक पर रोटरी भाग-266.00 मीटर) स्काईवॉक की चौड़ाई मल्टीलेवल पार्किंग एवं अम्बेडकर अस्पताल की ओर-3.75 मीटर, तथा रोटरी भाग में 4.00 मीटर रखी गई है। इस कांसेप्ट में कोई परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वर्तमान में लगभग 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण है एवं कार्य प्रगति पर है। अब तक रु.3644.20 लाख व्यय हो चुका है। विभाग द्वारा दिनांक 21, 22 जनवरी को कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी थी, अपितु महापौर रायपुर द्वारा उक्त तिथि के समीक्षा बैठक में स्काई वॉक के साथ अन्य सुविधाओं चहल पहल बनाये रखने जैसे पालिका बाजार एवं रखरखाव हेतु राजस्व प्राप्ति के बारे में जानकारी चाही गयी थी विभाग द्वारा 32 नग दुकान पूर्व से ही प्राक्कलन में सम्मिलित होना बताया गया। निर्माण कार्य विभागीय अधिकारियों एवं कंसलटेंट की देख रेख में मापदण्ड एवं गुणवत्तापूर्वक कराया जा रहा है।

स्काई वॉक का निर्माण, आम नागरिकों के उपयोग के लिए किया जा रहा है। फिजूल खर्च, औचित्यहीन निर्माण और कमीशनखोरी का कथन सही नहीं है। स्काईवॉक के निर्माण से आम नागरिकों में शासन/प्रशासन के प्रति कोई रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट साहब। आपने कोई रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है। यह आपने लिख दिया, पर आपने उत्तर बनाने के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य जो अनुदान मांगों पर बोले, उसमें सुना था या नहीं सुना था? ये तो मुख्यमंत्री जी की इच्छा के विपरित आपका भाषण है?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय धर्मजीत सिंह जी, आप पूरक प्रश्न करिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय,मैं पूछ रहा हूँ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय :- उनको प्रश्न करने दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक निवेदन है, मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। मेरा निवेदन ये है कि इसी सत्र में प्रदेश सरकार के मुखिया का एक विषय पर वक्तव्य अलग हो और विभागीय मंत्री का वक्तव्य अलग हो, इस विषय पर विचार किया जाना चाहिए। परसों ही सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्काई वॉक के बारे में कहा है और आप आज कुछ कह रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि पहले आपने बजट में प्रावधान कर दिया और बाद में आप उसका डी.पी.आर. बनवा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। आपने ये कौन से प्रकार का प्रावधान किया? ये कंसलटेंट कौन हैं, डी.पी.आर.कौन था? पी.एम.सी. तैयार करने के लिए अनुबंध किससे किया? और इसको आपने ये तैयार करने के लिए कितना रूपया दिया?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में कब सम्मिलित किया था, वर्ष 2016-2017 के बजट में इसका प्रावधान किया गया और कंसलटेंट की नियुक्ति 20.9.2016 के माध्यम शीघ्र...।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको आपके विभाग ने इस काम के लिए इस कंसलटेंट को कितना रूपया दिया, मैं ये पूछ रहा हूँ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कंसलटेन्ट को जो राशि दी जानी है, उसके विषय में चूंकि इसमें कोई उल्लेख नहीं था, मैं उसकी जानकारी आपको दे दूंगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बात यहीं से शुरू होती है, बजट में प्रावधान किया जाता है, इसके पहले कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, सर्वे हुआ है या नहीं हुआ है, माननीय मंत्री जी कंसलटेन्ट का नाम जवाब दे रहे हैं, नेचुरली आपने उसका नाम दिया तो उसको तो पैसा आपके विभाग ने दिया होगा, वह कोई छत्तीसगढ़ का तो हितैषी नहीं है कि मुम्बई से आकर यहां कंसलटेन्सी करेगा, डी.पी.आर. बनायेगा, सर्वे करेगा।

श्री अमरजीत भगत :- धर्मजीत भैया, बगल से पूछ लीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- मेरे को सरकार से पूछना है, मेरे को उनसे क्यों पूछना है ? मैं तो उन्हीं के खिलाफ पूछ रहा हूं न। अगर जानकारी न हो तो आप पूछकर बता दो। आप उनसे पूछो, मैं तो उन्हीं की सरकार के खिलाफ पूछ रहा हूं।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- धर्मजीत भैया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि आपको बुलाकर चर्चा कर लेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपके मंत्रिमंडल के सहयोगी क्यों बोल रहे हैं कि कोई रोष व्याप्त नहीं है ? आप भाषा को सुधरवाओ। आप बोल दो कि रोष व्याप्त है, मैं चुप हो जाऊंगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपको बुलाकर चर्चा कर लेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विचित्र कंसलटेन्सी आपने तय किया, मेकाहारा में प्रतिदिन 14 हजार पैदल यात्री और शास्त्री चौक में 27 हजार पैदल यात्री चलते हैं।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय धर्मजीत भैया, यह पुराना सर्वे है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप तो रायपुर के विधायक हो, जब तक के विधायक नहीं थे तो रोज जुलूस निकालते थे।

श्री कुलदीप जुनेजा :- धर्मजीत भैया जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र का है, उसका बनाने का कोई औचित्य नहीं था। मैं आपकी बात से सहमत हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- वही तो, आप वहां नहीं बोल पा रहे हो, मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं, मैं यहां से आपकी ही बात कह रहा हूं न। उसका कोई औचित्य नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं। मैं कहां बोल रहा हूं कि इसका बहुत औचित्य है बना दो। मेरा चले तो अभी शाम को बुलडोजर दौड़ा दूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- यह भी उससे प्रताड़ित हैं। वहां जो पानी गिरता था न, जहां ये बैठते हैं, उनके सिर के ऊपर गिरता था।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी, सभी प्रताड़ित हैं।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, जनहित में बहुत ही बड़ी समस्या है, इसको डायलूट मत करिये, चर्चा होने दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डिबेल कर देते हैं न। माननीय मंत्री जी हिन्दुस्तान में किसी भी शहर में कम से कम 25-50 बड़े शहर मैं भी गया हूं, इतना बड़ा स्काईवॉक आज तक कहीं बना हो तो आपकी जानकारी में हो तो मेरे को बताओ। मैं फारेन भी गया हूं, 20 कंट्री घूमा हूं और हिन्दुस्तान के भी सब बड़े-बड़े शहरों में घूमा हूं। इतना बड़ा स्काईवॉक कौन सी बुद्धि से आपके विभाग के अधिकारी तैयार किये, आप तो उसमें नहीं हैं, आप चूंकि उसके लिए जिम्मेदार भी नहीं हैं, इसलिए आप बेखौफ होकर जवाब दो न। आप थोड़ी बनाये हो, ताम्रध्वज साहू ने निर्णय नहीं लिया है, आप तो विभाग के मंत्री की हैसियत से जवाब दे रहे हैं, क्या 27 हजार पैदल यात्री शास्त्री चौक में चलते हैं ? क्या 14 हजार लोग मेकाहारा के पास आते हैं ? क्या आप हिन्दुस्तान के किसी बड़े शहर में इतना बड़ा स्काईवॉक देखे हैं ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में इतना बड़ा स्काईवॉक कहां देखे हैं या नहीं देखे हैं यह तो मैं नहीं कह सकता।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं पूछ रहा हूं क्या आप देखें हैं ? मैं तो नहीं देखा हूं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा स्काईवॉक देखने के दृष्टिकोण से मैं तो भ्रमण ही नहीं किया हूं। मैं तो अपने काम से मुम्बई गया, अपने ढंग से गया। स्काईवॉक देखने मैं कहीं गया नहीं हूं। इतना जरूर है कि दिल्ली और मुम्बई में स्काईवॉक बना हुआ है।

श्री धर्मजीत सिंह :- पर छोटा है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- मैं नापा नहीं हूं कि कितना छोटा-बड़ा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम तो नापे हैं न। यहां जब स्काईवॉक बना तो हम तो टेप फुट रखकर नापने गये थे। दिल्ली, मुम्बई में जो स्काईवॉक बना है, मुश्किल से 50-100 मीटर का इधर से उधर करने का बना होगा। भूमिगत पैदल पथमार्ग भी बनाते हैं, वह बना देते। यह तो आप ऐसा बनाये हो कि इसमें लोग नशे का इंजेक्शन लेंगे और कूद-कूद कर मरेंगे। अच्छा माननीय मंत्री जी आप मुझे यह बताईये कि आपने स्थल परिस्थिति के कारण कार्य में हुए परिवर्तन के आधार पर विभाग के पत्र दिनांक 13-12-2018 द्वारा राशि 7710.30 लाख, मतलब 77 करोड़ 30 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

स्वीकृति प्रदान की है। जब आपने शुरू में कम किया था, जब आपने बजट में कम पैसा रखा था तो इसमें आप इसको कौन सा स्थल परिस्थिति हुआ और क्या कार्य में परिवर्तन हुआ यह बता दीजिये ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय इसका सर्वे किया गया, डीपीआर तैयार किया गया । यात्रियों की संख्या का सर्वे किया गया और जितना आया उस आधार पर कंसल्टेंट ने एस्टीमेट तैयार किया, डीपीआर तैयार किया गया उसकी दर जो आयी वह आपको 48 करोड़ कुछ बतायी गयी और जब लागत में वृद्धि का जो कारण आप पूछ रहे हैं उसका कारण जो है पॉथवे की चौड़ाई में वृद्धि हुई । एस.एस. रैलिंग की बात, एसीपी डिवाईडर के आकार में परिवर्तन, टाईल्स के प्रावधान में परिवर्तन, एस्केलेटर कवर हुआ, दो नग लिफ्ट, एक नग सीढ़ी, 8 स्थानों पर 32 दुकानों का अतिरिक्त प्रावधान तथा यूटिलिटी शिफ्टिंग जैसे विद्युत खम्भे हटाने की बात, ट्रांसफार्मर, होल्डिंग, एंट्री, पाईपलाईन, पेड़ कटाई यह सारी चीजें नये जुडे जिसके कारण वह वृद्धि हुई है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खम्भा लगाना, पेड़ काटना यह 1 करोड़ रूपये में तो पूरे रायपुर शहर का पेड़ कट सकता है । 77 करोड़, 44 करोड़ से सीधा-सीधा 77 करोड़, यह अधिकारियों के और ठेकेदारों के बीच में भ्रष्टाचार हुआ है । माननीय मंत्री जी इसमें भयंकरतम भ्रष्टाचार हुआ है और शहर का कोई भी आदमी इस बात को पसंद नहीं कर रहा है । जो आपके पीछे जनप्रतिनिधि निर्वाचित बैठे हैं वह और जो बाहर हैं वह, यह बेतुका निर्णय है और फिर आप उसमें बोलते हैं 32 दुकान तो वह दुकान आप स्काईवॉक में कहां बनायेंगे ? कितने मीटर चौड़ा है ? 266 मीटर चौड़ाई है, 4 मीटर चौड़ाई रखी गयी है, 4 मीटर में दुकान भी लगायेंगे, आदमी पैदल भी चलेगा । कैसे संभव है आप बताईये न ? दुकान कहां बनायेंगे, क्यों बनायेंगे ? और क्या रायपुर के महापौर ने इस पर दुकान लगाने का निर्णय और विचार किया ? और किया तो क्यों किया यह बता दीजिये ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दुकान कहां पर लगेगी, कितनी चौड़ाई वह तो पूरा नक्शा, एस्टीमेट जो बना हुआ है उसमें मौजूद है और कितने मीटर में, कितने सेंटीमीटर में दुकान होगी यह अलग से तो मैं अभी बता नहीं पाउंगा लेकिन पूरा एस्टीमेट खुला हुआ है । पूरा प्राक्कलन तैयार है, नक्शा तैयार है उसी के आधार पर काम हो रहा है उसमें कहां-कहां पर दुकान है यदि जो देखना चाहेंगे तो विभाग उसको पूरे नक्शे को दिखाने को तैयार है कि कहां पर चौक है, कहां पर एक्सीलेटर है, कहां पर सीढ़ियां हैं, कहां कितनी चौड़ाई है, कहां दुकान बन सकती है, कहां दुकान नहीं बन सकती है जो तैयार किया गया है वह पूरा खुला है वह दिखाया जा सकता है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न और पूछ लेता हूं। यह बहुत ही ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचार करने के लिये इस स्कीम को पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने ठेकेदार से मिलकर इसको लांच किया है । क्या आप इसकी जांच करायेंगे ? दूसरी बात परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सदन में कहा था कि इसकी उपयोगिता पर हम जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे तो क्या यहां के जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर इस पर चर्चा करेंगे ? और तीसरा प्रश्न मैं एक में ही मिला देता हूं कि क्या इसको तोड़कर इसके ऊपर इसकी जगह में मेट्रो रेल रायपुर से भिलाई तक का चलाने का आप प्रस्ताव करेंगे ? यह स्काईवॉक में क्या है कि आप भी धोखे में कहीं गाड़ी-वाड़ी मत लगे करके जायेंगे न तो आपकी चेन-घड़ी, जैकेट-वैकेट सब उतारकर लोग ऐसे ही बिना कपड़े के भेज देंगे । वहां पर इतनी खतरनाक स्थिति बनने वाली है । गुंडे, मवाली, चोर-उचक्के, नशाखोर सब वहां पर रहेंगे, लोग आत्महत्या करेंगे । माननीय मंत्री जी, क्या इसका कोई औचित्य है ? इसलिये आप यह बताईये कि क्या उसको तोड़ने का आदेश करेंगे ?

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा का क्षेत्र है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप बाद में प्रश्न पूछिएगा पहले उनका उत्तर आने दीजिये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- श्री कुलदीप जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने बोल दिया है कि पूछवायेंगे, बाद में पूछना ।आप इसको तोड़ने के लिये, माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा बोले जनप्रतिनिधियों से राय-मशविरा आम लोगों से लेकर इस बेहूदा निर्णय को, इस बेहूदा निर्माण को तोड़ेंगे क्या ? नहीं तो उसमें पैदल चलने वालों के कपड़े उतरेंगे और सब उसमें वस्त्रहीन बाहर निकलते जायेंगे, जब स्काईवॉक से बाहर आयेंगे तो, नशे के लोग चाकू मारेंगे, वह नाईट्रा क्या लगाते हैं ? और चाकू मार देंगे इसलिये क्या इसको तोड़कर इसके ऊपर मेट्रो रेल चलाने के लिये प्रस्ताव करेंगे ? यह बता दीजिये

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने 3 प्रश्न किया है । उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने भ्रष्टाचार करके इसका निर्माण करवाया, इसमें भ्रष्टाचार हुआ । इसका निर्णय पदयात्रियों की सुविधा के लिए लिया गया था। यह अधिकारियों का निर्णय नहीं है, यह निर्वाचित सरकार का नीतिगत् निर्णय था । कोई भी निर्णय अधिकारी नहीं लेते । बजट में जब प्रावधान होता है, तो तत्कालीन निर्वाचित सरकार का नीतिगत् निर्णय था । इसमें पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है, उसके अनुसार अधिकारियों ने काम किया है । दूसरी बात, उसको तोड़कर कुछ बनाने वाली बात है तो अभी तोड़ने वाली कोई बात नहीं है । क्योंकि अगर उसको तोड़ेंगे तो फिर उसको कहां क्या करेंगे, कहां डालेंगे ? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा भी है कि हम इसके उपयोग की बात के बारे में, आम जनता से, आप सबके साथ मीटिंग करके, संस्थाओं से, संगठनों से चर्चा करके, निगम से चर्चा करके, इसका क्या बेहतर उपयोग किया जा सकता है, उस पर निर्णय होगा । चाहे मेट्रो रेल की बात हो या फ्लाई की बात हो । इसके उपयोग के लिए आप सबका जैसा सुझाव आएगा । जो बेहतर लगेगा उसके अनुसार इस पर निर्णय होगा । यह हम आपसे कहना चाहते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि पूरे प्रदेश में 11 दिसम्बर को मतगणना हो रही थी और शासन गुपचुप तरीके से, शासन प्रशासन के लोग मिलकर 13 दिसम्बर को इसके पुनरीक्षण की स्वीकृति देते हैं । जिसकी लागत लगभग 49 करोड़ थी उसे बढ़ाकर 77 करोड़, यानी 28 करोड़ अधिक करने की स्वीकृति देते हैं । यह बडी चिंता का विषय है, जब पूरा प्रदेश मान रहा है और आचार संहिता का पालन कर रहा है । ऐसे समय में स्वीकृति किया । तो ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या ? क्योंकि 11 दिसम्बर को पूरा प्रदेश चुनाव की मतगणना में लगा हुआ था और 13 दिसम्बर को यह आदेश जारी होता है और उसमें 28 करोड़ अधिक राशि की स्वीकृति दी जाती है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, पुराने डीपीआर के बाद, निर्माण कार्य चलते-चलते जो आवश्यकता महसूस हुई । उसके अनुरूप पुनरीक्षित किया गया और कुछ परिवर्तन किया गया । उसके अनुसार राशि में वृद्धि हुई है । कोई गलती, कोई भ्रष्टाचार या कोई खराबी की बात आएगी तो निश्चित तौर पर जांच कराई जाएगी । उसमें निश्चित तौर पर कोई कमी नहीं की जाएगी ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह छोटी-मोटी रकम नहीं है, 28 करोड़ की बात है । अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के जवाब में भी है और इस प्रकरण में भी है। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि हम 32 दुकानों की स्थापना की बात कर रहे हैं । जबकि इनके प्रोजेक्ट में देखेंगे तो सिर्फ 8 जगहों पर दुकान बनाने की बात आई है । दो में से कौन सा सही है । प्रोजेक्ट जो बोल रहा है वह सही है या मंत्री जी का जवाब आ रहा है, वह सही है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष जी, जो देख रहे हैं वह जो पहले एस्टीमेट बना था उसके अनुसार है, बाद में राशि की वृद्धि और जितना और बढ़ाने की, उसमें दुकानें भी बढ़ीं, चौड़ाई भी बढ़ी, सीढ़ी भी बढ़ी, एस्कलेटर बढ़ा, सारी चीजें बढ़ीं, उसके अनुसार है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रकरण का अवलोकन करा लिया जाए । साफ साफ, सारे प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है । यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, यह विभाग की रिपोर्ट है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत विसंगति है । 8 का प्रावधान था, 22 का ये बता रहे हैं । ठीक से जवाब दे नहीं पा रहे हैं । कितने यात्री आएंगे-जाएंगे उसका सर्वे है नहीं । भ्रष्टाचार का हम आरोप लगा रहे हैं, उसका ठीक से जवाब दे नहीं रहे हैं । इनकी सरकार का निर्णय नहीं है फिर भी नहीं दे रहे हैं । आप इस पूरे मामले की जांच को प्रश्न संदर्भ समिति को सौंप दीजिए । हम वहां इसकी जांच करवाएंगे और वहां तथ्य देंगे । अध्यक्ष महोदय, जांच तो इनके खिलाफ हो रही है ना । दे दीजिए ना, इनको क्या तकलीफ है, मंत्री जी, आप क्यों इतनी पैरवी कर रहे हैं कि यह विभाग बिल्कुल

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

ठीक है। अरे, कोई ठीक नहीं है, वहां सब गड़बड़ है । आप तो इनकी जांच करा दीजिए ना । प्रश्न संदर्भ समिति को भेजने की बात कर दीजिए ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जो तथ्यात्मक आंकड़े मेरे सामने हैं, मैं उनके अनुसार बिल्कुल सही उत्तर दे रहा हूं । माननीय धर्मजीत जी कह रहे हैं कि मैं उत्तर नहीं दे पा रहा हूं तो इससे बेहतर और क्या उत्तर हो सकता है, मैं नहीं समझ पाता ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी......मंत्री जी ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- आपने बोल लिया, अब मैं बोल रहा हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए । मैंने आपको यह नहीं बोला कि आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं । आपने मेरी बात को गलत समझा, मैं यह कह रहा हूं कि आप अपने विभाग के अधिकारियों को इतना संरक्षण क्यों दे रहे हैं ? आप तो बढ़िया उत्तर दे रहे हैं । मैं आपको कहां बोल रहा हूं । जो चीज मैंने नहीं कहा, आप वह बोलने लगे इसलिए मुझे बोलना पड़ा । आप बढ़िया जवाब दे रहे हैं, यह घटना इनके (भा.ज.पा. के सदस्यों की ओर इंगित करते हुए) कार्यकाल की है, आपको किसी को बचाने की कोई जरूरत नहीं है । आप तो इसको प्रश्न एवं संदर्भ समिति में जांच के लिए भेज दीजिए । आप बोल देंगे तो जांच में चला जाएगा, आप भी फुर्सत पाइए, जो होगा, वह होगा ।

श्री ताम्रध्वज साहू : - पूरी तौर पर उत्तर दे रहा हूं और उसमें 8 दुकान नहीं हैं जो आप देख रहे हैं। 8 स्थान हैं। उसमें 8 स्थान पर 4-4 दुकानें हैं। आठ चौक बत्तीस दुकान।

श्री धर्मजीत सिंह :- 22 लिखे हैं।

श्री शिव डहरिया :- तो टंकण त्रुटि हो जाता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आठ चौक बत्तीस ।

श्री ताम्रध्वज साहू : - बत्तीस है बत्तीस।

श्री धर्मजीत सिंह :- तो यह तो बाइस लिखे हैं।

श्री ताम्रध्वज साहू : - हो सकता है टाइपिंग में होगा। पर आठ चौक बत्तीस है।

श्री शिव डहरिया :- असल में केल्कुशन के ग्राउंड को आप समझ नहीं रहे हो । थोड़ा समझा कीजिए ।

श्री ताम्रध्वज साहू : - और रही सवाल अधिकारियों को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। कोई भी इस प्रकार की बात आयेगी तो तत्काल जांच कराई जायेगी और संबंधित दोषी के ऊपर कार्रवाई की जायेगी।

श्री कुलदीप जुनेजा (रायपुर उत्तर) :- अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से......

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- आपके दो प्रश्न हो गये।

श्री बृहस्पत सिंह :- मैंने सिर्फ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया। आपने अनुमति दी। अब मुझे सदन में पूछने की भी अनुमति नहीं मिलेगी। तो कहां पूछने जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आपके दो प्रश्न हो गये। नियम के अनुसार दो से ज्यादा नहीं कर सकते। वह मेरे निर्णय पर है कि आपको दूं या न दूं।

श्री बृहस्पत सिंह :-अगर आप बोलेंगे कि मत पूछो तो मैं नहीं पूछूंगा। नहीं पूछता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आपने दो प्रश्न पूछ लिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- अगर मैं सदन में नहीं पूछ सकता तो क्या मैं बाहर पूछूंगा ? आपसे संरक्षण चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए पूछिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- मैं सिर्फ यह निवेदन करूंगा कि एक तो चुनाव को प्रभावित करने के नियत से निर्णय लिये गये। 28 करोड़ से अधिक राशि की स्वीकृति दी गई और पहले भी हमने उसकी योजना बनाई थी तो उसमें सोच-समझकर योजना बनाई थी तो ऐसी कौन सी परिस्थिति चुनाव के दौरान आ गई कि हम 28 करोड़ रूपये बढ़ाकर स्वीकृति दिये। दूसरा ऊपर से गिरने का खतरा है इसलिए मंत्री जी से आपके माध्यम से चाहूंगा कि क्या अंडर ग्राउंड बनाया गया, जहां लोग सुरक्षित जा सकें। एक अस्पताल जो डी.के. अस्पताल है, वहां से मेकाहारा तक अंडर ग्राउंड बनाने की आप आगे व्यवस्था करवाएंगे।

श्री ताम्रध्वज साहू : - यात्रियों की सुविधा के लिए जब भी जहां कहीं भी जो भी आवश्यकता होगी, उसके अनुसार हम काम करेंगे ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्काई वॉक मेरे उत्तर विधान सभा क्षेत्र में आता है लेकिन चारों विधान सभा की जनता का उससे आना-जाना आवागमन चलता है। खाली उत्तर विधान सभा की जनता नहीं सारी शहर की जनता पिछले दो वर्षों से उससे परेशान रही है। यह कोई अधिकारियों का निर्णय नहीं था। जहां तक मैं जानता हूं कि सिर्फ एक व्यक्ति का निर्णय था। एक व्यक्ति की जिद से इस स्काई वार्ड की शुरूआत हुई थी।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न करिए न।

श्री कुलदीप जुनेजा :- मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि उस पर जो भी बजट डबल हुआ है, उसकी जांच कराई जाए और तीसरा जो आवागमन में पिछले दो सालों से जनता को तकलीफ हो रही है। साइड-साइड में बांस गाड़ दिये गये हैं। साइड में गाड़ियां खड़ी हैं और रोडों में पूरे चारों तरफ गड्ढे के गड्ढे हैं। रोज लोग वहां पर गिरते हैं। एक्सीडेंट होता है। तो जब तक काम चल रहा है मेरा मंत्री जी से

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

निवेदन है कि आस-पास के जितने भी रोड हैं, उसको सबसे अच्छा बना दिया जाए। उसको जनता के लिए सुविधाजनक बना दिया जाए।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप सुविधा मत मांगो। हम तो जांच मांग रहे हैं। पूरे घटना की जांच शुरू से लेकर अभी तक। आप नियम अनुसार करिए।

श्री कुलदीप जुनेजा :-उस घटना की मांग तो मैं भी आदरणीय मंत्री जी से कर रहा हूं। जनता कितनी परेशान है ? रोज गड्ढे में वहां गिर रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं तो उसको एक घंटे में करवाने का प्रयास कर रहा हूं। शाम तक जायेंगे तो तिनका नहीं दिखेगा आपको। आप आर्डर करो विधान सभा से निकलकर जायेंगे (व्यवधान) आप इसकी जांच कराइए।

श्री कुलदीप जुनेजा :- जांच की मांग से मैं भी आपसे सहमत हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, जांच कराइए। बांस को तो हम हटवा देंगे, उसमें क्या रखा है। बांस हटवाना कोई बड़ी बात है क्या ?

श्री कुलदीप जुनेजा :- मैं आपकी बात से सहमत हूं। बाकी जो जनता परेशान हो रही है उसके लिए भी तो हमको बोलना है। वहां पर जनता परेशान है। वहां पर रोड नहीं है, गड्ढे हैं, धूल है।

श्री धर्मजीत सिंह :- यहां से मैं बांस का आर्डर करूंगा हट जायेगा। उसके लिए विधान सभा का समय खराब कर रहे हैं।

श्री कुलदीप जुनेजा :- जांच होगी, जब होगी। जिन-जिन ने कराया वे तो बाहर हो गये।

श्री धर्मजीत सिंह :- बाहर हो गये लेकिन बिलासपुर-रायपुर शहर के लिए जघन्य अपराध है। आप इसको जांच करायेंगे क्या संपूर्ण जगह की। पहले दिन से लेकर और आज विधान सभा के आते तक पूरी प्रक्रिया की जांच कराएंगे क्या ? आप जांच कराइये।

श्री विकास उपाध्याय (रायपुर पश्चिम) :- माननीय अध्यक्ष जी, यह राजधानी का मामला है और जो किया है। भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आडंबर है। जिसको समाप्त करना चाहिए। इसको डिसमेंटल कीजिए और उस समय तत्काल में जो योजना बनाई उन लोगों के ऊपर में जांच होना चाहिए। चाहे मंत्री हो। चाहे अधिकारी हो। कुछ लोग चापलूसी के चक्कर में आप पूरे इस सीनेरियो को, पूरे इस डायग्राम को, इस पूरे स्काई वॉक को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका उद्देश्य सिर्फ किसी की चापलूसी के लिए बनाया गया है। जो तात्कालिक अधिकारी इसकी योजना बनाये थे, उनके खिलाफ में जांच होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए। (मेजों की थपथपाहट) जनता के पैसे का दुरूपयोग किया गया है और भ्रष्टाचार का पूरे हिन्दुस्तान में एक बहुत बड़ा आडंबर घोषित होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ का नाम बदनाम होगा। इसीलिए आपसे निवदेन है। हम संकट में हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, उसको देखकर लोग हंसते भी हैं। जब इसको देखते है कि यह पाईप लाईन सरीखे क्या है, तो लोग हंसते हैं कि कैसे टाइप का है। आगे क्या बोलते हैं, मैं उसको यहां नहीं बोल सकता हूँ। हंसते हैं, अपमान होता है। इसलिए इसमें जांच करवा दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- पांडे जी। धर्मजीत जी, आपकी 4-5 बार मांग हो चुकी है।

डॉ0 शिव कुमार डहरिया :- धर्मजीत भैय्या, वहां जो चलेगा न, वह एयर प्रेसर से चलने वाला है।

श्री शैलेष पाण्डेय (बिलासपुर) :- माननीय अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे कार्य पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा हुए हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, आप सुन तो लीजिये। आप उसको ठीक से देखे नहीं होंगे। वह लगता है कि जैसे एम0आर0आई0 मशीन में आदमी को डाल रहे हैं। (हंसी) चारों तरफ से वह बंद है। आपको कोई लूटे, आप चिल्लाओगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि वह टीन से बंद है। एम0आर0आई0 मशीन में अंदर डालने जैसा हाल है।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, उसको तो हटा देना चाहिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी, आप जांच करा दीजिये और उसको तोड़वा दो।

श्री शैलेष पाण्डेय :- अगर सरकार इसमें निर्णय नहीं लेगी। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर इसको नहीं तोड़ा गया और यदि 10 साल बाद वहां पर कोई ऐसी परियोजना लाई जायेगी, जिसमें यह ब्रिज रोड़ा बनेगा। इससे हमारे प्रदेश के लोगों को, शहर के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, राजधानी में लोग हंसते हैं। मंत्री जी, आप बहुत अच्छे हैं।

श्री शैलेष पाण्डेय :- धर्मजीत भैय्या, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर में भी काफी बड़ा तिफरा ब्रिज रायपुर और बिलासपुर को जोड़ने के लिए 10 साल पहले बनाया गया। लेकिन आज उसके बगल में दूसरा ब्रिज बनाना पड़ रहा है। न हम उस ब्रिज को तोड़ पा रहे हैं और अच्छे से दूसरा ब्रिज बना पा रहे हैं। यही स्थिति स्काइवाक की भी होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि विभाग में पी0डब्ल्यू0डी0 के जितने भी इस प्रकार के कार्य हैं, जिनमें अनियमितताएं हुई हैं, उस पर बिलकुल गंभीर जांच होनी चाहिए और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। (मेजों की थपथपाहट)

श्री विकास उपाध्याय :- जितने भी तत्तालीन अधिकारी हैं, उन पर जांच कमेटी जरूर बैठाइये। क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर उन्हीं लोगों की यह कार्य योजना है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- संपूर्ण प्रकरण की शुरूआत से लेकर आखिरी तक जांच होनी चाहिए। सारा सदन चाह रहा है। अब आप तो बहुत वरिष्ठ हैं। आप जांच की घोषणा करिये। आप बिलकुल मत झिझकिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- अधिकारी के साथ-साथ और भी लोग जुड़े हुए थे। उनका भी नाम आना चाहिए। अकेले अधिकारियों में हिम्मत नहीं है कि इतना करोड़ का गड़बड़ कर लें। अधिकारी के साथ और कोई जुड़े होंगे, इसका भी खुलासा होना चाहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, इस ध्यानाकर्षण को कितनी देर चलायेंगे ? जो उस क्षेत्र से रिलिवेंट नहीं हैं, आप उनको भी अवसर दे रहे हैं। इसको कितनी देर चलायेंगे ?

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- माननीय बृजमोहन भैय्या, सारे सदस्य चिंतित हैं। लोक महत्व का विषय है।

अध्यक्ष महोदय :- सुनिये न, वाद-विवाद शुरू मत कीजिये।

श्री कुलदीप जुनेजा :- जांच की मांग करते हैं, मंत्री जी इसमें जांच करवायेंगे क्या ?

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से ये स्काइ वाक योजना हे, ये स्काइ वाक योजना ला पूरा प्रदेश देखत हे।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, सारे लोगों की यही मांग है कि शहर में जो निर्माण हो रहा है, उसका हटवा दिया जाए। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, ऐसी सभी लोगों की मांग है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं क्या ?

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम समझते हैं कि साथी मंत्री हैं। विषय पर ज्यादा चर्चा न हो। पूर्व के जो अधिकारी हैं, जिन्होंने ऐसी योजना लाई। क्योंकि आम आदमी का पैसा है, छत्तीसगढ़ के आम लोगों का पैसा है, उसका इस तरह से दुरूपयोग यह सदन नहीं सहेगा। पुराने सदन को संचालित करने वाली सरकार, उसके अधिकारी और उसके मंत्री ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सदन सरकार नहीं संचालित करती, अध्यक्ष जी संचालित करते हैं।

श्री देवेन्द्र यादव :- जी, मैं अपने शब्द को वापिस लेता हूँ। चूंकि मेरा भाषण शुरूआती दौर का है, मैं सदन में दूसरी बार बोल रहा हूँ तो मुझसे कुछ शब्द गलत हो सकते हैं। मैं उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न की जगह भाषण हो रहे हैं।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं इस पर जांच करवाने से पूर्व सरकार के मंत्रियों को, पूर्व मंत्रियों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है ? माननीय अध्यक्ष महोदय,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। (मेजों की थपथपाहट)

श्री विकास उपाध्याय :- अजय भैय्या, चापलूसी बंद करो भैय्या।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप जवाब देंगे ? माननीय मंत्री जी।....(व्यवधान) मंत्री जी इसका जवाब देंगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- मंत्री जी, निर्देश दीजिये, जांच कराईये।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह ध्यानाकर्षण है। जिसने मूल ध्यानाकर्षण लगाया है, अन्य सदस्य जो संबंधित नगर के हैं और भी हैं तो पूछ लें। लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्थगन पर चर्चा हो रही है। मंत्री जी का जवाब आने के पूर्व ऐसा लग रहा है कि स्थगन पर चर्चा का विषय ले आये हैं। न मंत्री जी का जवाब आ पा रहा है और न ही इस ध्यानाकर्षण में कहीं पर जाकर निर्णय पर आ रहे हैं। इन सारी चर्चाओं को विराम देते हुए इस ध्यानाकर्षण में जो मंत्री जी का जवाब है और बातचीत की जो मांग है या जो भी निर्णय करना है, इन विषयों को छोड़कर मुझे लगता है कि ध्यानाकर्षण में स्थगन न बनाएं तो ये ज्यादा अच्छा है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, आप घोषणा कर दीजिए ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता के पूरे प्रश्नों का उत्तर मैंने दिया है और जो सहयोगी सदस्य हैं, उनका भी और यहां के जो विधायक हैं, उनके प्रश्नों का भी उत्तर मैंने दिया है । जो ध्यानाकर्षण का विषय था, उसका पूरा उत्तर मैंने दिया है, पर सदस्य अगर चाहते हैं कि इस पर चाहते हैं कि जांच करायी जाए कि अनियमितता है, नहीं है, क्या है, कैसा है तो हम लोग निश्चित तौर पर इसकी जांच करा लेंगे, उसमें कहीं कोई बात नहीं है । (मेजों की थपथपाहट)

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, जांच कौन करेगा ।

समय :
12:06 बजे

<u>नियम - 267 "क" के अंतर्गत विषय</u>

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाएगी तथा उन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा :-

1 श्री सौरभ सिंह, सदस्य

2 श्री अरूण वोरा, सदस्य

3 श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य

4 श्री नारायण चंदेल, सदस्य

5 श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :
12:06 बजे **<u>याचिकाओं की प्रस्तुति</u>**

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नलिखित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जाएंगी :-

1 श्री विनोद सेवन लाल चन्द्राकर

2 श्रीमती इंदू बंजारे

3 श्रीमती छन्नी चंदू साहू

4 श्री केशव प्रसाद चन्द्रा

समय :
12:57 बजे **<u>वित्तीय वर्ष 2019-2020 की अनुदान मांगों पर चर्चा</u>**

मांग संख्या	**-**	**24**	**लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल**
मांग संख्या	**-**	**67**	**लोक निर्माण कार्य-भवन**
मांग संख्या	**-**	**76**	**लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं**
मांग संख्या	**-**	**3**	**पुलिस**
मांग संख्या	**-**	**4**	**गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय**
मांग संख्या	**-**	**5**	**जेल**
मांग संख्या	**-**	**51**	**धार्मिक न्यास और धर्मस्व**
मांग संख्या	**-**	**26**	**संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय**
मांग संख्या	**-**	**37**	**पर्यटन**

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या-24 लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए-दो हजार सात सौ छप्पन करोड़, एक लाख, दस हजार रूपये,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या-67 लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए-एक हजार तीन सौ बत्तीस करोड़, सात लाख, अट्ठारह हजार रूपये,

मांग संख्या-76 लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए - छः सौ दस करोड़, बयानबे लाख रूपये,

मांग संख्या-3 पुलिस के लिए-चार हजार पांच सौ चार करोड़, पैंतालीस लाख, पंचानबे हजार रूपये,

मांग संख्या-4 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए-उनसठ करोड़, चौबीस लाख, अड़तालीस हजार रूपये,

मांग संख्या-5 जेल के लिए-एक सौ तिरासी करोड़, बांसठ लाख, पैंतालीस हजार रूपये,

मांग संख्या-51 धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिए-चौदह करोड़, चौवालीस लाख, पचास हजार रूपये,

मांग संख्या-26 संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय के लिए-चालीस करोड़, चौरानबे लाख, चार हजार रूपये तथा

मांग संख्या-37 पर्यटन के लिए-उनसठ करोड़ रूपये तक की राशि दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि - दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या-24 लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए-दो हजार सात सौ छप्पन करोड़, एक लाख, दस हजार रूपये,

मांग संख्या-67 लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए-एक हजारतीन सौ बत्तीस करोड़,सात लाख, अट्ठारह हजार रूपये,

मांग संख्या-76 लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए - छः सौ दस करोड़, बयानबे लाख रूपये,

मांग संख्या-3 पुलिस के लिए-चार हजार पांच सौ चार करोड़, पैंतालीस लाख, पंचानबे हजार रूपये,

मांग संख्या-4 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए-उनसठ करोड़, चौबीस लाख, अड़तालीस हजार रूपये,

मांग संख्या-5 जेल के लिए-एक सौ तिरासी करोड़, बांसठ लाख, पैंतालीस हजार रूपये,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या-51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिए-चौदह करोड़, चौवालीस लाख, पचास हजार रूपये,
मांग संख्या-26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय के लिए-चालीस करोड़, चौरानबे लाख, चार हजार रूपये तथा
मांग संख्या-37	पर्यटन के लिए-उनसठ करोड़ रूपये तक की राशि दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे । कटौती प्रस्तावों क सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है । प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीयसदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतुसहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे ।

मांग संख्या-24

लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल

1.	श्री धरमलाल कौशिक	2
2.	श्रीमतीरेणु अजीत जोगी	6
3.	श्री रजनीश कुमार सिंह	27
4.	श्री केशव प्रसाद चंद्रा	19
5.	श्री सौरभ सिंह	12
6.	श्री शिवरतन शर्मा	2
7.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	5
8.	श्रीमती इन्दू बंजारे	2
9.	श्री देवव्रत सिंह	1
10.	श्री अजय चन्द्राकर	1

मांग संख्या - 67

लोक निर्माण कार्य- भवन

1.	श्री धरमलाल कौशिक	8
2.	श्री अजय चंद्राकर	15
3.	श्री नारायण चंदेल	1

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या -3

पुलिस

1.	श्री धरमलाल कौशिक	1
2.	श्री ननकीराम कंवर	1
3.	श्री शिवरतन शर्मा	1
4.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	3
5.	श्री अजय चन्द्राकर	1

मांग संख्या- 4

गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय

1.	श्री देवव्रत सिंह	1
2.	श्री शिवरतन शर्मा	1
3.	डॉ.रेणु अजीत जोगी	4
4.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	4
5.	श्री अजय चन्द्राकर	1
6.	श्री नारायण चंदेल	2

मांग संख्या- 5

जेल

1.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	1
2.	श्री अजय चन्द्राकर	1
3.	श्री नारायण चंदेल	1

मांग संख्या-51

धार्मिक न्यास और धर्मस्व

1.	डॉ. रेणु अजीत जोगी	2
2.	श्री अजय चन्द्राकर	1
3.	श्री शिवरतन शर्मा	1

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या- 26

संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय

1.	डॉ.रेणु अजीत जोगी	1
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	1
3.	श्री अजय चन्द्राकर	1
4.	श्री शिवरतन शर्मा	1
5.	श्री नारायण चंदेल	2

मांग संख्या-37

पर्यटन

1	श्री देवव्रत सिंह	1
2.	श्री शिवरतन शर्मा	2
3.	डॉ.रेणु अजीत जोगी	1
4.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	2
5.	श्री अजय चन्द्राकर	1
6.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	2
7.	श्री नारायण चंदेल	3

उपरोक्त सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुये ।

अध्यक्ष महोदय :- अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी ।

सदन की सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन अवकाश नहीं होगा । मैं समझता हूँ कि सभा सहमत है । भोजन की व्यवस्था माननीय मंत्री जी श्री ताम्रध्वज साहू की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है, कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें ।

अध्यक्ष महोदय:- श्री शिवरतन शर्मा जी चर्चा शुरू करेंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू द्वारा प्रस्तुत सारी मांगों का मैं विरोध करता हूँ और कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ । माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय साहू जी के पास चार महत्वपूर्ण विभाग है । गृह, जेल, लोक निर्माण, संस्कृति, पर्यटन, धर्मस्व । माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाये रखने की, पूरे प्रदेश में शांति का वातावरण बनाये रखने की जवाबदारी माननीय ताम्रध्वज साहू के पास है । माननीय अध्यक्ष

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

महोदय, बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी समस्या है, उस समस्या के प्रति इस सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है । इस सरकार का रवैया अलग-अलग मंत्रियों के माध्यम से अलग-अलग प्रगट होता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आज छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है तो वह नक्सलवाद है । सरकार के गठन के दो माह के अंदर सरकार के मंत्रियों और सरकार के पार्टियों के प्रवक्ताओं के बयान पढ़ो तो उसमें काफी विरोधाभाष है । माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले विधान सभा चुनाव के दौरान इनके स्टार प्रचारक आदरणीय, मैं उनका नाम नहीं लूंगा । एक प्रेस कान्फ्रेंस रायपुर में हुई थी । प्रेस कांफ्रेंस में इनके स्टार प्रचारक का वक्तव्य था ।

समय :
1:05 बजे

(सभापति महोदय (श्री अमरजीत भगत) पीठासीन हुए)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, और उससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात यह है कि उस पूरे घटनाक्रम पर छत्तीसगढ़ से किसी प्रमुख कांग्रेस नेता का स्टेटमेंट नहीं आया कि वह गलत कहा गया या सही कहा गया। उस पर छत्तीसगढ़ की पूरी कांग्रेस पार्टी मौन रही। वह स्टेटमेंट इस बात को सिद्ध करता है कि बीते विधानसभा चुनाव में इनका कहीं न कहीं बस्तर में नक्सलियों से गठजोड़ था।

श्री बृजस्पत सिंह :- आप अपना अनुभव बता रहे हैं क्या कि तीन बार आप उन्हीं के सहयोग से यहां तक पहुंचे थे?

श्री मोहन मरकाम :- पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया था, उन्होंने कहा था कि नक्सली हमारे भटके हुए भाई हैं। वह ऑन द रिकार्ड बोले हैं, पूरे मीडिया में आया है। शर्मा जी, उसको भी दिखवा लीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, इस सदन में भी कई बार नक्सलवाद पर चर्चा हुई है और नक्सलवाद पर जब भी चर्चा हुई तो इनके विचार हमेशा अलग-अलग रहे हैं। जहां तक नक्सलवाद के उपज की बात है तो नक्सलवाद की उपज तो आप लोगों की ही देन है, छत्तीसगढ़ को विरासत में मिला था। मैं उस घटना पर नहीं जाना चाहता। एक विषय जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों इस सदन में चर्चा की थी कि 25 मई, 2013 को एक दर्दनाक घटना घटी। हमारे प्रदेश और देश के प्रमुख नेता झीरम घाटी की घटना में मारे गये। घटना दुखद थी, इस बात को हम सब स्वीकार करते हैं। उस घटना पर जिस प्रकार से राजनीति की जा रही है उस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है। जिस दिन घटना घटी, स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि उस समय उपाध्यक्ष थे छत्तीसगढ़ में स्वयं आये थे और राजभवन में सारी बातचीत में हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय डॉ. रमन सिंह जी ने सहमति व्यक्त की थी कि

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

केन्द्र सरकार जैसी जांच कराना चाहे, प्रदेश की सरकार उससे सहमत है। अब केन्द्र सरकार की सहमति से छत्तीसगढ़ की सरकार ने एन.आई.ए. जांच की सिफारिश की। केन्द्र में आपकी सरकार थी और उस घटना के एक साल बाद तक केन्द्र में आपकी सरकार रही। आज बात आ रही है कि इसमें एस.आई.टी. का गठन करेंगे। एस.आई.टी. गठन की घोषणा भी हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों इस सदन में एन.आई.ए. के एक पत्र का उल्लेख किया। इस सदन में झीरमघाटी की घटना को लेकर दसों बार चर्चा हुई है और 2018 का जब अंतिम सत्र था जो कि शायद बजट सत्र था उसमें सदन में चर्चा हो रही थी तो माननीय भूपेश बघेल जी ने इस घटना की निष्पक्ष जांच पर बोलते हुए सदन में यह बात कही थी कि हमारे पास ऐसे तथ्य हैं जो इस घटना की सच्चाई को प्रमाणित और प्रकट करेंगे। और जब उन्होंने इस बात का उल्लेख किया तो मैंने सदन में खड़े होकर कहा था कि अगर आपके पास ऐसे तथ्य हैं तो उस तथ्य को आप जांच एजेंसी के सामने प्रस्तुत क्यों नहीं करते? आपको अगर जांच एजेंसी पर विश्वास नहीं है तो माननीय प्रशांत मिश्रा जी की अध्यक्षता में न्यायिक जांच हो रही है आप वहां प्रस्तुत क्यों नहीं करते? तो माननीय भूपेश जी का कथन था कि अगर हम उन तथ्यों को प्रस्तुत कर देंगे तो उसमें जो गवाह हैं उन गवाहों को सुरक्षा प्रदान कौन करेगा? मुझे इस सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है कि ये सरकार उनको सुरक्षा देगी। आपको मुख्यमंत्री पद की शपथ लिये दो माह हो गये। आज आप एस.आई.टी. के बजाय जो हाईकोर्ट के जज प्रशांत मिश्रा जी के नेतृत्व में सबसे बड़ा जांच कमीशन बैठा है सारे तथ्य प्रशांत मिश्रा जी के सामने प्रस्तुत क्यों नहीं करते? आप तो गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने में स्वयं सक्षम हैं। आप स्वयं सरकार के मुखिया है, आप स्वयं उनको सुरक्षा दे सकते हैं। माननीय सभापति जी, दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि झीरम घाटी की जांच के बजाय कांग्रेस पाटी सिर्फ राजनीति कर रही है और राजनीति करने का भाव नहीं होता। एस.आई.टी. गठन करने के बजाए ये सारे तथ्य प्रशांत मिश्रा आयोग के सामने रखे जा सकते थे। आपने एस.आई.टी का गठन कर दिया। इस घटना का सबसे बड़ा चश्मदीद गवाह कोई है, इस सरकार के मंत्री हैं। एस.आई.टी के किसी अधिकारी की हिम्मत है क्या कि सरकार के मंत्री को बुला के पूछताछ कर लें ? माननीय सभापति जी, मेरे इस बात को बोलने का भाव ये है कि झीरम घाटी की घटना बड़ी दुखद घटना है और इस घटना पर बार बार राजनीति करने के बजाए, माननीय मुख्यमंत्री जी को न्यायिक जांच में सारे तथ्य सामने रखना चाहिए। अगर न्यायिक जांच में उनके पास जो तथ्य हैं, वे प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं तो कहीं न कहीं वे अपराध को छिपाने का काम कर रहे हैं। मैं ये आरोप माननीय मुख्यमंत्री जी पर लगाता हूं। इस सरकार ने सरकार बनाने के बाद जो सबसे बड़ा काम किया है, वो एक के बाद एक एस.आई.टी गठन का काम किया है। एस.आई.टी का गठन वास्तव में पवित्र भाव से नहीं किया गया है, पवित्र मन से नहीं किया गया है। एस.आई.टी के गठन के पीछे सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण है राजनीति करना और राजनीति करके, पूर्ववर्ती सरकार के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लोगों को बदनाम करने का प्रयास करना। नान के मामले में एस.आई.टी गठित की गई। सर्वविदित है कि नान में जब भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी ने उसमें कार्यवाही के निर्देश दिये। उसके निर्देश के बाद नान में कार्यवाही हुई जो लोग संलिप्त थे वे पकड़े गये। जांच हुई, जांच करके चालान प्रस्तुत कर दिया गया पर उसमें एस.आई.टी गठन हो गया और सबसे दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि एस.आई.टी का इंचार्ज उस व्यक्ति को बनाया गया जिस व्यक्ति के विरोध में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इस सदन में किन किन शब्दों का उपयोग नहीं किया, आप क्या प्रकट करना चाहते हैं? एस.आई.टी कितनी निष्पक्षता से जांच कर रही है। उसकी निष्पक्षता का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि ई.ओ.डब्ल्यू. का एडिशनल एस.पी. स्तर का अधिकारी अपनी सुरक्षा की मांग को ले करके हाईकोर्ट में शपथपूर्वक दरख्वास्त लगाता है । आप एस.आई.टी का गठन करके क्या लोगों के ऊपर दवाब डाल करके कुछ भी बयान करायेंगे, आप छत्तीसगढ के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। अंतागढ़ के मामले में एक एस.आई.टी का गठन कर दिया गया। जिस मामले में एस.आई.टी का गठन हुआ है, उस मामले को ले करके स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी जो उस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, वे हाईकोर्ट में गये, हाईकोर्ट में उनकी याचिका खारिज कर दी गई, हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद उस मुद्दे को ले करके वे सुप्रीम कोर्ट में गये, सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका खारिज हो गई। अब उसके बाद एस.आई.टी का गठन होता है। रात को 01.30 बजे आपकी नेत्री के द्वारा रिपोर्ट होती है और उस रिपोर्ट में विभिन्न धाराओं पर मामले कायम होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मामला ये होता है कि जो रिपोटकर्ता आपकी पार्टी की नेत्री है, उसका उस केस से क्या प्रकरण है? 420 का मामला तो तभी लगता है। 420 का रिपोर्ट तो वही लिखा सकता है जो पीड़ित पक्षकार है, पर सिर्फ राजनीति करने के लिए जिस मुद्दे पर कोर्ट का फैसला आ गया है, उस पर आप एस.आई.टी. का गठन कर रहे हो? और मैंने परसों माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा था कि अंतागढ़ टेपकाण्ड का जो व्यक्ति वास्तव में हीरो है जिसको बार-बार आप उल्लेखित कर रहे हैं। उसी व्यक्ति ने आपकी भी स्टिंग की है और स्टिंग भी की है तो उसमें आपके प्रभारी के चरित्र का उल्लेख है और प्रभारी के चरित्र का उल्लेख करने के साथ-साथ वर्तमान गृहमंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी का, वर्तमान पंचायत मंत्री आदरणीय श्री टी.एस.सिंहदेव साहब का दोनों के नाम का उल्लेख हैं आप कहें तो हम ऐसी सी.डी. इनकी भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप अंतागढ़ टेपकाण्ड में एस.आई.टी. का गठन कर रहे हो तो जिसने आपकी स्टिंग की, जिसने प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रियों के संबंध में नाम का उल्लेख करते हुए, इनकी भी सी.डी. तैयार करने की बात की, उसके लिए आप एस.आई.टी. का गठन क्यों नहीं करते? आपको एस.आई.टी. का गठन करने का शौक हैं तो बाकी मामलों में भी एस.आई.टी. का गठन कर दें, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के जन घोषणापत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था और महत्वपूर्ण विषय ये था कि चिटफण्ड कंपनियों के जितने एजेण्टों के मामले दाखिल हुए हैं, उनको हम रिहा करेंगे और निवेशकों को पैसा वापस दिलाने की व्यवस्था करेंगे। वास्तव में जनहित से जुड़ा हुआ मामला था। आपको एस.आई.टी. का गठन करना था तो ऐसे मामले में एस.आई.टी. का गठन करना था। पर आपने जनहित के मामलों में किसी प्रकार की एस.आई.टी. गठन करने के बजाए जो आपके इंट्रेस्ट के विषय थे, आपने उन विषयों में एस.आई.टी. का गठन किया है और ये सरकार दो महीने के अंदर प्रदेश के हित में काम करने के बजाए, विपक्ष को प्रताड़ित करने के लिए इस प्रकार के कार्य कर रही है। इस विषय को हमने स्थगन में भी लेने का प्रयास किया था और सरकार के ये सारे कार्य इस बात को प्रमाणित करते हैं।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय सभापति महोदय, भईया तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जिस अंतागढ़ काण्ड से लोकतंत्र की हत्या हुई, उससे जनहित से कोई लेना-देना ही नहीं है। क्या इस तरह की कार्यवाही होते रहे, उस पर कोई जांच ही न हो?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, अंतागढ़ काण्ड के मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी जो उस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वे हाईकोर्ट में गये और हाईकोर्ट ने उनकी याचिका निरस्त कर दी, शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा और वे बाद में सुप्रीमकोर्ट गये, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको क्या गाईड किया है, वह आप कॉपी लेकर देख सकते हैं। आप बोलेंगे तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा।

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन जी, एस.आई.टी. के बाहर भी विषय हैं। आप उस पर बोलिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आज गृह विभाग की चर्चा है। ये सब गृह विभाग से जुड़े हुए मामले हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, क्या है, दो महीने की उपलब्धि सिर्फ एस.आई.टी. है।

सभापति महोदय :- और भी विभाग के विषय हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय चन्द्राकर भईया, ऐसा नहीं है। ये पहला विपक्ष होगा जो जांच पर आपत्ति डाल रहा होगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अभी हमने मांग की, आप जितनी जांच करवायें ..।

श्री उमेश पटेल :- जिस पर जांच हो रही है, उस पर आपत्ति करने वाला पहला विपक्ष ही होगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उमेश बाबू, मैंने ये कहा कि जांच करवाने में वित्तीय मांग नहीं है। आपके पास एक मात्र विषय वही है कि जांच करवा सकते हैं। वित्तीय मांग के लिए आपका एक लाईन का उत्तर है कि अभी पांच साल है। अभी बहुत टाईम है।

श्रीमति रश्मि आशिष सिंह :- आप परेशान मत होईये। सांच को आंच क्या ? अगर आप लोग सच्चे होंगे तो निर्दोष साबित होंगे। आप प्रताड़ित क्यों बोल रहे हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय बहन जी, ते बइठना।

श्रीमति रश्मि आशिष सिंह :- आप प्रताड़ित क्यों बोल रहे हैं ? और भयभीत क्यों हैं ? सच के साथ नहीं है तब तो आप लोग भयभीत हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, केवल जांच। जितनी जांच हो सकती थी।

श्री उमेश पटेल :- माननीय चन्द्राकर जी, अगर अंतागढ़ प्रकरण में जांच होगी तो आपको क्या समस्या है, आप ये बताईये? आपको समस्या क्या है ? अगर जांच हो जाए तो उस जांच से आपको क्या समस्या है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उमेश जी, एक मिनट। हमको कभी एस.आई.टी. के गठन पर कभी विरोध नहीं रहा। पर एस.आई.टी. का गठन, आपके स्पेशल इंट्रेस्ट के विषय पर नहीं होना चाहिए। यहां एस.आई.टी. का गठन स्पेशल इंट्रेस्ट पर हुआ है..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, एस.आई.टी. का फुलफार्म नया बना है स्पेशल इंट्रेस्ट टीम। न की इंवेस्टिगेशन टीम।

श्री उमेश पटेल :- जहां अंतागढ़ जैसा काण्ड होता है, वहां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये बता दीजिए?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, सबसे अदभूत बात यह है कि आप एस.आई.टी. का गठन किनके कहने से कर रहे हैं, नान के मामले में एस.आई.टी का गठन हुआ और आपने नान के मामले में जो एस.आई.टी का गठन किया है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, लोकतंत्र में सब चुनाव लड़ते हैं, आप भी लड़े हैं और हम भी चुनाव लड़कर जीतकर ही इस सदन में बैठे हैं, अगर उस प्रक्रिया को किसी भी तरीके से बाधित करते हुए किन्हीं व्यक्तियों को जबरदस्ती बिठाया जाता है तो उसमें जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उमेश जी, ऐसा है पिछले 5 वर्ष इस सदन में आप सदस्य रहे हैं और एस.आई.टी का गठन आप किसी ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर कर रहे हो जो स्वयं अपराधी है और जिसके खिलाफ चालान प्रस्तुत करने की अनमुति प्राप्त हो गई हो और चालान प्रस्तुत कर दिया हो और

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

इस सदन में विपक्ष के नेता, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप लगातार सरकार पर यह आरोप लगाते रहे कि इन-इन अधिकारियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है ? और वही अधिकारी लिख करके देता है और उस अधिकारी के लिखने पर आप एस.आई.टी का गठन करते हो, यह आप क्या सिद्ध करना चाहते हो ?

श्री उमेश पटेल :- शिवरतन भैया, इसी विषय पर आपके ही वरिष्ठ साथी हैं उनसे भी जरा पूछ लीजिए कि वह क्या कहते हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, वास्तव में एस.आई.टी का गठन जनहित में ना हो करके इनके पोलिटिकल इंट्रेस्ट के विषय में यह एस.आई.टी का गठन हो रहा है।

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन जी, आप 21 मिनट ले चुके हैं, आपके पास 9 मिनट और हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, आज जो प्रारंभ किये हैं, वह हमारे प्रथम वक्ता हैं, पहले वक्ता को तो समय देना चाहिए, सारे विषय हैं, और भी विषय में आयेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप एक घंटे के बाद उनको टोकियेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, इस पंचम विधानसभा में मैं पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- आप तो रोज बोलते हैं, उसका क्या है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- भाषण के रूप में पहली बार बोल रहा हूं। माननीय सभापति जी, मैं तो इनसे कहता हूं कि इनको एक एस.आई.टी का गठन करना चाहिए कि हमको कितनी एस.आई.टी गठन करना है। आप उसके लिए एस.आई.टी का गठन कर लो और एक बार संख्या, विषय निर्धारित कर लो, ये रोज-रोज एस.आई.टी गठन करने के मामले से बचोगे।

माननीय सभापति जी, इस सदन में इस सदन के विशेषाधिकार को भंग करने का काम इस सरकार ने, इस सरकार के मुखिया ने किया है। हमने उसमें विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है। एक विषय में कैग की रिपोर्ट का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत हुआ। आप भी लंबे समय से विधानसभा में हैं, विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे हैं। और ये विधानसभा की परंपरा है कि जब कैग की रिपोर्ट आती है तो कैग की रिपोर्ट पहले लोकलेखा समिति को भेजी जाती है, लोकलेखा समिति उसमें विचार करती है। सेकेटरी और प्रिंसिपल सेकेटरी स्तर के अधिकारियों को बुला करके संबंधित आडिट आपत्तियों पर मौखिक साक्ष्य लेती है और उसके प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत करने के पश्चात सदन उस पर निर्णय लेता है कि उस पर क्या करना है। पंचम विधानसभा के प्रथम सत्र में कैग की रिपोर्ट इस सदन में प्रस्तुत हुई, वह रिपोर्ट समिति को नहीं भेजी गई, सीधा ई.ओ.डब्ल्यू. को भेज दी गई। सदन का

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

विशेषाधिकार भंग करने का काम इस सरकार ने किया है और खाली आप ई.ओ.डब्ल्यू. को उस रिपोर्ट को भेजकर क्या बताना चाहते हो ? कैग की रिपोर्ट की जहां चर्चा होती है, उस समिति के आप स्वयं भी सदस्य रह चुके हैं, क्या ये परंपरा उचित है ? इस परंपरा को तोडने का काम इस सरकार ने किया है।

माननीय सभापति जी, प्रदेश में बीते दो माह में अपराध की घटनायें बढ़ी हैं और अपराध की घटनाओं के बढ़ने के पीछे एक बड़ा कारण है, अपराधियों को सरकार का राजनीतिक संरक्षण, गुंडो को इस सरकार का राजनीतिक संरक्षण है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि विभिन्न स्थानों में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की घटनायें हुईं । उनकी रिपोर्ट में आप मामला कायम नहीं कर रहे हैं । गंभीर घटनाओं में छोटे-मोटे अपराध कायम कर रहे हैं और अपराध भी कायम हो रहे हैं तो कौन से? वेलेबल एफआईआर । कवर्धा की एक घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी के मण्डल अध्यक्ष को 8 टांके लगे, मारने वाले के खिलाफ तो कोई अपराध कायम नहीं हुआ, जिस व्यक्ति को 8 टांके लगे उसके खिलाफ अपराध कायम हो गया । माननीय सभापति जी, प्रदेश सरकार का एक मंत्री सार्वजनिक सभा में भारतीय जनता युवा मोर्चे के अध्यक्ष का नाम लेकर पूछता है क्या इसको मैं जेल भेज दूं ? क्या इसको जेल में डाल दूं ? सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है ? राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रताड़ित करने के काम की शुरूआत इस सरकार ने किया है और उसका दुष्परिणाम इस सरकार को भोगना पड़ेगा ।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- श्री शिवरतन भैया, इस परंपरा की शुरूआत कहां से हुई है उस पर मैं नहीं जा रहा हूं लेकिन इस सदन के सदस्य श्री आशीष छाबड़ा जी हैं । उनके साथ क्या हुआ था आप जरा उसको भी पता करवा लीजिये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- श्री उमेश जी, केवल एक ही निवेदन करूंगा कि अपनी पार्टी के इतिहास को उठाकर थोड़ा पढ़ लेना । आपकी पार्टी का जो इतिहास है न वह इतिहास इस प्रदेश में और इस देश में लोकतंत्र को कुचलने का इतिहास है । विरोधियों को दबाने का इतिहास है । (व्यवधान)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति जी, ये गलत बोल रहे हैं, इसको विलोपित करवाईये । इस तरह की बात थोड़ी की जाती है । (व्यवधान) क्या यही हमारी पार्टी का सिद्धांत है ?

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप लोग कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे तब ? (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आपकी सरकार ने इस पर एफ.आई.आर. लगवाया । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति जी, यह विलोपित होना चाहिए । (व्यवधान) आसंदी के निर्देश से यह विलोपित होना चाहिए । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- यह आपकी पार्टी का इतिहास रहा है । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री उमेश पटेल :- मैं खुद वहां गया था । (व्यवधान) मैं उस समय वहां खुद गया था । (व्यवधान) इन्होंने एक महिला को न्याय दिलाने के लिये धरना किया । (व्यवधान)

श्री धनेंद्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको विलोपित करना चाहिए । इन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक बात की, इसे बिल्कुल विलोपित किया जाये । (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, इसमें विलोपित करने का प्रश्न तो इसलिये नहीं है क्योंकि माननीय सदस्य के द्वारा केवल लोकतंत्र की हत्या की बात आयी है । 19 महीने आपने जेल में बंद रखा उसमें केवल राजनीतिक दल के नहीं, अन्य दल के नेताओं को भी रखा, जिसको आपने विपक्ष माना, पत्रकारों से लेकर के अनेक ऐसे लोगों को और लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो और क्या है ? (व्यवधान) इतनी सी बात पर आपको आपत्ति आ गयी ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- क्या यही हमारी पार्टी का सिद्धांत है, लोकतंत्र को कुचलने का ? (व्यवधान)

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह :- दो महीने ही सत्ता से बाहर हुए हुआ है और आप लोगों को सन् 77 क्यों याद आने लग गया है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पत्रकार लोगों की बात कर रहे हो, पत्रकार लोग यहां क्या कर रहे हैं, पत्रकार लोग हड़ताल क्यों कर रहे हैं ?

समय :
1:29 बजे

(सभापति महोदय (श्री धनेंद्र साहू) पीठासीन हुए)

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय सभापति महोदय, मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा । आपने लोकतंत्र की हत्या की बात की, मैं उस समय जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हुआ करता था । 16 अगस्त 2017 की एक घटना है, 15 तारीख को एक महिला के साथ अनाचार होता है, सामूहिक बालात्कार किया जाता है उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी जब धरना-प्रदर्शन करती है । मैं तात्कालिक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पद में उस समय कार्य कर रहा था, जिला पंचायत के अध्यक्ष समेत 18 लोगों के खिलाफ 307 समेत बड़े-बड़े आप लोगों ने मामले दर्ज किये थे और हमारे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष 90 दिन, बेगुनाह होने के बावजूद उसका गुनाह यही था कि एक महिला संरक्षण के लिये प्रदर्शन कर रहे थे । (शेम-शेम की आवाज)

श्री उमेश पटेल :- वह 90 दिन जेल में रहा बिना कुछ किये, आप लोगों के कारण । मैं खुद उससे मिलने गया था ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री देवेंद्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं सम्मानित सदस्य के संज्ञान में पिछले साल की एक बात लाना चाहता हूं मैं महापौर के रूप में कार्यरत था और हमारे यहां गरीबों की बस्तियां उजाड़ी जा रही थीं रोड बनाने के लिये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- कांग्रेस पार्टी का इस विषय पर बोलने वाला का नाम नहीं आया है क्या जो बार-बार खड़े होकर डिस्टर्ब कर रहे हैं ।

श्री देवेंद्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि । मैं महापौर के रूप में उस जगह पर पहुंचा और बोला कि यह गरीबों की बस्ती को मत तोड़िये, इनके घर को मत उजाड़िये । जब तक इनको दूसरा घर नहीं मिलता तो महापौर के ऊपर नगर-निगम के अधिकारियों ने शासकीय कार्य में बाधा की एफआईआर कर दी और ये लोकतंत्र की बात करते हैं, शर्म आती है, शेम-शेम ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, इन्होंने कहा शर्म आती है यह अच्छा शब्द नहीं हैं असंसदीय है, इसको विलोपित करवा देंगे ।

सभापति महोदय :- दिखवा लेंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, जो लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं । मैं उनसे केवल एक ही निवेदन करूंगा कि वे अपनी पार्टी के 1975 से 1977 के इतिहास को पढ़ लें । छत्तीसगढ़ 2000 में बना, छत्तीसगढ़ के 2000 से 2003 के इतिहास को पढ़ लें । इसी छत्तीसगढ़ में रामअवतार जग्गी जैसे व्यक्ति की राजनैतिक हत्या हुई थी और हत्या में जो आरोपित हुए थे, वे सरकार से जुड़े हुए लोग आरोपित हुए थे । सभापति जी, ये लोकतंत्र की बात करते हैं । रायपुर के मेकाहारा के ऑडीटोरियम, जहां आदिवासी नेताओं के मुंह पर कालिख पोतकर, दौड़ा दौड़ाकर मारने का काम आपकी सरकार से जुड़े हुए लोगों के कारण हुआ था, यह लोकतंत्र आप लोगों की सरकार के समय था । सभापति महोदय, मैं इस विषय से आगे बढ़ता हूं ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- और 32 प्रतिशत आरक्षण की बात पर आप लोगों न ट्रायबलों को जेल में ठूंसा था तो (मेजो की थपथपाहट) ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, चुनाव के ठीक पहले, पुलिस विभाग से जुड़े हुए लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया था और उस आंदोलन के बाद जब आपका जन घोषणा पत्र तैयार हुआ तो जन घोषणा पत्र में कहा गया कि पुलिस कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा । तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पुलिस कर्मचारियों के आवास एवं बच्चों की शिक्षा हेतु पुलिस कल्याण कोष को शासकीय अनुदान देंगे । माननीय सभापति जी, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में लगभग 75 हजार पुलिस कर्मचारी हैं । सप्ताह में यदि एक दिन का अवकाश उन पुलिस कर्मचारियों को दिया जाता है तो उसकी संख्याहोगी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लगभग 11000 प्रतिदिन के हिसाब से । जन घोषणा पत्र में आपने घोषणा तो कर दी लेकिन एक दिन में यदि 11000 का पुलिस बल कम होगा तो उस पुलिस बल की पूर्ति आप कहां से करोगे ।इसकी व्यवस्था के लिए आपने इस बजट में क्या किया है । माननीय साहू जी ज़रा स्पष्ट कर देंगे । माननीय सभापति जी, पुलिस कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ देने की घोषणा आपने अपने जन घोषणा पत्र में की थी । जितना देने की घोषणा की थी उसके लिए आपने बजट प्रावधान कितना किया है, आप यह स्पष्ट कर दीजिए । नक्सल प्रभावित पंचायतों को सामुदायिक विकास के लिए 1 करोड़ रूपया दिया जाएगा । यह आपके जन घोषणा पत्र में उल्लेख है । ज़रा यह तो बता दीजिए कि कितनी पंचायतों को 1 करोड़ रूपया देने वाले हैं । माननीय गृहमंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बजट में समग्र विकास के लिए 200 करोड़ का बजट है और मैंने आपके पूरे प्रतिवेदन को पलटा है, नक्सल प्रभावित पंचायतों को 1 करोड़ रूपया देने के लिए कहां से आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं, इसका कोई उल्लेख नहीं है ।

सभापति महोदय :- माननीय शर्मा जी, आपके पूरे दल के लिए 30 मिनट का समय है, आप अकेले ही 30 मिनट से ज्यादा बोल चुके हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, सभी जिलों में महिला सेल के गठन का भी उल्लेख था । आप कहां-कहां महिला सेल का गठन कर रहे हैं, इसका कहीं उल्लेख नहीं है । सभापति जी, माननीय साहू जी के पास एक महतवपूर्ण विभाग लोक निर्माण विभाग भी है । पिछले वर्ष लोक निर्माण विभाग का जो बजट था वह 7316 करोड़ रूपए का था । जब प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है उसमें उन्होंने बताया है कि माह दिसम्बर तक बजट की राशि 3135 करोड़ रूपए खर्च हुई है और यह जो 3135 करोड़ खर्च हुए हैं उसमें लगभग 853 करोड़ का खर्च तो राजस्व मद में है। मतलब जो बजट आपका निर्धारित है उसमें से 50 प्रतिशत कम खर्च किये हैं। आपके पास बजट की इतनी राशि बाकी है तो बजट में जो कार्य हैं उसके लिए आप प्रशासनिक स्वीकृति जारी क्यों नहीं कर रहे हैं ? अगर आपको खर्च करना है तो इसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी करनी चाहिए। आपने मांग संख्याओं में जो कार्य पूर्ण हुए हैं और जो कार्य प्रगति पर हैं, उसका उल्लेख किया है। आपने जो कार्य पूर्ण हो गये और प्रगति पर हैं, उसका उल्लेख कर दिया पर आपने इस बात का उल्लेख कहीं नहीं किया कि बजट में कितनी ऐसी सड़कें हैं, जिसको आपने अभी तक प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी। कितने ऐसे भवन व पुल-पुलियां हैं, जिसको आपने प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी। आपको इसका भी उल्लेख करना चाहिए था। नाबार्ड के काम हैं। 21वें, 22वें, 23वें व 24वें चार चरण का आपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है। इस 4 चरण के काम का आपने जो उल्लेख किया है, उसमें 21 वें चरण में 46 मार्गों की लंबाई का काम था और भौतिक उपलब्धि बता रहे हैं। 43 कार्य पूर्ण हो गये हैं, एक प्रगति पर है और दो का क्या हुआ ? 22वें चरण में आप 41 मार्गों का उल्लेख कर रहे हैं। 35 पुल हो गये, 4 प्रगति पर है 2 का क्या हुआ ? स्पष्ट

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कीजिए। वैसे ही 24वें चरण में 17 प्रगति पर हैं और 22 निविदा प्रक्रियाधीन हैं और निविदा की श्रेणी में आपके ए.डी.बी. की भी बहुत बड़ी संख्या है। आपके सी.आर.एफ. की भी बहुत बड़ी संख्या है। आपकी सरकार को 2 महीने गठित हुए हो गये और ये सारी निविदाएं विधान सभा की आचारसंहिता लगने के पहले लग चुकी थीं। दो महीने में भी आप उन निविदाओं का निराकरण नहीं कर सकें। होना तो यह चाहिए था कि अब तक उन निविदाओं को खोलकर एग्रीमेंट करके वर्क ऑर्डर हो जाना चाहिए था पर आने राजनीतिक कारणों से कांट-छांट करने के लिए इसको अब तक रोक रखा है। आज फरवरी का महीना है मार्च फर्स्ट या सेकण्ड वीक में आचारसंहिता लग जायेगी और आचारसंहिता लगने तक अगर इन निविदाओं को खोलकर इनका वर्क ऑर्डर नहीं हुआ तो प्रदेश के सारे काम रूक जायेंगे।

समय :
1:37 बजे

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए)

श्री शिवरतन शर्मा:- मेरा आपसे निवेदन है कि इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके आचारसंहिता लगने के पहले आप वर्क ऑर्डर करें। छत्तीसगढ़ के सड़कों का जो औसत है, सरकार ने लगातार 15 साल काम किया है, उसके बाद भी राष्ट्रीय स्तर पर हम सड़क के मामले में हम पीछे हैं। राष्ट्र का औसत जो है वह लगभग 100 किलोमीटर में 96 का है और छत्तीसगढ़ का औसत लगभग 53 का है और ऐसे कामों में अगर हम लेटलतीफी करेंगे तो इसका नुकसान होगा। ए.आर. के लगभग सैकड़ों करोड़ के काम हैं, जिसका टेंडर हो गया था, वर्क ऑर्डर हो गया था। खाली काम ही शुरू नहीं हो पाया था। आपने सरकार गठित करते ही पहला आदेश किया जो कार्य शुरू नहीं हुए उन सारे कार्यों को रोका जाए और आज दो महीने से अनिर्णय की स्थिति में सारे काम पड़े हुए हैं। इसमें आपको तत्काल निर्णय करने की आवश्यकता है। पिछली सरकार ने अगर कोई भी काम स्वीकृत किया है तो काम जनता के हित में, प्रदेश के हित में स्वीकृत हुआ है। किसी के व्यक्तिगत हित में स्वीकृत नहीं हुआ है। विकास कार्यों में राजनीति न करें। यह निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। आपके पास जेल विभाग भी है। जेल विभाग में 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनी तो बंदियों की आवास की क्षमता 4,503 की थी और वर्तमान में बंदियों के आवास की क्षमता बढ़कर 12,063 की हो गई है। 267 प्रतिशत की वृद्धि इस पीरियड में हुई है परंतु आज भी जो जेलों की स्थिति है अभी जेलों में जो कैदी हैं, उनकी संख्या 18,494 की है और हमारी क्षमता 12,000 की है। माने आज भी दोहरी संख्या में कैदी हैं पर इनके लिए जेल में बैरक बनाने की आवश्यकता है। परन्तु आपने इसके लिए क्या बजट प्रावधान किया है? आपका जो बजट है, वह ऊंट के मुंह में जीरा है। अगर आप सही मायने में प्रदेश के हित में काम

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करना चाहते हैं तो इन सारे कार्यों के लिए बजट बढ़ाना चाहिए, यह मेरा निवेदन है, माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के पास धर्मस्व, संस्कृति और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। इस विभाग का मंत्री बनने के बाद जो सबसे बड़ा काम मंत्री जी ने किया है, वह बड़ा काम किया है, जिस काम के चलते धार्मिक क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हुआ था। धर्म के नाम पर लोग छत्तीसगढ़ को जानने लगे थे। उस राजिम कल्प कुंभ का नाम बदलकर के राजिम पुन्नी मेला करने का काम किया है। आपने यह बड़ा काम किया है। छत्तीसगढ़ में बड़े-बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं। छत्तीसगढ़ में गिरौधपुरी धाम परम पूज्य बाबा गुरूघासीदास का जन्मस्थली है, वहां मेला लगता है। दामाखेड़ा में कबीरपंथ का अन्तर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, वहां मेला लगता है। इन मेला क्षेत्रों के विकास के लिए आपने सिर्फ 5-5 करोड़ रूपये की व्यवस्था की है, जो पर्याप्त नहीं है। दामाखेड़ा में कबीरपंथ का मुखयालय है और वहां जो हीरा सागर और दया सागर हैं, वहां कबीरपंथी आते हैं। हम जिस प्रकार गंगा जल लेकर आते हैं, वैसे ही कबीरपंथी उस सागर का, उस तालाब का जल लेकर जाते हैं। उस तालाब के लिए 25 करोड़ रूपये का प्रोजेक्ट बनकर के शासन के पास विचाराधीन है। जिस काम में 25 करोड़ लगना है, आपने उसके लिए 5 करोड़ रूपये की व्यवस्था की है। आप इस व्यवस्था को बढ़ाये। वहां के मेला के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने पहले 2 लाख रूपये देन की घोषणा की, बाद में 15 लाख किया और 15 लाख रूपये को बढ़ाकर 25 लाख रूपया किया गया। इस वर्ष मेला शुरू हो चुका है। परन्तु मेले के 25 लाख रूपये की राशि अब तक दामाखेड़ा के ट्रस्ट को नहीं मिला है। उस राशि का दिलाने की व्यवस्था करें, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि विभाग को मंत्री के रूप में चलाये, एक पार्टी के नेता के रूप में न चलाये। निष्पक्ष होकर चलायेंगे तो विभाग और प्रदेश का भला होगा। अगर वहां राजनीति करेंगे तो आपको ज्यादा परिणाम भोगना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मोहन मरकाम :- शर्मा जी, पहला वक्ता आधा घंटा ले लिए।

सभापति महोदय :- श्री संतराम नेताम जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- (श्री संतराम नेताम, सदस्य अपना भाषण प्रारंभ करने के लिए माईक चालू किया, लेकिन चालू नहीं होने पर) अभी माइक बंद हे, दू महीना बाद तुहरो मन के बोलती बंद हो जाही।

श्री अजय चन्द्राकर :- धीरे-धीरे सब फ्यूज होने वाला है। धीरे-धीरे सब फ्यूज होगा, सिवाय एस0आई0टी0, वह एक्टिव रहेगी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री संतराम नेताम (केशकाल) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी के द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांग संख्या 24, 3, 5 और 37 के सम्बन्ध में बोलना चाहता हूँ, उनका समर्थन करता हूँ, उनको साधुवाद भी देता हूँ। उन्होंने बेहतर व्यवस्था के लिए मांग की है।

आदरणीय सभापति महोदय, अभी मैं हमारे माननीय शर्मा जी को सुन रहा था। विश्व की सबसे बड़ी घटना अन्तागढ़ है और उसको काफी हल्के ढंग से ले रहे थे। जब आपकी सरकार थी और मैं विधायक था, तब मैं खुद पुलिस थाना विश्रामपुरी में रिपोर्ट लिखवाया था। लेकिन 3 साल के बाद अभी चालान पेश हुआ है। आपकी सरकार में कानून व्यवस्था लचर थी, इसी के कारण आज हमारी सरकार आई है और उसमें न्याय के लिए एस0आई0टी0 का गठन किया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं हमेशा विपक्ष की बात सुनता रहा हूँ कि हमारे दल को दलील किया जा रहा है । सभापति महोदय, अगर कोई घटना घटित हो जाए, हम बस्तर के लोग हैं, बस्तर से आते हैं, उस समय हम विधायक थे, हमारे माननीय मोहन मरकाम जी भी विधायक थे, उस घटना को हमने करीब से देखा है । अंतागढ़ की जो घटना हुई है, हम नामांकन भरने गए, हमारी पूरी तैयारी थी, अचानक वहां मंतूराम पवार नाम वापस लेता है और वह जो टेप कांड की जो घटना है, वह सब लोग जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है । बाकी जो प्रत्याशी बचे थे, उनको ढूंढ-ढूंढकर, बंद करके पुलिस के इशारे पर ये तत्कालीन सरकार के द्वारा डराया, धमकाया गया है । इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई । अगर उस लोकतंत्र की हत्या हुई है, उसकी जांच होती है तो उसमें क्या बात है, जांच होनी चाहिए । जो दोषी हैं, उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए । इसमें घबराने की, डरने की क्या बात है ? इससे मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आपकी नीयत उसमें साफ नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, संतराम जी, एक पैसा कोई नहीं घबरा रहा है । पूरे 15 साल के जो विषय आपके ध्यान में आये, उन सबमें आप एसआईटी की मांग करो ।

श्री मोहन मरकाम :- आपको स्वागत करना चाहिए ।

श्री संतराम नेताम :- एसआईटी का गठन हुआ है । आपको स्वागत करना चाहिए कि इस मुद्दे में हमारी सरकार न्याय दिलाने जा रही है । लोकतंत्र की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है, उसकी सच्चाई अब सामने आ जाएगी । कोर्ट में मामला जाने वाला है, जब चालान पेश होगा तो उसमें जब न्याय मिलेगा, तब आपको पता चलेगा कि उसमें कौन दोषी हैं । आप आरोपी को बचाने का पूरा-पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमारी सरकार न्याय चाहती है, न्याय दिलाएंगे, जिससे भारत देश में इस प्रकार घटना पुन: न हो इसलिए हमारी सरकार ने एसआईटी का गठन किया है ।

माननीय सभापति महोदय, हमन झीरम घाटी की बात करें । झीरमघाटी की घटना बहुत बड़ी घटना है, जिसमें हमारे 31 लोगों की जान चली गई । हमारे शहीद परिवार देवती कर्मा जी, हमारे उमेश

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

भैया जी के परिवार में एक ही दिन 31 लोगों की मौत हुई, उस घटना को हमने करीब से जाकर देखा है कि उस समय बस्तर में किस प्रकार से कानून व्यवस्था थी। लोग डर गए थे, लोग निकलना पसंद नहीं कर रहे थे, इस प्रकार की बड़ी घटना में हमारे भूतपूर्व मंत्री अजय चन्द्राकर जी ने इसी सदन में सीबीआई की घोषणा की, आखिर क्या हुआ, सीबीआई घोषणा का क्या हुआ ? अगर हमारी सरकार उसमें जांच कराना चाहती है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, क्या हुआ, यह पूछने की जगह में नहीं हो, क्या करेंगे, ये पूछो ।

श्री मोहन मरकाम :- इसीलिए तो एसआईटी का गठन किया गया है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय चन्द्राकर जी, धैर्य रखिए । आप थोड़ा सा इंतजार करिए । उसमें हमारी सरकार दूध का दूध और पानी का पानी करने जा रही है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, उसमें अभी देर क्या है, सीबीआई को शुरू करो, बोलो ।

श्री मोहन मरकाम :- आपमें घबराहट क्या हैं साहब, घबरा क्यों रहे हो ?

श्री संतराम नेताम :- सभापति महोदय, अगर आप कोई अपराध नहीं किये हो तो सुनने की क्षमता रखिए, उसका सामना करने की क्षमता रखिए और मैं चाहता हूं कि जो पीड़ित परिवार है, उसको न्याय मिलना चाहिए और न्याय से हम सबको सहमत होना चाहिए और देश में ऐसी पुन: घटना न हो, इसलिए जांच का गठन किया गया है, आप थोड़ा शांत रहिए, इंतजार कीजिए, कुछ बड़ा होने वाला है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट । सभापति महोदय, मेरा एक विषय है । गृहमंत्री जी, आप इंतजार कीजिए, कुछ बड़ा होने वाला है । ट्रेजरी बैंच के सदस्य बोल रहे हैं, इसका मतलब या धमकी है कि बड़ा होने वाला है..।

श्री संतराम नेताम :- धमकी कुछ भी नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, एक सेकण्ड । या आपके विभाग की कोई गोपनीयता नहीं रहती या संवेदनशील मामलों को आप ऐसे ही लोगों को बांटते हैं, ये मैं जानना चाहता हूं ।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति महोदय, इंतजार कीजिए, जांच में तो आएगा ही न । जो छोटे को पकड़े हो, बड़े जो आएंगे न, उसमें होगा ही । वह पूरे छत्तीसगढ़ की, पूरे देश की जनता देख रही है । इंतजार कीजिए । माननीय सदस्य ने सही बात की है, कौन सी गलत बात कही है ।

श्री संतराम नेताम :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य जी, बड़ा का मतलब होता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ न्याय होने वाला है । मैंने कोई संसदीय, असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं किया

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

है । आप देखते जाईए, किस प्रकार से हम लोगों को न्याय मिलेगा, उसमें आप सहन कीजिए और इंतजार कीजिए ।

माननीय सभापति महोदय, हमारे मंत्री जीने बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को मजबूत करने के लिए हमारे 4504 करोड़ का प्रावधान किया गया है । मैं समर्थन करता हूं । जब से हमारी सरकार बनी है, तब से नक्सलवाद की घटना कम हुई है । हमारी सरकार की सोच है कि पुलिस को मजबूत बनाया जाये । पहले पुलिस को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एक बजट की व्यवस्था की गई है । पहलेउनके आवास की व्यवस्था, आपके समय में हमारे पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी किराये के घर में रहते थे । हमारी सरकार ने आवास के लिए पैसे की मांग की है । उनको रहने के लिए बढिया व्यवस्था करायेंगे । माननीय सभापति महोदय, पुलिस को बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार ने, हमारे मंत्री जी ने, वर्ष 2001 और वर्ष 2002 में 248 करोड़ था । अभी 4178 करोड़ रूपये की व्यवस्था है । उनके आवास के लिए, उनके अस्पताल के लिए व्यवस्था की गई है । आरक्षण से निरीक्षक तक रिस्पांस भत्ता के लिए 45 करोड़ 84 लाख का प्रावधान किया गया है । आदरणीय सभापति महोदय, हमारे पुलिस बल की विभिन्न शाखाओं के लिए, कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, विभिन्न शाखाओं के लिए, 2000 पद भर्ती करने का प्रावधान किया है । पांच नवीन थाना तथा चौकी थाना में उन्नयन हेतु 10 करोड़ का प्रावधान है, पांच थाना तथा 20 चौकी के लिए 12 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है, हम चाहते हैं कि पुलिस की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- संतराम जी, आप बहुत योग्य सदस्य हो । आपकी प्रशंसा करता हॅू, लेकिन यह देख-देख के पढ़ोगे तो समाप्त हो जाओगे । एक्सटेम्पोर बोलो, वह क्षमता आपमें है ।

श्री संतराम नेताम :- चलिये, मैं बोल देता हॅू । मेरा यह कहना है कि शारीरिक और मानसिक रूप से जब पुलिस ही स्वस्थ रहेंगे तो हमारे प्रदेश का कानून व्यवस्था मजबूत रहेगा । इसीलिए हमारे माननीय मंत्री जी ने उनके हर सुख-सुविधा के बारे में ख्याल रखे हैं । उनके आवास के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके वेतन-भत्तों के लिए, होम गार्ड के लिए अलग से व्यवस्था किये हैं । हमारे केन्द्रीय जेल में रहने वाले अधिकारी, कर्मचारी के लिए, उनके आवास के लिए, कैदियों की सुविधा के लिए, उन्होंने बेहतरीन व्यवस्था किया है । सभापति महोदय, हमारे मंत्री जी ने लोक निर्माण विभाग के लिए 2756 करोड़, 1332 करोड़ की जो व्यवस्था किये हैं, जिसमें वर्तमान में 178 सड़क एवं 77 पुल के कार्य प्रगति पर है । वर्ष 2019-2020 के नये कार्य के प्रस्ताव के लिए, रेल्वे ओव्हरब्रिज, अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए, 23 पुल, 6 राजमार्ग, 25 मुख्य जिला मार्ग, 291 किलोमीटर मूलभूत सेवा के अंतर्गत, ग्रामीण मार्गों 19 मार्ग लंबाई 73 किलोमीटर, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए 103 मार्ग, लम्बाई 385 किलोमीटर, शहरी क्षेत्र के लिए अंतर्गत मार्ग 147 किलोमीटर, इस प्रकार से 236 करोड़ 27 लाख

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

50 हजार की मांग सम्मिलित है । माननीय मंत्री जी ने हमारे प्रदेश के लिए, सड़कों के लिए, भवनों के लिए, एकअच्छी व्यवस्था करने की मांग उन्होंने रखी है । मैं उसका समर्थन करता हूॅं और अपनी बात समाप्त करता हूॅं ।

सभापति महोदय :- श्री अजय चन्द्राकर जी ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संस्कृति मंत्री जी, थोड़ा सा गृह विभाग में.....।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, देखकर नहीं बोलना है ना ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप थोड़ी देर में देखिये । एक सांस्कृतिक शब्द से पुलिस विभाग को शुरू करता हूॅं साहब । आप यह मत कहियेगा । आपकी ओर से नकारात्मक शब्द मत आये । प्रदेश में एक कॉप ड्रामा चल रहा है और कॉप ड्रामा क्या होता है, यह पुलिस का थियेटर है । डी.जी.पी. साहब बैठे हैं, पूछ लीजिएगा । कॉप ड्रामा । मैं जो गृह विभाग में कहना चाहता हूॅं, वह दो-तीन चीजें हैं, पहला आप एक दमदार आदमी दिखे, निर्णय लेने वाले आदमी दिखे, छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र दिखे। मैं पुलिस जैसी संस्था का समर्थक आदमी हूं लेकिन पुलिस जैसी संस्था को आप क्या बनाना चाह रहे हो यह महत्वपूर्ण है। आप राजनीतिकरण कर रहे हैं जिसके एक से एक उदाहरण हैं। आप उसको स्वतंत्रतापूर्वक काम करने दीजिए। मैं कहा हूं कि इधर के जितने भी दोषी हैं, 15 लोग हैं, 15 साल के लिए एक-एक हैं। कोई बात नहीं जनादेश है। हम जेल जायेंगे। आपने उस दिन कहा था, मजाक में कहा हो, सही में कहा हो, बजट में जब जेल की मांग पढ़ रहे थे तो आपने कहा था कि आप लोगों के लिए है, तो हम मानसिक रूप से तैयार हैं। कोई चिन्ता नहीं लेकिन उनको काम करने दीजिए। बहुत सक्षम और बहुत अच्छे अफसर आपके पास मौजूद हैं। आप ये कॉप ड्रामा मत करवाईये। अब दो-तीन चीजें मैं आपसे पूछूंगा। नक्सली नीति - क्या आपको कवासी लखमा का पत्र मिला है कि उन्होंने मुठभेड़ को फर्जी बताया है? क्या मुख्यमंत्री जी को उन्होंने पत्र लिखा है और पीड़ित परिवारों के लिए बात की है? ये प्रदेश शासन के एक जिम्मेदार मंत्री का पुलिस के सबसे अच्छे कार्यवाही को लिखना, उनका मनोबल गिराना ये क्या है? आपने अपने घोषणा पत्र में, भाषणों में नक्सल नीति पर कहा है कि हम पीड़ित पक्ष से पूछकर बनायेंगे। पीड़ित पक्ष कौन-कौन है? उसकी क्या परिभाषा है?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- भईया, इसको देखकर मत बोलो ना। उधर देखो पहले।

श्री अजय चन्द्राकर :- बहुत सुंदर। मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और इधर देखकर बोल लेता हूं। आपने बहुत अच्छी आपत्ति ली। आपकी आपत्ति संसदीय इतिहास में याद की जायेगी। नजीर बनेगी, उदाहरण बनेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय सभापति महोदय, पीड़ित पक्ष कौन है? कब पूछेंगे, किससे पूछेंगे? ये भ्रम की स्थिति है।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, ये पीड़ित पक्ष कलेक्टर है जिनका अपहरण हुआ था।

श्री अजय चन्द्राकर :- और उस भ्रम की स्थिति में फोर्स का जो मनोबल गिर रहा है, जो शांति का टापू बनने जा रहा था, जो विकास पहुंच रहा था आज वह एक जगह पर खड़ा हो गया। मैं एक दूसरी छोटी सी बात कहकर दूसरे विभाग पर आऊंगा। उसी पुलिस ने तीन लोगों जिनमें अर्चना प्रसाद, संजय परातरी, नंदनी सुंदरम हैं, इस तरह के वामपंथी लोग को चालान प्रस्तुत करने के पहले दोषमुक्त कर दिया जिन्हें 302 का अपराधी बनाया गया था। मैं उस दिन अभिभाषण में एक पेपर को कोड किया था कि नक्सलियों ने एक पार्टी को अंदर तक घुसकर प्रचार करने की अनुमति दी, उनकी अपेक्षाएं हैं। आपने बिना चालान प्रस्तुत किए इन्हें अभियोग से मुक्त करके उस संदेह को पुष्ट किया है कि आप नक्सलियों के समर्थन में हैं, यह आरोप बनता है। आप फोर्स का मनोबल गिरा रहे हैं यह आरोप बनता है। हम पुलिस के साथ खड़े हैं। आप राजनीतिक दुरूपयोग करिये, ठीक है, लेकिन जो सही अर्थों में वहां पुलिस की भूमिका निभा रहे हैं हम उनके समर्थन में हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ सामाजिक चीजें हैं। ट्रेफिक पर बोलना चाहता हूं कि इस सरकार में ट्रेफिक जो है वह स्थानीय शासन, परिवहन और पुलिस के बीच का फुटबाल है। लोग रोज मर रहे हैं, आज भी मरे हैं। कौन सा घुमावदार मोड़ है तो पी.डब्ल्यू.डी. की तरफ चल देगा, वह चौक निगम ने बनाया है यह बोल देंगे, तो परिवहन विभाग ने जांच नहीं की, यह बोल देंगे। कोई नियंत्रण नहीं है। क्यों? नियंत्रण क्यों नहीं है? इसलिए नियंत्रण नहीं है क्योंकि उन्हें उनकी स्वाभाविक ड्यूटी से हटाकर आप उनका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में पुलिस द्वारा वाहनों के प्रदूषण की जांच नहीं हो रही है, मशीन नहीं है और लोग गाड़ियां नशे में चला रहे हैं उसकी जांच नहीं हो रही है, बिना हेलमेट के चला रहे हैं उसकी जांच नहीं हो रही है, लूट हो रही है उसकी जांच नहीं हो रही है, डकैती हो रही है उसकी जांच नहीं हो रही है। पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले जी के पेट्रोल पंप को लूट लिया गया, जांच क्यों नहीं हो रही है? आपने एक लक्ष्य दिया है, जो शिवरतन जी ने कहा कि साहब किसी भी तरह ये 15 और इनके पीछे जो लोग हैं उनको निपटाओ। मैं इस बात के समर्थन में बोलता हूं कि एस.आई.टी. इसलिए बननी चाहिए कि किस-किस विषय में एस.आई.टी. बनाई जाए। मैं गृह विभाग में आखिरी बात बोलना चाहता हूं कि उस नौजवान उमेश पटेल ने जिन परिस्थितियों में घर संभाला और उस पीड़ित परिवार के जितने लोग हैं जिन्होंने घर संभाला, यह प्रदेश की क्षति थी, सार्वजनिक जीवन की क्षति थी, हम सबकी क्षति थी। दुर्भाग्य है, शासन के गृहमंत्री जी बैठे हैं, मैं थोड़े दिन गृहमंत्री था, मैं बिल्कुल एक विद्यार्थी की तरह जानना चाहता हूं कि एन.आई.ए जांच बड़ी है, न्यायिक जांच बड़ी है, सी.बी.आई. जांच

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बड़ी है कि एस.आई.टी जांच बड़ी है। एस.आई.टी कवासी लखमा जी से पूछेगी क्या यदि चौथी दांत ? जा सहयोग विपक्ष से चाहिए, जो जो बात उन्होंने बोली मैं समर्थन करता हूं और मैं उससे एक कदम बढ़कर बोलता हूं। अगर राजनीति नहीं करनी है। डॉ. रमन सिहं जी ने गृहमंत्री जी को कही थी वो बात अक्षरश: सत्य है । ठीक है, उस समय मैं नहीं आया। आपको इतनी चिंता है, अगर आप ईमानदारी से करना चाहते हैं, तो एक प्रक्रिया और बाकी है। कवासी लखमा जी को इस्तीफा दिलवाइये, एस.आई.टी गठन के कार्य करते तक, जो मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह, नाम नहीं लेना चाहिए, उनको जांच प्रभावित होने के लिए निलंबित किया। एस.आई.टी पूछताछ करें तब तक मंत्री पद से हटाइये और यदि मंत्री पद में रखते हैं, तो जांच नहीं होगी। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण गवाह है। मैं ये मांग करता हूं विपक्ष की ओर से, उनकी अध्यक्षता में आप जे.पी.सी बना दीजिए। इससे बड़ी जांच नहीं हो सकती लेकिन करवाइये तो क्या मदद चाहिए सदन से, क्या मदद चाहिए बृजमोहन जी से, क्या मदद चाहिए विपक्ष से, डॉक्टर साहब से, नेता प्रतिपक्ष से, राजनीति मत कीजिए। मैं उस नौजवान की प्रशंसा इस सदन में इसलिए करता हूं कि विपरित परिस्थितियों में उन्होंने जिया और जनत का विश्वास जीता है। इसलिए मूल भूमिका में पुलिस रहे, लाईंड आर्डर जो राज्य के सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं उसको करने दीजिए, उनकी मांगों को पूरा करिये सब करिये, दुर्भाग्य से आप वही काम नहीं करवा रहे हैं। बाकी सब काम करवा रहे हैं। जेल में बाद हुई क्षमता बढ़ाइये, अपराधी इसी समाज के हैं, अपराध घटे, उनको सुविधाएं मिले, उनकी काउंसलिंग हो, उनकी ईलाज हो, 54 और 57 मरना चिंताजनक है वृद्ध नहीं, यदि कम उम्र के लोग मरते हैं, एक 19 साल का आदमी मरा है, चितांजनक है। ये आरोप नहीं है, वे हमारे समाज के बीच के लोग हैं,। उनको हर तरह की किन्हीं किन्हीं तरह से मदद मिलनी चाहिए। कोई बात नही, कोई बजट नहीं, बजट तो एक ही चीज का है, छत्तीसगढ़ में आगे आगे हम चर्चा करेंगे एक लाईन में, नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी और किसान के कर्जा माफी आधा अधूरा बाकी विषय छत्तीसगढ़ में घट ही नहीं रहे हैं। मैं उस माननीय रविन्द्र चौबे जी के लिए ऐसा बोला कहां हैं मंत्री, तो मेरे जेस्टर क्वेश्चन में आपत्ति हो गई। इन्हीं के विभाग में भी कटौती हुई है, चर्चा होगी। पी.डब्ल्यू.डी विभाग है। पी.डब्ल्यू.डी विभाग दिख नहीं रहा है मेरे को तो उसमें कहने के लायक भी नहीं है। मूल बजट में मैंने कहा पूंजीगत घटा है 11 हजार करोड़ समथिंग। मांग संख्या 24 जिनका मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। 24,42,64 ये राज्य का बजट तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता जो नये मद लिये गये हैं। ये तो मुझे लगता मंत्री जी को अभी छत्तीसगढ़ की दृष्टि के लिए अभी मेहनत करनी पड़ेगी। दुर्ग ग्रामीण में लोक निर्माण मंत्री कभी नहीं रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र के बारे में मैं कुछ नहीं बोलता। आप अध्ययन करिये कि कांग्रेस के भी पूरे विधायकों को कितना सड़क पुल पुलिया दिया गया है। दुर्ग जिले में कितना दिया गया, अपनी बात तो मैं करता ही नहीं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति जी, आपके क्षेत्र को कितना मिल गया।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति जी, बता दूंगा। ये बजट क्या है? आप क्या साबित करना चाह रहे हैं राजनीतिक बजट ? आप छत्तीसगढ़ के माटी का सपूत कहते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी बड़ी बात करते हैं और जब क्रियान्वयन होना दिखता है तो 4 और 5 लोगों में सीमित हैं, 68 लोग भी आपके तरह मेनडेड लेकर इस तरह आये हैं, विपक्ष की बात तो छोड़ दीजिए। ये बेचारे को 2 करोड़ रूपये दे के मूत बना के बैठा दिये हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति जी, इतने गुस्से में काहे बोल रहे हो भाई, आराम से गुस्से में जोश में क्यों आ रहे हो?

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति जी, 50 बार बोल चुका हूं।

श्री सौरभ सिंह :- सभापति जी, आपके लिये बोल रहे हैं, आपके 68 लोग के लिए बोल रहे हैं, आपकी बातों को कर रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति जी, आपके हक की लड़ाई के लिए बोल रहा हूं। चिन्ह लगा के रखा हूं पढ़ूं क्या ?

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति जी, 15 साल से हम लोग की हक की लड़ाई लड़ रहे हो, इसलिए बोल रहा हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, पी.डब्ल्यू.डी में अमूमन ये होता रहा कि हम मांग संख्या में अपनी मांग करते रहे। माननीय मंत्री जी ने हम लोगों की वह हैसियत नहीं बनायी है। पहले बजट से राजनीतिकरण इतना कर दिया कि हम बोलने की स्थिति में नहीं हैं। इनसे मांग कर देंगे और वह पूरा हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के विकास में ताला लगते दिख रहा है। भूमिका में लिखी है दवा पहुंचेगी, निवेश आएगा, ये आएगा वह बजट में आएगा। रायपुर ग्रामीण की सड़क दुर्ग ग्रामीण की सड़क बन जाने से निवेश आ जाएगा। वहीं ज्यादा इलाज की जरूरत है ? बाकी 68 जो विधायक हैं उनके क्षेत्र में इलाज की जरूरत नहीं है ? वहां निवेश की जरूरत नहीं है वहां किसी चीज की जरूरत नहीं है ? दृष्टि का पूरी तरह अभाव, दृष्टिकोण का अभाव, विशुद्ध रूप से जितने विभाग मैं अभी तक बोला हूँ, उसका राजनीतिकरण बहुत अच्छा, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मैं धर्मस्व विभाग के संबंध में बोलना चाहता हूँ। मैं संस्कृति में एक लाईन पहले बोल देता हूँ मैं बहुत सारी परिभाषाएं संस्कृति की रखा हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। कल रात को मैं रामधारी दिनकर की किताब पढ़ रहा था। मैं कल रात को गुणाकर मूले जी को पढ़ रहा था। एक अच्छी परिभाषा निकली, जल्दी जल्दी हाथ में लिखा। संस्कृति की अमरता इस बात पर निर्भर करती

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

है कि वह कितनी विकासोन्मुखी है। संस्कृति मानव समाज के जीवन के विकास आनन्द और उत्कर्ष का आधार होती है। सभ्यता संस्कृति का बहिरंग है अर्थात् बाहय ढांचा है। संस्कृति सभ्यता को जीवन देती है और दोनों की एकरूपता से ही किसी समाज का निर्माण होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है। मनुष्य से संस्कृति को विलग कर दीजिए तो वह बर्बर युग का पशु मात्र बनकर रह जाता है। उस दिन मैंने सांस्कृतिक निरक्षरता की बात की थी। सांस्कृतिक निरक्षरता क्या होती है आपके एक नेता हैं माननीय शशि थरूर जी, राजस्थान फेस्टिवल, लिक्ट्रेचर फेस्टिवल में गये थे। आप उनसे पूछ लीजिएगा, आप उस दिन उत्तेजित हो रहे थे, जब उस दिन में सांस्कृतिक निरक्षरता के बारे में बोल रहा था। क्या किया है? क्या दृष्टिकोण है? बजट की कटौती की कोई मांग नहीं है, दोनों में पर्यटन संस्कृति और धर्मस्व। धर्मस्व में अति उत्साह, उसी दिन पारण, उसी दिन प्रकाशन, उस दिन सबको शिथिल करके राजिम पुन्नी मेला का नाम बदल डाला। बृजमोहन जी या डॉ. रमन सिंह जी ने कुम्भ नाम क्यों दिया? जितने शास्त्र अनुचित हैं उस दिन उद्‌देश्य के कथन में बोल रहे थे, ये लिखा है हाऊस की प्रापर्टी है कौन से शास्त्र के विरोधी है, ये साबित कर दें ?

माननीय सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के इतिहास संस्कृति को जो जानते हैं, ज्ञात इतिहास में विक्रमादित्य ने चारों कुम्भों को शुरू किया था। समुद्र मंथन से निकली कलश कुम्भ की चार जगह अमृत की बूंदे गिरी, वहीं कुम्भ होते हैं। यही शास्त्रों में उल्लेख है। कोई आदमी अपने तीर्थों को जाकर...।

श्री विनोद सेवन लाल चन्द्राकर :- माननीय अजय भईया, राजिम कुम्भ में कौन सा अमृत गिरा था, वह बता दीजिए?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय आप एक सेकण्ड सुन लीजिए। ये कठिन विषय है आपको थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आएगा। कई तीर्थ लुप्त हो गये थे। बद्रीनाथ उस दशा में नहीं था। केदारनाथ जी उस दशा में नहीं थे। जगन्नाथ जी उस दशा में नहीं थे। आदिशंकराचार्य जी ने उसको फिर से जागृत किया। फिर से प्रतिष्ठित किया, हिन्दुस्तान के बाद ये छत्तीसगढ़ है जहां दो त्रिवेणी है। राजिम त्रिवेणी है यदि उसको जागृत करते हैं उसकी महिमा बनाते हैं। उसकी वास्तविक प्रतिष्ठा दिलाते हैं, सवाल पुन्नी मेला का नहीं था। छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति मध्यप्रदेश सी.पी. बरार, मध्य प्रांत किसी के साथ रहते सदैव उपेक्षित रही और उसको आकार देने का काम शुरू हुआ। वह इन्हीं लोगों ने शुरू किया। कोई भी उपकरण बन सकता है। यदि हम कोई उपकरण, नये उपकरण, नये विचार को आत्मसात नहीं करते हैं तो गतिशील संस्कृति नहीं हो सकती है। आपने एक जड़ता का परिचय दिया। आप सांस्कृतिक जड़ता के प्रतीक बने, नाम में रखा क्या है? सेक्सपियर की लाईन है तो नाम में कुछ रखा ही नहीं है तो नाम को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। वैकल्पिक स्थिति क्या है ? लोग नहाने जाते थे, आज जाएंगे, मंदिर में राजीव लोचन जी का दर्शन करेंगे, आज जाएंगे और रेखराज जी का दर्शन

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

करेंगे। कुलेश्वर देव जी के दर्शन करेंगे। कानून की क्या जरूरत है ? क्यों नाम बदले ? कानून निरस्त करना देना था, विधान सभा में आये तो, क्यों ? नाम भर रखने के छोड़, आपके पास कोई वैकल्पिक दृष्टिकोण है नहीं ? क्यों ? साहब कर्जा माफी करेंगे, गांव, घुरुआ, नरुआ, बाड़ी वह करेंगे, क्या बोलते हैं। संस्कृति जैसे शब्दों से लेना-देना नहीं है। अब कुछ बातें बड़ी अपेक्षा से यदि आप छत्तीसगढ़ के सपूत हैं तो अभी तक तो आपके किसी भी स्पेट से वह नहीं दिखा कि आप छत्तीसगढ़ के सपूत हैं, मैं अपनी असफलता स्वीकर करता हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- चन्द्राकर भैया उसके लिए प्रमाण-पत्र कौन जारी करता है कि छत्तीसगढ़ के हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक छत्तीसगढ़ के निवासी होने के नाते बोलता हूं, थोड़ी देर के लिए मुझे इस मुद्रा से हटा दीजिए। यह देश में एकमात्र प्रदेश है, जहां संग्रहालय डायरेक्ट्रेट लगता है , यह दिल्ली के संग्रहालय से भी पुराना है, उसको 100 बार कहा गया, जिस अधिकारी की आप सुन रहे हैं, जो आपके सलाहकार हैं, उसने ही जगह देने से इंकार दिया। आप गर्व करिये। यह वही प्रदेश है, हमको मध्यप्रदेश से डाक्यूमेन्ट प्राप्त हुए, छत्तीसगढ़ में 18 साल से शोध नहीं हो रहा है, अभिलेखागार बस्ते में बंधा के बंद पड़ा हुआ है। कोई सोचने को तैयार नहीं है।

श्री बृहस्पत सिंह :- 15 साल में नहीं खुल पाया, वह बहुत जल्दी होगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने अपनी असफलता स्वीकार की है, ऐसा बोलने की हिम्मत है।

श्री बृहस्पत सिंह :- मैं वही तो बोल रहा हूं कि आप 15 साल में खोलने की हिम्मत नहीं कर पाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको ये विषय समझ में नहीं आता है, आप बैठो।

श्री सौरभ सिंह :- बृहस्पत सिंह जी छत्तीसगढ़ का माटी पुत्र बोल रहा है, आप सुनिये तो कोई अच्छी बात बोल रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- छत्तीसगढ़ की बोली को भाषा बनाना, कल मेरा प्रश्न था, मैं ईमानदारी से सुनना चाहूंगा कि आप कौन-कौन सी 19 बोली जानते हैं ? मैं ईमानदारी से यह बात जानना चाहूंगा कि उसमें कितने प्रकाशन हुए हैं, कितनी कार्यशाला हुई हैं, किसने किया, कब किया, और किस विषय में किया ? माननीय सभापति महोदय, सदन को गुमराह किया गया है, उसमें कोई काम नहीं हुआ है और मैं उसमें नोटिस देने वाला हूं। यहां असत्य कथन कहा गया है।

श्री बृहस्पत सिंह :- थोडी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वहां एक सांड आया था और उसको काजू-किशमिश खिलाया जा रहा था, ऐसा था, वैसा था, उस टाईप का उदाहरण दे रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ की बोली को भाषा बनाना, राजभाषा आयोग ने क्या काम किया है ? मैंने थोड़े दिन में 25 बार कहा। शब्दकोष प्रकाशित हो गये, ठीक है। जो भाषा के लिए उपयोग होना चाहिए, शासकीय भाषा के तौर पर स्वीकार करना चाहिए, आपने क्या काम किया ? सरकार ने क्या सोचा है ? आपके दस्तावेज में कुछ लिखा है ? राजिम पुन्नी मेला, राजिम पुन्नी मेला, राजिम पुन्नी मेला, राजिम पुन्नी मेला। जो छत्तीसगढ़ की सहायिका बनती है, रोज की दैनंदिनी में उपयोग करने के लिए शब्दकोष बनाने के बाद क्या आपने उसमें काम किया ? उसके लिए सोचा, उसके लिए सोच रहे हैं ? भाषा, बोली का मानिकीकरण जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, छत्तीसगढ़ की बोली के मानिकीकरण के बारे में आज तक कोई काम नहीं किया और इन्होंने राजिम पुन्नी मेला से ऊपर कोई बात नहीं की। मैं इस बात को सुनना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, बहुत सारे विषय हैं। छत्तीसगढ़ में बोली को भाषा बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, राजभाषा असफल रही। मैं था, मैं अपनी असफलता स्वीकार करता हूं भले ही मैं एक साल रहा। उसमें जितने कथन कहे गये हैं, आप बहस के लिए जिस दिन बोलें, मैं बिना कोई कागज के बहस के लिए तैयार हूं। आपको उस बहस के लिए जितने लोगों की मदद लेनी है, ले लीजिए।

माननीय सभापति महोदय, पुरखौती मुक्तांगन। यहां विभाग के लोग बैठे हुए हैं, बहुत सक्षम लोग हैं, मैं अधिकारियों की आलोचना कभी नहीं करता। पुरखौती मुक्तांगन के बारे में आपकी क्या दृष्टि है ? मैं उत्तर जरूर सुनना चाहूंगा कि पुरखौती मुक्तांगन का मतलब क्या होता है ? भारत का, दुनिया का सबसे बड़ा खुला मानव संग्रहालय बनता, आप बताईयेगा, घुरूआ, बाड़ी से निकलियेगा, छत्तीसगढ़ की विरासत में घुरूआ, बाड़ी और नरूआ से ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। मैंने बोला कि जड़ता से निकलिये, नये उपकरण को आत्मसात करिये, बदले से उठिये, रायपुर, दुर्ग ग्रामीण से अलग हटिये।

सभापति महोदय :- माननीय, 20 मिनट हो गये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, संस्कृति तो ऐसा विषय है, मैं दूसरे विषय नहीं बोल रहा हूं और इसको आप सीमा में करेंगे तो मैं छत्तीसगढ़ के साथ अपराध करूंगा। मैं जल्दी खत्म कर देता हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- हम अपना वक्ता कम कर देंगे, आप बोलने दीजिए।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- अच्छे वक्ता हैं, संस्कृति के ऊपर में बोल रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, जल्दी-जल्दी बोल देता हूं। छत्तीसगढ़ के व्यंजन, एक फैशन की तरह चल रहा है या कैसा चल रहा है, मैं नहीं जानता। माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष जी के कक्ष में हम जाते हैं । एक अवधिया परिवार को मैंने अधिकृत किया कि इसकी रेसिपी आप बनायें । रेसिपी बन गई, भुगतान के लिये पूरी नहीं बनी, बस्तर के लोग बैठे हैं। बस्तर के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लांदा, कितनी कैलोरी होती है ? खाद्य है कि नहीं है ? कितने से बनता है, कैसे बनता है, यदि उसकी ब्राण्डिंग करनी है तो उसका मानिकीकरण कैसे होगा ? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद को हमने कहा था, दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ के रेसिपी का भुगतान 2 साल में हुआ, पूरा नहीं बना और उसके मानिकीकरण तय नहीं हुए नहीं तो छत्तीसगढ़ का खाद्य जितना पोषक है, जितना कम कैलोरी का है ।

श्री मोहन मरकाम :- साहब, आपकी सरकार थी । भुगतान नहीं किये तो उसका दोषी कौन है ? हमारी सरकार को तो मात्र 2 महीने हुए हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने असफलता स्वीकार कर ली । मैंने कहा कि मैं एक आदमी के तौर पर बोल रहा हूं, एक छत्तीसगढ़ का आदमी बोल रहा है । आप नहीं हो तो छत्तीसगढ़ के बाहर जाओ ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, 5475 दिन सरकार में रहने का इनको मौका मिला । उस समय इनको याद नहीं आया ? जब 50 दिन की अभी सरकार बनी तब इनको ध्यान आया है । इसका मतलब 5 साल में घुटन महसूस कर रहे थे । ये क्या-क्या गलत सुना रहे हैं ? छत्तीसगढ़ के हम नहीं हैं, क्या ये प्रमाण-पत्र जारी करेंगे ? क्या हम छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं ये प्रमाण-पत्र जारी करेंगे ? यह गंभीर बात है ।

श्री ननकीराम कंवर :- पहले तो जो ये बोल रहे हैं उसको तो समझ लो ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं सम्मान करता हूं लेकिन क्या ये प्रमाण पत्र देंगे कि कौन छत्तीसगढ़ का है और कौन छत्तीसगढ़ के बाहर का है । छत्तीसगढ़ की जनता ने यहां भेजा है, छत्तीसगढ़ की जनता ने तय किया है । इनके प्रमाण-पत्र की जरूरत नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- श्री बृहस्पत सिंह जी, हमारा प्रमाण-पत्र मत लेना । माननीय संसदीय कार्यमंत्री के पास बैठना, वे बैठकर थोड़ा ज्ञानचक्षु खोलेंगे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- 15 साल में इनको ज्ञान नहीं हुआ तो हमको क्यों बोल रहे हैं ।

सभापति महोदय :- माननीय बृहस्पत सिंह जी कृपया बोलने दें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं संसदीय कार्यमंत्री जी के पास बैठने की बात बोल रहा हूं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- मैं पूर्व संसदीय मंत्री जी से बात कर रहा हूं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, सिरपुर की पहली खुदाई शुरू हुई, राज्य ने पहला लाईसेंस सिरपुर का लिया, श्री बृजमोहन जी को मैं बधाई देता हूं। सबसे ज्यादा खुदाई के लिये आवेदन पहले प्राप्त हुआ तो छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ। जब हम किसी और प्रांत में थे तो समकालीन दौर में जो छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक भूमिका रही वह कभी परिभाषित नहीं रही । मैं उदाहरण देने की कोशिश करूंगा यदि आप मुझे टोकेंगे नहीं तो, उस सिरपुर में संग्रहालय आज तक क्यों नहीं बन सका, उस सिरपुर को मैंने साडा करवाया इस विधानसभा से पारित हुआ है वह साडा आकार क्यों नहीं ले सकी ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उसके लिये कौन दोषी है, क्यों उस दोषी अधिकारी के ऊपर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए ? वह विश्व की धरोहर, बनती विश्व धरोहर बनने के लिये जो मापदण्ड है उसके लायक हम इसको तैयार करेंगे । आगे चलते हैं, एक-एक लाईन में बोलता हूं, मैं अब भूमिका नहीं बांधता । छत्तीसगढ़ में एक महोत्सव हमने स्थापित करने की कोशिश की थी, आज आप कलेक्टर को पैसा दे देते हैं । मैं बृजमोहन जी को बता रहा था, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के निश्चित तौर पर वे प्रेमी हैं, यह स्थापित है मैं उदाहरण दे सकता हूं । रायगढ़ घराना, एक विवाद है रायगढ़ घराना की शैली । रायगढ़ घराना मानता हूं, जो हमारे आलोचक रहे योगदान के कि लोक को शास्त्री ने बदला जा सकता है यह किसी ने साबित किया तो चक्रधर सिंह ने किया । संगीत की जो संस्थागत शिक्षा शुरू हुई, भारतखण्डे जी ने की ही, पुलश्कर जी ने की हो यदि किताब संगीत में, आजाद भारत में सबसे पहले लिखी गई तो छत्तीसगढ़ की धरती में लिखी गई, राजा चक्रधर के द्वारा लिखी गई । गणेशउत्सव आ रहा है, राजा चक्रधर के लिये अर्जुन सिंह जी को धन्यवाद दे देता हूं जिन्होंने चक्रधर कत्थक केंद्र खोले । आपने क्या किया, गणेश उत्सव में डांस करवाना जो आप बोल रहे थे । यह जड़ता है संस्कृति की, आदान-प्रदान से पीछे भाग रहे हैं, शुरूआती वक्तव्य से तो संस्कृति मंत्री जी । रायगढ़ घराना में जितने ख्याति प्राप्त लोग रहे, आज बड़े-बड़े अच्छन महाराज, लच्छन महाराज, कंठे महाराज नहीं मालूम बड़े-बड़े अलाउद्दीन कितने लोगों का नाम गिन दूंगा जो सब रायगढ़ घराने में रहे । उसको मान्यता देने के लिये, उन किताबों के प्रकाशन के लिये, उनको संस्थागत उनको प्रचार-प्रसार मिले, कोई योजना इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं हुई, दिमाग ही नरवा-घुरवा में है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- चलिये 15 साल बाद आपको ऐसे आजाद बोलने का मौका मिला है, लगता है कि आपको घुटन महसूस हो रही थी ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने क्षमा मांगी है । आपमें नैतिक ताकत होगी, किसी मंत्री में क्षमा मंगवा लेना, मैंने मांगी है क्षमा । माननीय सभापति महोदय, पर्यटन के इसमें 10 विषय दिये हैं । यह पर्यटन, वह पर्यटन, वह पर्यटन । वर्षों से वह राशि 59 करोड़ में फिक्स है । दिल्ली के कुछ सर्किट के लिये पैसे आये हैं । विषय लंबा हो, कोई अंतरविभागीय बैठक मैं नहीं जानता कि पुलिस वहां मदद करती है, पुलिस वहां पुलिस थाना खोलती है, मेरे समय में 4-5 बैठक हुई, पीडब्ल्यूडी वहां तक सड़क ले जाती है या वन विभाग अपनी प्रॉपर्टी का रिजर्वेशन करवाती है, एकाध जगह होता है। अंतर्विभागीय समन्वय, पर्यटन या संस्कृति विषय ही छत्तीसगढ़ के लिए नहीं बने हैं । समाज शास्त्रियों ने छत्तीसगढ़ के बारे में जितना लिखा वेरियर एल्विन जैसा समाज शास्त्री, जिसे महात्मा गांधी अपना दत्तक पुत्र मानते थे । उन्होंने सबसे ज्यादा लेखन किया तो छत्तीसगढ़ में किया । छत्तीसगढ़ के लोग, आज छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं जानते । सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के बारे में बताने वाले कोई नहीं हैं । मैंने एक किताब छपवाई, मैं हवाई अड्डे में था, मैंने वहां लोनली प्लेनेट की एक बुक देखा, उसमें केवल छत्तीसगढ़ ही

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नहीं था । पांच विषयों में लिखवाई, अमेरिका से उसका सीईओ छत्तीसगढ़ आया, पीयूष पांडे । आपके कदम क्या हैं, पहला कदम बता दूं । प्रचार-प्रसार के लिए नागपुर में, भोपाल में, कलकत्ता में आपने उसको बंद किया, उसके लिए मैं आपको बहुत श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूं। आप बहुत जागृत मंत्री हैं, बंद करने के लिए मैं आपको श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूं, बिना कोई आरोप लगाए । लोककला शो कार्ड, राष्ट्रीय डिजाइनिंग संस्थान अहमदाबाद से हमने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में बंधु लोग हैं । बस्तर के लोग ज्यादा विद्वान है बृहस्पत जी । पगड़ी और वेशभूषा से वे कौन से पार के हैं, यह पहचान आ जाते थे । छत्तीसगढ़ की ड्रेसडिजाइनिंग, पगड़ी के लिए, पंछा के लिए, गमछा के लिए, सलूखा के लिए ताकि उसकी मार्केटिंग अच्छी हो । उसके लिए हमने सम्पर्क किया, छत्तीसगढ़ में खादी पहनकर रैम्प वाकिंग हुई। कुछ नहीं । अब मैं लोककला में थोड़ा बोलता हूं । कहां हैं निषाद जी ? हर 100 किलोमीटर में छत्तीसगढ़ में नृत्य। साहब, आपने दिल्ली-6 देखी है। उसमें गाना था सास गारी देवे, ननद समझा लेवे, जोशी बंधुओं ने गाया है और ए.आर.रहमान ने संगीत से सजाया । वह छत्तीसगढ़ के लोकगीत की आत्मा है । मुझे शैला सीखना है, मुझे पंडवानी सीखना है, मुझे कर्मा सीखना है, मुझे ददरिया सीखना है, क्या काम किया है किसने ? लोगों के साथ वे कलाएं लुप्त हो रही हैं । भर्तहरि के कितने गायक बचे हैं आपके पास ? हरिकीर्तन गाने वाले कितने बचे हैं आपके पास ? आपके पास उसका कोई मोनोग्राम है, कोई संग्रहालय है, कोई दस्तावेज है, कोई योजना है, कोई कार्य है ? कोई अध्ययन नहीं है। जब तक अकादमी बनाकर जिम्मेदारी नहीं देंगे कि ये ये विषय हैं इनके प्रमाणीकरण कीजिए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, जब इनको मौका मिला था तो ये बाम्बे से हीरो हिरोइन लाते थे । पश्चिमी सभ्यता वाला डांस कराते थे । अभी इनको छत्तीसगढ़ के संस्कार अभी याद आ रहे हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- लोनली प्लेनेट पढ़े या नहीं पढ़े ।

श्री बृहस्पत सिंह :- ये खुद ऐसे ठुमका लगाते थे ।

श्री उमेश पटेल :- भइया, आपके पूरे भाषण से ऐसा लग रहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी जो मैं बोल रहा हूं मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ के निवासी की हैसियत से बोल रहा हूं । और यदि किसी दिन मैं भूमिका में था तो मैंने ईमानदारी से उसके लिए क्षमा मांगी ।

श्री मोहन मरकाम :- 15 साल किसकी हैसियत से बोलते थे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- बाकी लोग उत्तराखंड के निवासी की हैसियत से बोलते थे क्या । जितने सदस्य चुनकर आए हैं सब छत्तीसगढ़ की हैसियत से बात कर रहे हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री उमेश पटेल :- सभापति जी, इनके पूरे भाषण से ऐसा लग रहा है कि हम लोग पिछले 15 सालों से इस सरकार में हैं और हमारे द्वारा कोई काम नहीं किया गया है । आपके पूरे भाषण से ऐसा ही लग रहा है, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और बोलिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- इन्हें घुटन महसूस हो रहा है, 15 साल तक इनकी सुनी नहीं गई इसलिए पिछली सरकार के ऊपर मन की भड़ास निकाल रहे हैं।

श्री अरूण वोरा:- 100 चूहे मारकर बिल्ली हज को जा रही है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब हो गया, अब बोलूं ।

सभापति महोदय :- बैठिये अरूण वोरा जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आपको समर्पित कर देता हूं । जब हम छत्तीसगढ़ के बारे में बहस से भागते हैं, टिप्पणी करते हैं तो इसीलिए छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परम्परा और पर्यटन की असीम संभावना, धर्मस्व के जो क्षेत्र रहे हैं, इसीलिए जगह में खड़े रहे हैं । यह ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहस, कार्य, पैसे, सहमति सबकी आवश्यकता है । दुर्भाग्य से यह बन नहीं रही है, यह इतना छोटा विषय है कि बस्तर जैसी जगह दुनिया का नेतृत्व कर सकती है । सभ्यता, संस्कृति का क्या खुलापन आप दुनिया में देखते हैं, जो बस्तर में नहीं था । बस्तर का घोटुल पाश्चात्य संस्कृति, सभ्यता के 100 मील आगे था । जो लिव इन रिलेशन बोलते हैं न वह हजारों साल पहले छत्तीसगढ़ की संस्कृति में विद्यमान था।

श्री ताम्रध्वज साहू : - मैं चाहूंगा अजय जी को समय दें। बोलने दिया जाए। आप बोलिए न।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने उनको समर्पित कर दिया, जिनका मैं सम्मान करता हूं उनको। जरूरत पडेगी तो आपका साथ देंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि इस माहौल से कि ऐसी बात की जाए।

श्री बृहस्पत सिंह :- उसके आगे बोलने के लिए आपके पास बचा ही नहीं था तो आप कहां से बोलोगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक विषय में दो घंटे बोलूंगा, अनुमति दिलवा दो।

श्री बृहस्पत सिंह :- हिम्मत कहां है बोलने का।

श्री अजय चन्द्राकर :- लोककला का जो मानकीकरण है, जो हमारी लोक कलाएं हैं, उसके लिए अकादमी तत्काल बननी चाहिए नहीं तो लुप्त होती जायेंगी। जो महान कलाकार हैं उनके साथ ही हमारी कलाएं चल रही हैं। दुर्भाग्य से मैंने नहीं किया, इसे मैं स्वीकार कर लेता हूं। पुरखौती मुक्तांगन में ऐसी व्यवस्था करवाएं कि टिकट का लफड़ा रोज मत छपे। बहुत पर्यटक आते हैं। मैं रोज गुजरता हूं कुरूद जाने के लिए उस रास्ते से। रोज टिकट के साथ उसमें लफड़े छपते हैं। एक हमने परिकल्पना की थी बहुआयामी संस्थान की। आपने मेडिकल कॉलेज में या साइंस कॉलेज में एग्रीकल्चर कॉलेज में बहुत जगह

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

ऑडिटोरियम तो बन गये पर यह छत्तीसगढ़ ही है। सरगुजा से हम रामगढ़ आते हैं। भरतमुनि के नाट्य शास्त्र, जिसको पंचमवेद कहा जाता है, उसके मापदण्डों के अनुरूप सबसे पहली नाट्यशाला बनी तो छत्तीसगढ़ में बनी। मेघदूत का यदि मंचन हुआ।

सभापति महोदय :- कृपया, समाप्त करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं समाप्त कर रहा हूं। वहीं हुआ। लेकिन आधुनिक दौर में छत्तीसगढ़ की समृद्ध परंपरा जो लोक संस्कृति, जो यहां के लोग हैं। हमने क्या-क्या दिया।

सभापति महोदय :- कृपया, समाप्त करें।

श्री बृहस्पत सिंह :- पहली बार इनको बोलने की आजादी मिली है।

श्री अजय चन्द्राकर :- तो ये सब समाप्त हो रही हैं। उन मापदंडों का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। हमारी योगदान को हम लोगों के सामने ला सकें, ऐसा संस्थान बनना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जो लोग रहे, जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ को बाहर किया, मैं इसका इसलिए उल्लेख कर रहा हूं। आपको दो तीन बताकर बस दो मिनट में बंद करूंगा कि जब बाहर के लोगों से आदान-प्रदान बंद करने की माननीय ताम्रध्वज साहू जी घोषणा करते हैं तो इसका मतलब छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग या छत्तीसगढ़ के लोगों ने जब बाहर काम किया चाहे वह रविन्द्र नाथ टैगोर जी हो, चाहे वह विमल मित्र जी हो, चाहे शंकर शेष हों, चाहे सत्यदेव दुबे जी हो, हबीब तनवीर जी जो जितने लोग हों, जिन्होंने दुनिया में क्या किया तो हम क्या अब आदान-प्रदान बंद कर देंगे। छत्तीसगढ़ को बंद दरवाजा मान लें। छत्तीसगढ़ में जनता तो स्वीकार करेंगे। आपसे आग्रह है कि कभी इन विषयों में जितने भी निर्माण कार्य कर लें। सभापति महोदय, मैं बंद कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि इनका ध्येय कांक्रीट का जंगल बनाना, यह विकास काम है। दुर्भाग्य है। यह गांव का विकास आप बोलते हैं नरवा, घुरवा, बारी आप करें साहब लेकिन जिसको मैंने कहा कि जो आत्मा है, जिसको जीवन से निकल दी जाए तो निर्जीव है। स्लेटन बनता है। उसके लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया। कोई दृष्टिकोण नहीं किया और दो कदम पहले उठे कि एक बाहर के लोग नहीं आयेंगे और दो कुंभ मेला को बदलेंगे और तीसरा कदम पर्यटन सूचना केन्द्रों को बंद करेंगे। आपका अभिनंदन और आपके तीनों कदम का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।

श्री बृहस्पत सिंह :- बस, इतनी जल्दी। इतनी जल्दी खत्म।

सभापति महोदय :- श्री आशीष छाबड़ा जी।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा (बेमेतरा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री विभाग के मांग संख्या 24, लोक निर्माण कार्य मांग संख्या 67, मांग संख्या 76, मांग संख्या 3,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या 4, मांग संख्या 5, मांग संख्या 51, मांग संख्या 26, मांग संख्या और मांग संख्या 37 के विषय में यहां बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं पहली बार इस सदन में निर्वाचित होकर आया हूं। मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि सदन में जहां काफल बुद्धिमान सदस्य, जो संसदीय कार्य के ज्ञाता हैं चाहे पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबसे मुझे सीखने का अवसर मिलेगा। मैं पहली बार मांग बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आप सबको धन्यवाद देता हूं। क्षमा चाहूंगा कि आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि देखकर नहीं बोलना लेकिन थोड़ा-थोड़ा से सीखने का प्रयास करेंगे। तो आप सबसे मैं क्षमा चाहते हुए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की सड़कों को सुधारने के लिए इस बजट में प्रावधान किया है। लोक निर्माण विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है, जिसके माध्यम से आवागमन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सड़कों का निर्माण और बहुत सारे पुल-पुलियों का निर्माण किया जाता है। ए0डी0बी0 सहायता परियोजना के तहत लोक निर्माण विभाग के महत्वपूर्ण सड़कों के उन्नयन का विशेष ध्यान देर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से सहायता प्राप्त कर महत्वपूर्ण सड़कों के उन्यनन का कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना में राशि 3,536 करोड़ की लागत के 14 मार्ग 19 पैकेज, जिसकी लंबाई 855 किलोमीटर है, का कार्य कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 15 पैकेज पूर्ण, 3 पैकेज के कार्य प्रगति पर हैं। ए0डी0बी0 लोन तीन परियोजना के अन्तर्गत 16 जिले के महत्वपूर्ण 25 मार्ग जिनकी लंबाई 869 किलोमीटर के कार्य प्रस्तावित हैं, जिनकी लागत राशि रूपये 3,536 करोड़ है। सभी कार्य निविदा स्तर पर हैं। इन कार्यों हेतु वर्ष 2019-20 में राशि 610 करोड़ 92 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं इन मांगों का समर्थन करता हूँ। उक्त सड़कों का कार्य पूर्ण होने से छत्तीसगढ प्रदेश में अच्छी गुणवत्ता वाली सुगम यातायात हेतु हम सुविधा लोगों को उपलब्ध करवा पायेंगे। मैं सरकार के इन कार्यों का समर्थन करता हूँ। मैं, लोक निर्माण विभाग के मंत्री माननीय साहू जी को साधुवाद देता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, सामान्य क्षेत्र सड़क/पुल कार्य- मांग संख्या 24, लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सड़क, पुल तथा भवनों के निर्माण एवं रखरखाव का कार्य किया जा रहा है। राज्य में अच्छी तथा बारहमासी सड़कों का होना अति आवश्यक है। जिससे राज्य का विकास प्रदर्शित होता है। जिससे सुगम, गतिशील तथा सुरक्षित आवागमन सुलभ हो सके। जिससे राज्य की जनता को उसका लाभ मिल सके। वर्तमान में 178 सड़क एवं 77 पुल के कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2019-20 के नये कार्यों के प्रस्ताव में 02 रे ल्वे ओव्हर ब्रिज/अण्डर ब्रिज का निर्माण, 43 वृहद पुल, 06 राज्य मार्ग की लंबाई 59 किलोमीटर, 25 मुख्य जिला मार्ग की लंबाई 291 किलोमीटर है। मूलभूत सेवा के अन्तर्गत ग्रामीण मार्ग में 19 मार्ग जिसकी लंबाई लगभग 73 किलोमीटर एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 103 मार्ग की लंबाई 385 किलोमीटर है, शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत 41 मार्ग जिसकी लंबाई 147 किलोमीटर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रस्तावित किए गए हैं। इन कार्यों के लिए 1,454 करोड़ 85 लाख 30 हजार की मांग विभाग के द्वारा माननीय मंत्री जी के द्वारा रखी गई है। इनमें से नये कार्यों के लिए लगभग 236 करोड़, 27 लाख 50 हजार रूपये की मांग सम्मिलित है। मैं माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग के मांग संख्या 24 के मांगों का समर्थन करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही साथ लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सेतु निर्माण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। राज्य के सभी पहुंच विहीन गांवों की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए जवाहर सेतु योजना के तहत पुलों का निर्माण सभी नदियों और नालों पर करना सुनिश्चित किया गया है। जिससे गांवों का बारहमासी आवागमन सुनिश्चित होगा। गांवों में किसानों तथा कामगारों को मंडी तथा रोजगार तक पहुंचना सुलभ होगा, जिसके लिए गांवों का भी इससे विकास होगा। छत्तीसगढ़ का विकास भी परिलक्षित होगा। वर्तमान में लगभग 51 वृहद पुल के कार्य प्रगति पर हैं, जिन्हें शीघ्र पूर्ण करने हेतु कार्यवाही विभाग के द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ 2019-20 में जवाहर सेतु योजना अन्तर्गत मांग संख्या-24 में 43 पुल निर्माण प्रस्तावित है, जिसकी अनुमानित लागत 211.80 करोड़ है, जिसके लिए 53 करोड़ की मांग की गई है। मांग संख्या 42 में 54 पुल निर्माण जिसकी अनुमानित लागत लगभग 196.50 करोड़ रूपये हेतु 39 करोड़ 57 लाख 50 हजार रूपये की मांग की गई है। मांग संख्या 64 में 03 पुल निर्माण है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 29.70 करोड़ रूपये हेतु रू. 7 करोड़ 42 लाख 50 हजार की मांग की गई है। इन महत्वपूर्ण पुलों एवं अन्य निर्मित पुलों के बनने से बारहमासी आवागमन की सुविधा में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। जिसमें छत्तीसगढ़ का विकास दिखेगा, लोगों को आने-जाने में सुविधाएं प्राप्त होंगी। मैं माननीय मंत्री जी के बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। साथ ही साथ भवन हेतु मांग संख्या-67 में सामान्य क्षेत्र में भवन हेतु विभाग के मंत्री जी के द्वारा मांग की गई है । लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के नवीन भवनों, जिसमें विभागों के अंतर्गत जो कार्य संचालित होते हैं, जिसको अच्छे से हम उन कार्यों को संचालित कर सकें । अच्छी सुविधाएं जो उस भवन के अंतर्गत अधिकारी-कर्मचारी बैठें, जिनको अच्छी सुविधाएं उस भवन में मिल सकें, ताकि एक अच्छी सोच के साथ छत्तीसगढ़ के बेहतर निर्माण में वह योजनाएं बना सकें एवं विद्यमान भवनों के संधारण कार्य किये जा रहे हैं । वर्ष 2018-19 में मांग संख्या-67 में मुख्यत: भू राजस्व, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल, न्याय प्रशासन, जेल एवं पुलिस विभाग इत्यादि के कुल 187 निर्माण कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं एवं 247 कार्य प्रगति पर हैं, जो जल्द से जल्द पूर्ण होने का पूरा अनुमान है । वर्ष 2019-20 के बजट में प्रस्तावित नये कार्यों में महत्वपूर्ण कार्य माननीय उच्च न्यायालय परिसर, बोदरी, बिलासपुर में 7 नग कोर्ट रूम निर्माण, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय के 20 न्यायिक भवन एवं 50 कोर्ट रूम निर्माण, राज्य प्रशासन एकादमी, निमोरा में स्पोर्ट्स काम्पलेक्स का निर्माण, नई दिल्ली

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

द्वारिका में नवीन छत्तीसगढ़ भवन का काम..।

सभापति महोदय :- आशीष छाबड़ा जी, अपनी बात समाप्त करें ।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं । इसके साथ ही साथ माननीय मंत्री जी ने संस्कृति, पर्यटन विभाग में भी बहुत सारी मांग की है । हमारे देश की संस्कृति में छत्तीसगढ़ की एक अलग विशेष पहचान है । छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अलग नजरों से लोगों के द्वारा देखा जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति काफी प्राचीन है, जिसको संवारने का, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे ले जाने का कार्य इस बजट में किया गया है, जिसके लिए राशि का भी प्रावधान किया गया है । हमारे जो पर्यटन स्थल हैं, जिसमें इस बजट के माध्यम से ये प्रयास किया गया कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जितने भी पर्यटन स्थल हैं, जिसे उस तरीके से विकसित कियाजाए, जिसमें पर्यटक अन्य राज्यों से, बाहर से तथा अन्य देशों से छत्तीसगढ़ में आएं, छत्तीसगढ़ की लोक कला को अच्छे से देखें, छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को घूमें, उसका लाभ लें, ऐसा भी इस बजट में प्रावधान किया गया है । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार, धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं ।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-24 लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल, मांग संख्या-67 लोक निर्माण कार्य-भवन, मांग संख्या-76, मांग संख्या-3, मांग संख्या-4, मांग संख्या-5, मांग संख्या-51, मांग संख्या-26, मांग संख्या-37 का विरोध करता हूं और कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के पास में बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं और इन महत्वपूर्ण विभागों में हमारे सभी साथियों ने अपने विचारों को रखा है । माननीय मंत्री जी के पास में गृह विभाग है । बहुत से विषयों का जिक्र हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, शासन से आग्रह करूंगा कि गृह विभाग और गृह विभाग में जो आपके कर्मचारी हैं, विशेषकर हमारे जो पुलिस वाले भाई हैं, जो पुलिस कर्मी हैं, वे रात-दिन एक करके हमारी सुरक्षा करते हैं । समाज में शांति और व्यवस्था को कायम रखते हैं, लेकिन विभाग को उनकी सहुलियत के बारे में, उनके परिवार के बारे में वास्तव में विभाग उनके परिवार के बारे में सुध नहीं लेता। पुलिस कालोनियों की क्या दशा है, उनके परिवार के, उनके बच्चों की शिक्षा की क्या व्यवस्था है, उनके चिकित्सा की क्या व्यवस्था है, इसके बारे में कभी भी विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं या शासन के ऊंचे ओहदे में बैठे हुए जो लोग हैं, वे वीआईपी की सुरक्षा में दिन-रात एक करते हैं, वे नक्सलवाद के मोर्चे पर लड़ रहे हैं । वह रात दिन एक करके हमारी सुरक्षा करते हैं । समाज में शांति और व्यवस्था को कायम रखते हैं । लेकिन विभाग उनकी सहुलियत के बारे में, उनके परिवार के बारे में सुध नहीं लेता है । पुलिस कालोनियों की क्या दशा है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उनके परिवार के, उनके बच्चों की शिक्षा की क्या व्यवस्था है ? उनके चिकित्सा की क्या व्यवस्था है ? इसके बारे में कभी भी विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं, जो शासन के ऊंचे ओहदे में बैठे हुये लोग हैं, वे वी.आई.पी. की सुरक्षा में दिन-रात एक करते हैं । वह नक्सलवाद के मोर्चे पर लड़ रहे हैं, नक्सलवाद में लड़ते हुये शहीद विनोद चौबे जी को नमन करते हैं, उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं । माननीय सभापति महोदय, पुलिस परिवार के लिए वास्तव में इस बजट में बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं है। पुलिस कर्मियों के परिवारों को, सुविधाजनक उनकी कालोनी रहे, उनकी उचित चिकित्सा की व्यवस्था रहे, उनके बच्चों की चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था हो, इसके तरफ वास्तव में ध्यान देने की आवश्यकता है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, गृह मंत्री तो अनुपस्थित हैं ही । पुलिस विभाग के सारे अधिकारी अनुपस्थित हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अधिकारी दीर्घा की वैसे चर्चा नहीं होनी चाहिये । लेकिन उपस्थित हैं, अभी आसंदी से व्यवस्था मिली है, लंच होगा नहीं, बारी-बारी आयेंगे, जायेंगे । संसदीय कार्यमंत्री यहां बैठे हुये हैं । बहुत अच्छे सुझाव की शुरूआव नारायण चंदेल जी कर रहे हैं । अभी पहला सुझाव देंगे तो मैं उसको लिखूंगा ।

श्री नारायण प्रसाद चंदेल :- तै लिखना भई वोला ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी तो शुरूच नहीं करेहस यार । शुरू करबे तबतो लिखहूं ना ।

श्री नारायण प्रसाद चंदेल :- खर्रा लिख भई तैं । माननीय सभापति महोदय, पुलिस कर्मियों से ज्यादा दयनीय स्थिति होमगार्डों की है । जो हमारे होम गार्ड के जवान है । वी.आई.पी. के घरों में डयूटी करते हैं । मोर्चों पर डयूटी करते हैं, ट्रेफिक व्यवस्था को देखते हैं, उनके वेतन भत्तों में बढ़ोतरी के लिए वर्षों से मांग कर रहे हैं, अभी तीन-चार दिन पहले होमगार्ड के डेलिगेशन हम लोगों से मिले थे, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, पुलिस के अधिकारी यहां मौजूद है, उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे जो होम गार्ड के जवान है....।

श्री संतराम नेताम :- आपकी जो सरकार है, हमने देखा है भई । पुलिस वाले लोग जब अपनी मांग को लेकर जा रहे थे, परिवार को कैसे प्रताड़ित किये हैं, पुलिस के हित की बात करते हैं, पुलिस की क्या गति किये हो, आप उसको पहले बताईये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- हमारी सरकार ने क्या किया, उसका परिणाम हम भोग रहे हैं, यहां आ गये हैं । आपको वही प्राप्त करना है क्या, बताओ ? आप भी उसी स्थिति को प्राप्त करना चाहते हो तो बिल्कुल करो ।

श्री नारायण प्रसाद चंदेल :- तै हां कले चुप बैठ गा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- असल में संतराम जी, पहले पुलिस विभाग में थे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- तहुं प्रताड़ित होके थोड़े निकले हस ।

श्री नारायण प्रसाद चंदेल :- ये हा सस्पेंड होये हे ।

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष जी, प्रताड़ित हुआ है इसलिए पुलिस की नौकरी छोड़कर आज इस सदन में है । प्रताड़ित नहीं होता तो आज यहां आता नहीं ।

श्री संतराम नेताम :- इनके सरकार के समय ही मैं इस्तीफा दे दिया था ।

श्री नारायण प्रसाद चंदेल :- जितने टरमिनेट होते हैं, सब विधायक की तरफ..।

एक माननीय सदस्य :- एक पुराने थानेदार भी विधायक बन कर आये हुये हैं।

एक माननीय सदस्य :- मौका दे ही नहीं रहे हैं, नहीं तो ऐसा बोलेंगे, क्या बतायें ।

श्री धर्मजीत सिंह :- जब आप यहां प्रताड़ित थे तो बत्ती दो ना अधिकारियों को । काहे को डर रहे हो । दो बढ़िया बत्ती । ये लोग ऐसा करते थे । आई.पी.एस. अफसर कैसे गाली बकते थे, डांटते थे, वह तो प्रेक्टिस है । यहां बताओं, तब तो उसमें सुधार होगा । मंत्री जी नोट कर रहे हैं ।

श्री नारायण प्रसाद चंदेल :- थोड़ा चौबे जी नोट कर लेंगे । माननीय सभापति महोदय, मैं इन बजट के अनुदान मांगों पर निवेदन करूंगा । हमारे जो होम गार्ड के लोग हैं, जो होम गार्ड के जवान है, वह हमारे ही बच्चे हैं । छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब और किसान के बेटे हैं । उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करते हुये, उनके वेतन भत्ते और सहुलियत उनको दे सकते हैं । शासन को उस पर गंभीरता से विचार करते हुये अमल करना चाहिये । मैं एक व्यक्ति से जेलों की स्थिति के बारे में बात कर रहा था । हम जनप्रतिनिधि कभी-कभी जेलों का निरीक्षण करने के लिए जाते हैं । अभी जेलों के बारे में जो आंकड़े आये, उसमें 18 हजार के आसपास कैदी है और 12 हजार क्षमता है । 6 हजार से ज्यादा कैदी हमारे प्रदेश की जेलों में है । जब जेलों के निरीक्षण में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि वास्तव में जेल सुधारगृह होना चाहिए ताकि वहां से अपराधी व्यक्ति सुधरकर वापस आये। जेल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वहां पर कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, वहां रहने की व्यवस्था नहीं है, बाकी अन्य जो सुविधाएं जो जेल के मानक में है जो होनी चाहिए वह कुछ नहीं हैं। जब हम लोगों ने पूछा कि आप सोते कैसे हो तो कई कैदियों ने बताया कि हम खड़े-खड़े सो जाते हैं, कई ने बताया कि हम बैठे-बैठे सो जाते हैं और इस प्रदेश की जेलों में कुछ ने यह बताया कि हम शिफ्ट-शिफ्ट में सोते हैं। तो जेलों की इतनी दयनीय हालत है इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि शासन इस ओर पहल करे और प्रदेश में जितने भी जेल हैं चाहे वह जिला, उप या सेंट्रल जेल हो वहां पर पर्याप्त संख्या में बैरकों की सुविधा बढ़ाई जाए और जेल की चारदीवारी के अंदर जो भी आवश्यक सुविधाएं हो सकती हैं वह व्यवस्था शासन को करनी चाहिए।

Uncorrected and unedited/Not for Publication February 14, 2019

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय, प्रदेश में जब से नई सरकार का गठन हुआ है कल भी हमने सरकार का, मंत्रियों का, मुख्यमंत्री जी का ध्यानाकर्षण के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया था कि प्रदेश में जिस तरीके से प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है यह अच्छा नही है। यह प्रदेश को सुधार की तरफ ले जाने वाला नहीं है। इससे प्रदेश में एक अलग तरह का नक्शा प्रस्तुत हो जायेगा और जिस तरह से वर्ष 2000 से वर्ष 2003 तक इस प्रदेश की स्थिति थी करीब-करीब उसी स्थिति की ओर यह प्रदेश फिर से जा रहा है। यह अच्छी बात नहीं है। जनादेश मिला है, जनादेश का सब लोग सम्मान करते हैं। प्रजातंत्र में अगर जनता ने जनादेश दिया है तो काम करने के लिए दिया है और आपका नारा भी है कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। उस छत्तीसगढ़ को नया बनाने की तरफ, सुधार करने की तरफ कदम होना चाहिए न कि राजनीतिक प्रतिशोध से काम करने की आवश्यकता है। हम माननीय मंत्री जी को सलाह देते हैं कि वह मुख्यमंत्री जी तक उस बात को पहुंचाएं कि राजनीतिक प्रतिशोध से कोई काम न हो। आप अपने काम पर ध्यान दें। ऐती-ओती चेक देहे के का मतलब? माननीय मंत्री जी हैं नहीं।

गृह विभाग के बाद जो महत्वपूर्ण विभाग है वह लोक निर्माण विभाग है। बहुत से छोटे-छोटे विभाग मंत्री जी के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका जिक्र हमारे सदस्यों ने किया है। लोक निर्माण विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। राष्ट्रीय राजमार्ग तो हमारे प्रदेश में बन रहे हैं वह केंद्र सरकार की निधि से बन रहे हैं लेकिन जो राज्य मार्ग हैं उनकी हालत बहुत दयनीय है। इसलिए माननीय मंत्री जी को प्राथमिकता क्रम से यह देखना चाहिए कि किन मार्गों की हालत ज्यादा दयनीय है और क्रम से उनके नवीनीकरण और सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। हम सुदूर गांवों में, बस्तियों में जाते हैं तो आज छत्तीसगढ़ को बने 18 साल से ज्यादा हो गये लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन के लिए छोटे-छोटे पुल-पुलिया का अभाव है। पुल-पुलिया है तो वह बरसात में कई बार डूब जाती है, आवागमन की बारहमासी सुविधा नहीं है। माननीय मंत्री जी को प्राथमिकता क्रम से ध्यान देते हुए इस काम को तत्परता के साथ करने की आवश्यकता है ताकि हमारे जो किसान भाई हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं जो रोज आवागमन करते हैं, हमने ऐसे कई चित्र सरगुजा, जशपुर, बस्तर के देखे हैं जहां ग्रामीणजनों ने छोटे-छोटे नालों पर स्वयं लकड़ी का पुल और रपटा बनाया है और वहां से वह आवागमन कर रहे हैं। तो इतने साल बाद भी हमारा समृद्ध छत्तीसगढ़ है, हमारे पास रिसोर्सेस हैं उसके बाद भी यह दयनीय स्थिति हो तो यह अच्छी स्थिति नहीं है। मुझे अभी बताया गया कि रायपुर से धमतरी फोरलेन, नई सरकार आते ही जो ठेकेदार हैं, जो एजेंसी के मालिक हैं, वे काम छोड़कर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। थोड़ा इस ओर दिखवा लें। मैं आपको बताता हूं कि पलायन करने के बहुत से कारण भी हैं। ये रायपुर धमतरी फोरलेन की बात नहीं है। बिलासपुर से सख्ती तक बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

49, अकलतरा से लेकर सख्ती का निर्माण कार्य अभी तक बंद पड़ा हुआ है। नया हसदेव नदी में पुल बनना है, वे भी नहीं बन रहे हैं, इस ओर भी मंत्री जी को ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो भी निर्माण एजेंसी है, उसके ऊपर दबाव बनाये और जल्दी से जल्दी, पैसा आपका नहीं है पैसा भारत सरकार का है, मोदी जी की सरकार का है। लेकिन काम तो कराओ, अधिकारी और कर्मचारी उनसे काम भी नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए काम के पूर्णता की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जितने भी निर्माण कार्य अधूरे हैं, सड़क का हो, पुल, पुलिया का हो, स्कूल बिल्डिंग का हो, कॉलेज बिल्डिंग का उन सबको शीघ्र पूरा करायें, क्योंकि वे जनता के उपयोग के लिए है। माननीय सभापति महोदय, जांजगीर से चांपा के बीच में हसदो नदी है। छत्तीसगढ़ में दो नदी जिंदा नदी है। एक हसदो और दूसरा शिवनाथ, जिसमें बारहमासी पानी है, अभी भी आप हसदेव नदी में देखिए लबालब पानी है। लेकिन जांजगीर चांपा के बीच का जो पुल है, वो करीब 50-60 साल पुराना पुल है। अत्यंत जर्जर और जीर्णसीर्ण हो चुका है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हसदो नदी पर नया पुल निर्माण करने की स्वीकृति इस बजट में कृपा करें। जांजगीर और चांपा के बीच में लछनपुर गांव के पास में एक गुंडी नाला है। वो बरसात में डूब जाती है, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसको चौड़ी करण करके, उस पुल को थोड़ा ऊपर करें ताकि बारहमासी आवागमन की सुविधा उस पर प्रदान हो। उसके लिए जो भी मद जो उसको आबंटित करें, इसलिए आबंटित करें कि ये लोक महत्व का कार्य है। जनता की आवागमन की सुविधा सबसे पहले है। कानून और व्यवस्था की सुविधा सबसे पहले है। किसी भी राज्य में अगर कानून और व्यवस्था की स्थिति लचर है, जनता भय अक्रांत है तो निश्चित रूप से ये सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। संस्कृति, पर्यटन कई बार इस सदन में रामसुंदर दास जी, जो हमारे पूर्व सदस्य थे, संस्कृति विभाग की ओर इशारा करते हुए बोलते थे। माननीय रविन्द्र चौबे जी ने भी सुना है कि जो मंदिर में पुजारी हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिलता और 6-6, 8-8 महीना साल साल भर नहीं मिला दो साल तक नहीं मिलता, कई जो हैं वास्तव में मंत्र भूल गये हैं बोलेते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है सरकार से कि उन पुजारियों की भी व्यवस्था करें और कोई न कोई मद उनके लिए आबंटित करें।

श्री अजय चंदाकर :- माननीय सभापति महोदय, यदि भुगतान के अभाव में बेचारा पेट रोजी के लिए दूसरा हो जाता है और मंत्र पढ़ना भूल जाता है, बहुत दयनीय स्थिति है। आपको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। इसके लिए तत्काल और समयबद्ध भुगतान हो, आपने बहुत अच्छा विषय लिया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, नहीं। आंसदी से मंत्री जी को निर्देश जारी होना चाहिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय,माननीय मंत्री जी के ध्यान इन सारी चीजों को लाया और मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी इस पर तत्परता से पहल करेंगे और इसके लिए कैसे राशि जुटायेंगे, कहां से मद लायेंगे, ये आप जाने ? लेकिन इन चीजों पर करने की आवश्यकता है और आप नहीं थे तो शायद संसदीय कार्यमंत्री जी ने नोट किया है। आप उनसे जानकारी ले लेंगे। मेरी इतनी ही बात थी, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मोहन मरकाम (कोंडागांव) :-माननीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2019-2020 के ...।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय मरकाम जी, आज धीरे बोलेंगे, कोई हल्ला नहीं हो रहा है।

श्री मोहन मरकाम:- माननीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2019-2020 की माननीय गृहमंत्री जी की अनुदान मांग संख्या 24 में 2 हजार 756 करोड़, मांग संख्या 67 में 1332 करोड़, मांग संख्या 76 में 610 करोड़, मांग संख्या 3 में 4 हजार, 504 करोड़, मांग संख्या 4 में 59 करोड़, मांग संख्या 5 में 183 करोड़, मांग संख्या 51 में 14 करोड़, मांग संख्या 26 में 40 करोड़, मांग संख्या 37 में 59 करोड़, मैं सभी मांगों का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। मैं शुरूआत पुलिस विभाग से करना चाहता हूं क्योंकि पुलिस विभाग की चर्चा इस सदन में लगातार हो रही है। पुलिस छत्तीसगढ़ की जनता की सुरक्षा, जनधन की सुरक्षा करती है। उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ...।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, पिछली बार उस सीट में जो तीनों लोग बैठते थे, वे लौटकर नहीं आये। आप थोड़ा संभल कर बोलिएगा।

श्री मोहन मरकाम:- माननीय सभापति महोदय, पुलिस विभाग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, दायित्व रहता है। आज अगर हम चैन से सोते हैं पुलिस विभाग की सक्रियता के कारण आज हम जनप्रतिनिधि के साथ-साथ छत्तीसगढ़ की पौने तीन करोड़ जनता चैन की नींद सोती है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मरकाम जी, पिछले समय तक तो आप बोलते थे कि पुलिस सबसे भ्रष्ट है। अब दो महीने में आप चेंज हो गये।

श्री मोहन मरकाम:- आप मेरी बात सुन लें।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आज ही बस्तर के मामले में इनकी सरकार के एक मंत्री कवासी लखमा का स्टेटमेंट छपा है कि गोदल काण्ड की घटना फर्जी थी। पुलिस वालों ने मार डाला। आज ही इनके मंत्री का स्टेटमेंट पेपरों में छपा है।

श्री मोहन मरकाम:- माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 3, पुलिस विभाग में 4 हजार 504 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आज हम देखते हैं कि प्रदेश के बेरोजगारों, युवाओं को अवसर प्रदान करने हेतु वर्तमान सरकार इस बजट में 2 हजार, 914 पदों के लिए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और सरकार कार्यवाही कर रही है और यहां छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को इसका लाभ मिलेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति महोदय, हम पुलिस विभाग में देखते हैं कि जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर खासकर पुलिस विभाग में वर्दी भत्ता हो, साईकिल भत्ता हो, 12 रूपये, 10 रूपये दिया जाता था। पहली बार हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार और हमारे गृहमंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी ने एक प्रावधान कराया कि जो हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं उनके भत्ता के लिए 45 करोड़, 84 लाख का प्रावधान किया। इससे हर कर्मचारी को लगभग 1200 रूपये का लाभ मिलेगा। उसके साथ-साथ चाहे जो बड़े शहर हो या छोटे शहर हों, उनको किराये का क्वार्टर नहीं मिलता था। अनाप-शनाप किराया रेट होता था, मगर पुलिस कर्मचारियों के लिए हर जगह, उनके आवास की व्यवस्था वर्तमान सरकार कर रही है। मैं आज आंकड़े देख रहा था वर्ष 2018 में 124 नक्सलियों को मार गिराया, 1145 नक्सलियों को गिरफ्तार करने, 285 हथियार बरामद करने, 275 लैण्ड माईन्स एवं अन्य सामग्री जप्त करने में कामयाब रही है। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ पुलिस आज प्रदेश की खुशहाली में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है । आज जो बात वरिष्ठ सदस्य माननीय शिवरतन शर्मा जी, पूर्व मंत्री आदरणीय चन्द्राकर जी और आदरणीय वरिष्ठ सदस्य चंदेल जी की बातों को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। वे कह रहे थे कि आज नक्सली गतिविधियां बढ़ी हैं। माननीय शर्मा जी हम लोग बस्तर के उसी क्षेत्र से आते हैं। हम लोग बचपन से नक्सली गतिविधियों को देखे हैं। हम जब छोटे हुआ करते थे तो बस्तर बहुत शांत हुआ करता था जब से आपकी सरकार बनी है तब से लगातार नक्सली गतिविधियां बढ़ी हैं। पहले मात्र दो जिलों में नक्सली गतिविधियां संचालित होती थीं आज 14-15 जिलों में नक्सली गतिविधियां बढ़ी हैं। राजनांदगांव, महासमुन्द जो राजधानी से लगा हुआ है, उस क्षेत्र में आपकी सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मरकाम जी, पहले बस्तर पूरा एक जिला हुआ करता था, अब बस्तर 7 जिले में परिवर्तित हो गया है। आप यह क्यों भूल जाते हो? नक्सली समस्या तो आपने विरासत में भारतीय जनता पार्टी सरकार को दी है। आज कवासी लखमा जी का स्टेटमेन्ट पेपरों में छपा है, वह भी बस्तर से ही आते हैं।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति जी, मैं माननीय शर्मा जी को बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री क्या कहते थे? वह कहते थे कि नक्सली हमारे भटके हुए भाई हैं, एक मुखिया का बयान ऐसा आता है कि नक्सली भटके हुए भाई हैं। आप ही की सरकार ने छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या को दूर करने के लिए ए.पी.एस. गिल को नियुक्त किया था, जो एक्सपर्ट थे और पंजाब को आतंक से मुक्त कराने में उनकी भूमिका रही है उनका सार्वजनिक बयान आता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार कहती है कि खाओ, पीओ, मौज करो, इस पर हाथ मत डालो। आपकी ही सरकार में उनका

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सार्वजनिक बयान था। माननीय शर्मा जी, आप नक्सली समस्या पर कितने गंभीर थे, पिछले 15 साल में छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है।

माननीय सभापति जी, आज बदलापुर की बात बहुत आती है। अगर आप सच्चे हो तो इतना क्यों डर रहे हैं ? अगर आप सही तो पाक-साफ हो जाओगे। 36 हजार करोड़ का नान घोटाला हो जाता है, अगर उसमें वर्तमान सरकार जांच करती है, एस.आई.टी, ई.ओ.डब्ल्यू. से जांच कराती है, इसमें घबराने की क्या बात है ? साहब आपने छोटी मछलियों को तो पकड़ा है और बड़ी मछलियां जो पूरा 36 हजार करोड़ गोल कर दीं, उसका क्या हुआ ? आज इसीलिए डायरियों में जो बात आई है।

समय :
3:02 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय बड़ी मछलियां या मगरमच्छ ?

श्री मोहन मरकाम :- आज जो मगरमच्छ घूम रहे हैं, अगर जांच की दिशा उधर जा रही है तो फडफड़ाहट हो रही है, बदलापुर की बात आ रही है। एस.आई.टी ने तेज गति से जांच शुरू कर दी है। चाहे वह अंतागढ़ टेपकांड हो, चाहे जितने भी बड़े प्रकरण हुए हैं, सबकी जांच कर रही है, अगर आप गलत नहीं हो तो डरने की क्या बात है ? अगर आप गलत नहीं हो तो आप न्यायालय में पाक-साफ हो जायेंगे। उसमें डरने की बात नहीं है। आपके अपने चहेते अधिकारियो के द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ अधिकारियों का भी फोन टेप करने का दुश्साहस किया गया है, इसलिए आपमें इतना डर है। आज विपक्ष को प्रताड़ित करने की बात कर रहे हैं। माननीय शर्मा जी आपने तो 15 साल में विपक्ष के साथियों कों चाहे हमारे विधायक हों, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर इतना प्रकरण दर्ज किया है, आज उसी का परिणाम भुगत रहे हैं कि आप 15 में जाकर सिमट गये हैं। झीरम घाटी की बात कर रहे थे। हमारे नेताओं की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी थी। हमने पूरी जानकारी पुलिस प्रशासन से लेकर पी.एच.क्यू. को दिया था कि हमारे नेता इस रोड से जा रहे हैं। आपने सुरक्षा क्यों नहीं दिया ? यह सरकार की जिम्मेदारी थी। आज शहीद नंदकुमार पटेल जी, शहीद उदय मुदलियार जी, शहीद महेन्द्र कर्मा जी, शहीद पंडित विद्याचरण शुक्ल जी हमारे बीच होते। आपकी सरकार की नाकामी के कारण हमारे नेता शहीद हुए। कहीं न कहीं वह कलंक आपकी सरकार के ऊपर लगा, इसलिए 15 सीट में सिमट गये। हमारे नेताओं की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी होती है । हमारे नेताओं को सुरक्षा नहीं देने के कारण हमारे नेता शहीद हुए। क्या यह भी बदलापुर की राजनीति है ? आप हिम्मत, साहस तो

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

रखिये। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी में हिम्मत थी, मैं टेपकांड में शामिल नहीं हूं, उन्होंने जेल जाना स्वीकार किया, मगर आपकी तरह गिड़गिड़ाया नहीं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मोहन मरकाम जी ऐसा है हम लोग कभी गिड़गिडाते नहीं, आपकी सरकार के 19 साल के आपातकाल को हमारे लोगों ने भोगा है। जहां तक एस.आई.टी की बात है, एस.आई.टी झीरम घाटी की घटना पर पूरे प्रदेश को भटकाने का काम है, एस.आई.टी से बड़ी जांच एजेन्सी है । हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में बनी हुई और उसके सामने तथ्य रखना चाहिए । मैं बार-बार बोलता हूं कि अगर हिम्मत है तो वहां तथ्य रखें ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर जांच हो रही है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या एस.आई.टी. आपके विभाग के मंत्री से पूछताछ करेगी, श्री कवासी लखमा जी से ?

अध्यक्ष महोदय :- श्री मरकाम जी आप कितना समय लेंगे ?

श्री मोहन मरकाम :- हमारे पूर्व वक्ताओं ने केवल 5-5 मिनट कहा है तो मैं चाहता हूं कि आधा घंटा समय चाहिए । आपका संरक्षण चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- आपका समय समाप्त हो चुका है ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम देखते हैं कि लगातार जो घटनायें घटित हो रही हैं लेकिन आज लगातार हमारी सरकार उस पर नियंत्रण कर रही है । महत्वपूर्ण विभाग पीडब्ल्यूडी आज छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल 1 लाख 35 हजार 194 वर्गकिलोमीटर है । प्रदेश की खनिज संपदा तथा पर्यटक स्थलों की उपलब्धता देश के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक है, जिनके दोहन के लिये राज्य में सड़कों के घनत्व में वृद्धि किया जाना आवश्यक है । राष्ट्रीय स्तर पर सड़कों के घनत्व की तुलना में छत्तीसगढ़ में सड़कों का घनत्व कम है इसीलिये इस क्षेत्र में विकास के लिये सड़कों का होना बहुत जरूरी है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मार्गों की लंबाई । छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय मार्ग, कुल लंबाई 32 हजार 932 किलोमीटर, राष्ट्रीय राजमार्ग 3526 किलोमीटर राज्यमार्ग 4176 किलोमीटर, मुख्य जिला मार्ग 11501 किलोमीटर, अन्य जिला एवं ग्रामीण मार्ग 13729 किलोमीटर है इनके विकास के लिये, इनके निर्माण के लिये वर्तमान सरकार ने विशेष प्रावधान किया है । मांग संख्या-41, लंबाई-147 किलोमीटर के लिये 1454 करोड़ का प्रावधान किया गया है । इनके नये कार्यों के लिये आप कह रहे थे कि उनके लिये बजट में कोई प्रावधान नहीं, नये कार्यों के लिये भी 236 करोड़ का प्रावधान किया गया है । पीडब्ल्यूडी विभाग कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विभाग रहे हैं, केग की जो ऑडिट रिपोर्ट आयी है, केग की ऑडिट रिपोर्ट में वर्ष 2016-17 में 4601 करोड़ रूपये के टेंडर घोटाले में ईओडब्ल्यू टेंडर घोटाले हुए हैं यह केग की रिपोर्ट है । केग ने पकड़ा है, संवैधानिक संस्था है । उसने अगर गड़बड़ी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पकड़ी है तो कहीं न कहीं दाल में काला है, दाल में काला नहीं है पूरी दाल ही काली है क्योंकि आज हम देखते हैं कि पीडब्ल्यूडी, जो टेंडर हुए हैं, जो चिप्स के ऑफिस से हुए हैं, हमारी सरकार की जो संस्था है चिप्स, सरकारी संस्था है वहां से टेंडर भरा गया है इसका मतलब नकल करने के लिये भी अक्ल की जरूरत पड़ती है, सरकारी ऑफिस से आप टेंडर भरते हैं तो कहीं न कहीं आपकी गड़बडियां भरी जाती हैं । पिछली सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, पारदर्शिता की बात करती थी मगर परत दर परत पिछली सरकार के घोटालों का जखीरा धीरे-धीरे निकल रहा है, चाहे नान घोटाला हो, चाहे पीडब्ल्यूडी टेंडर घोटाला हो या अन्य घोटाला हो । लगातार परत दर परत खुल रहा है इसलिये जो विपक्ष में साथी हैं उनमें आज घबराहट इतनी ज्यादा है इसलिये आज जो बदलापुर की बात लगातार कर रहे हैं आज वही घबराहट की बात है । माननीय अध्यक्षध महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृहमंत्री, लोकनिर्माण मंत्री, संसदीय मंत्री और भी जिस विभाग के मंत्री हैं उन सभी की मांगों का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और वह इसलिये खड़े होना पड़ रहा है कि अभी तो उनको करने के लिये कुछ ज्यादा टाईम नहीं है लेकिन जो विभाग इनका है उसका इतिहास बहुत खराब है । सड़क बनी नहीं और पेमेंट हो गया । ऐसी कई घटना इस सदन में हुई हैं । कोई स्वीकृति हुई तो वह पता नहीं कछुए के चाल में चलते-चलते कितने साल में बनेगा इसकी छत्तीसगढ़ में कोई गारंटी नहीं है । माननीय मंत्री जी, मैंने यहां ऐसे कई भवन देखे हैं कि जब दुबई गया था तो वहां 150 मंजिल, 170 मंजिल की बिल्डिंग बन गई लेकिन यहां सड़क और पुल आज तक नहीं बनी । उसका सबसे बड़ा उदाहरण है रायपुर-बिलासपुर सिक्सलेन सड़क । पता नहीं किस महापुरूष ने इसका ठेका लिया, कितने में लिया, काम क्यों नहीं कर रहा है, क्या तकलीफ है ? जहां पा रहे हैं, वहां खोद रहे हैं, जहां पा रहे हैं वहां से मुरूम ला रहे हैं, जिस तालाब को चाहे गड्ढा कर देते हैं । उसके बाद भी सड़क नहीं बन रही है । अध्यक्ष महोदय, अब यहां कोई प्लेन सर्विस तो है नहीं, आपको और हमको जाना इसी से है, हनुमान चालिसा पढ़ते बिलासपुर जाना पड़ता है और हनुमान चालिसा पढ़ते हुए रायपुर आना पड़ता है ।

माननीय मंत्री जी आपने अपने इस पीडब्ल्यूडी के प्रतिवेदन में बहुत ही गौरव के साथ लिखा है कि यह सड़क हमने बनाया, तीन लेन में बनाया और एनएचएआई द्वारा क्रियान्वित, एनएचडीपीआईवी कार्ययोजना रायपुर से सिमगा पैकेज 48 किलोमीटर 513 करोड़, अपूर्ण । सिमगा से सरगांव पैकेज 44 किलोमीटर, 385 करोड़, अपूर्ण । सरगांव से बिलासपुर 36 किलोमीटर, 368 करोड़, अपूर्ण । कौन से प्रकार की सड़क बन रही है कि पिछले 10 सालों में 120 किलोमीटर सड़क नहीं बनी। कैसा विभाग है ? आप बजट प्रावधान बाद में करिये, पहले विभाग को देखिए । अधिकारियों को देखिए । सब चकाचक

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लाल हैं, कपडा, वपड़ा हटाकर देखिए, सब लाल दिख रहे हैं । कार्यसंस्कृति पैदा करिये । आपके विभाग में कार्य संस्कृति का अभाव है ।

छत्तीसगढ़ राज्य के मार्गों की जानकारी आपने दी है । 2 दिसम्बर, 2018 में बिलासपुर-कोटा-अचानकपुर लिखा गया है । आपके प्रतिवेदन में अचानकमार को अचानकपुर लिखा गया है । यह आपका प्रतिवेदन है । नाम तो सही लिखिए। बिलासपुर-कोटा-अचानकमार । केंवची-गौरेला-कोटमी-मरवाही-मनेन्द्रगढ़-केल्हारी-जनकपुर-गुढ़वाही, मध्यप्रदेश तक 265 किलोमीटर । अध्यक्ष महोदय, इसमें एक प्रॉबलम है । गोबरीपाट लेकर केंवची तक अचानकमार टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आता है। अब उस क्षेत्र की सड़क को प्रशासन के आदेश से बंद कर दिया गया । प्रशासन का एक आदेश क्या हुआ । वन विभाग वालों ने उसको अपनी जागीरदारी समझ लिया । मुझे हाईकोर्ट जाना पड़ा, हाईकोर्ट जाकर उस आदेश को इन्वेलिड करवाया, उसके बाद वन विभाग के लोग और पीडब्ल्यूडी के लोगों ने आपसी सामंजस्य बना लिया, वे कहते हैं कि वह सड़क नहीं बन सकती और ये बोलते हैं, हम नहीं बनाने देंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं की वह सड़क क्यों नहीं बन सकती । जब वह सड़क ऑलरेडी पहले से है, जिस रास्ते को बंद किया गया था, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसको खोल दिया गया । तो वह गड्ढे में क्यों रहेगा, उसमें से बस आती है, लोग जाते हैं और अचानकमार टाइगर रिजर्व का हौव्वा, इस सदन के अंदर और बाहर सरकार को दिखाने की जरूरत नहीं है । मैं तमिलनाड़ और कर्नाटक भी गया था । वहां के नेशनल पार्क के बीच से फोर लेन सड़क गुजर रही है। सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां चलती हैं । वहां भी वाइल्ड लाइफ हैं, लेकिन इतना तानाशाही वाला कानून वहां नहीं है। माननीय मंत्री जी, यह तानाशाही वाला कानून खत्म करिये और गोबरीपाट से केंवची तक सड़क बनना चाहिए । अगर नहीं बना तो मैं किसी भी मंत्री को उस क्षेत्र में घुसने नहीं दूंगा । यह मैं आपको बता रहा हूं । मैं वहां उसका घेराव करा दूंगा । इसलिए आपको इसको ध्यान देकर करना चाहिए । वहां गरीब लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, बैगा लोग रहते हैं, छोटी छोटी बच्चियां पढ़ती हैं, स्कूल आना पड़ता है, बीमार पड़ते हैं, अस्पताल नहीं है, पीने का पानी नहीं है । स्वास्थ्य केन्द्र की बिल्डिंग को भी नहीं बनने दिया जा रहा है, आपके विभाग के। जंगल का अंधा कानून और उस कानून में हमारे लोग बलि चढ़ें, यह बिल्कुल नहीं होगा । मैं आपको चुनौतीपूर्वक कह रहा हूं कि आप इस चुनौती को खुद स्वीकार करिये और वहां की सड़क को बनवाने का कामन जरूर करवाइए। क्योंकि वह जनहित में है। दूसरे स्टेट को जोड़ता है, अमरकंटक को जाने का रास्ता है । आपने इंटरस्टेट की बात की ना। आपने की खुद पेज नं. एक, दो में लिखा है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1 लाख 35 हजार 194 किलोमीटर। 7 राज्यों से घिरा है। पंडरिया बाजाग मार्ग, पंडरिया से बाजाग होकर शहडोल जाने का रास्ता। छत्तीसगढ़ जहां तक है वहीं तक खड़ा है और छत्तीसगढ़ के बाद जैसे ही आप मध्यप्रदेश की सड़क में आयेंगे तो हमको शर्म

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लगने लगती है कि इस छत्तीसगढ़ की रोड से आये कितना बढ़िया रोड है, उसको भी बनवा दीजिए। दरिमा एयरपोर्ट की फोटो आपने अपने प्रतिवेदन में पेज नं. 39 में छापी है। मुझे अच्छा लगता कि आप बिलासपुर के एयरपोर्ट की भी फोटो छापते। 27 बार हो गया सिविल एवियेशन वाले आते हैं। हर बार एक न एक गलती बताते हैं और वहां कलेक्टर और पी.डब्ल्यू.डी. के लोग काम कराते हैं। या तो एक बार वे पूरी समस्या बता दें या एक बार यह पूछ लें। मुझे अच्छा लगेगा कि जब आप अगले प्रतिवेदन में बिलासपुर एयरपोर्ट की भी फोटो टांगेंगे तो मुझे लगेगा कि आप बिलासपुर के लिए थोड़ा प्यार कर रहे हैं। अभी इस पूरे प्रतिवेदन में बिलासपुर, मुंगेली सब गायब है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नरवा, घुरवा है कि नहीं।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं है न नरवा, घुरवा सब है। आपको वह भी चाहिए तो वह भी मिलेगा लेकिन उसको कराइए। मुंबई के बाइपास रोड की भी आपने फोटो टांगी है। जरा पूछिए न अपने अधिकारियों से कि कितने साल से चल रहा है ? 6 साल से ऊपर हो गया 5 किलोमीटर का बाइपास रोड नहीं बना है। फोटो इसमें है। हम फोटो देखकर खुश हो जाएं। उसमें गाड़ी ही नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप भाषण में थोड़ा सा बताइए। अगर रोड तुरंत भी बना देंगे तो किसान को क्या फायदा है ? किसान को क्या फायदा है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- क्या फायदा है, वह तो वही बतायेंगे। हमको तो सड़क दे दो। घुरवा, नरवा जो बनाना है आप बनाओ। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। मुंगेली में 17 बस्ती है। बाइपास रोड बनानी है। खाली आपने रोलर की फोटो लगा दी है, उससे कोई फायदा नहीं होना है। बिलासपुर से उरगा इकॉनॉमिक कॉरीडोर लंबाई 74 किलोमीटर का आपने इसमें जिक्र किया है। यह रोड कहां से, कब, कैसे, कौन सी रोड की आप बात कह रहे हैं। जरा इसको स्पष्ट कर दीजिएगा। मुझे समझ में नहीं आया। माननीय मंत्री जी बिलासपुर से हावड़ा मुंबई रेलवे लाइन पर आप जिस रास्ते से आते-जाते हैं । हावड़ा मुंबई रेलवे लाइन पर लाल खदान क्रॉसिंग के पास आर.ओ.वी. का निर्माण 32.26 करोड़ से हो रहा है। कहां है ? हम तो लाल खदान और मस्तूरी की तरफ जाने से डरते हैं। थर-थर कांपने लगते हैं। वहां पता नहीं जिंदा रहेंगे कि मर जायेंगे ? क्या होगा ? कौन से प्रकार का पुल बन रहा है ? कैसे बनेगा ? अमेरिका से इंजीनियर आये हैं कि रसिया से आये हैं कि चीन से आये हैं कि यहां के हैं। बनवाइए न। एक छोटा सा पुल है। छोटा सा आर.ओ.वी. है। उसके कारण यातायात ठप्प है। लोग मर रहे हैं। गाड़ियो में लोग जाम में फंसे रहते हैं। दूसरी बात का अभी तो शुरूआत है, बाद में बात करेंगे। दो तीन बिंदुओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। स्पीड ब्रेकर को कोर्ट के आदेश से आपने तोड़ा है। स्पीड ब्रेकर को तोड़ तो दिये हैं पूरा गड्ढा वैसी ही है। उसमें डामर तो पटवा दो। उसमें लोग गिरकर मर रहे हैं। पुराने पुल-पुलिया का रैलिंग गिरा है। थोड़े-थोड़े खर्च में आप अपनी शोभा बढ़ा सकते हैं लेकिन अब उसके

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

ऊपर बुद्धि दौड़ाएं तो। टेंडर कितना परशेंट का मंजूर होगा, कब वर्क ऑर्डर होगा, इसी में आप लोगों का ज्यादा दिमाग दौड़ रहा है। रैलिंग टुटा हुआ है, उस रैलिंग को बनवा दो। पोताई करवा दो। साफ-सुथरा दिखेगा। जगह-जगह जो गड्ढे हैं, उसको जो अधिकारी देखे उसको पाटने के लिए बोल दो। छत्तीसगढ़ भवन का दिल्ली का थोड़ा कमरा ठीक कराइए। पता नहीं कौन से प्रकार का लॉक लगा है उसको खुट-खुट करते रहो तो न ही खुलता और न ही बंद होता। परेशान हैं। बॉथरूम बहुत खराब है। वहां विधायक लोग ही रूकते हैं। दो महीने पहले आप भी उसी में रूका करते थे। आप तो खैर सांसद थे। (श्री ताम्रध्वज साहू की ओर इशारा करते हुए) बाकी सब तो। उसको ठीक करा दीजिए। कृपा करके साफ-सुथरा अच्छा। थोड़ा लगे कि छत्तीसगढ़ अमीर धरती के। वह बनेगा तो मिलेगा कहां ? साहब लोगों के मारे तो मिलता नहीं है, दादा। आप उसमें तय कर दो कि उसमें एम0एल0ए0 या मंत्री भर रहेंगे। सर, यह आपका पी0डब्ल्यू0डी0 का हो गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो-दो मिनट में खत्म कर देता हूँ। जेल विभाग में ज्यादा कुछ नहीं कहना है। गृह में, पुलिस का तो चलता है। मारते हैं, पीटते हैं, पकड़ते हैं, जेल भेजते हैं, कोई मरता है, कोई जेल जाता है, चलाओ। मुझे पहली बार आपके विभाग का एक काम अच्छा लगा। मैंने पुलिस हाउसिंग बोर्ड का काम नजदीक से देखा। आपकी एक बेहतरीन हाउसिंग स्कीम लांच हुई है। आप उस काम को पूरे प्रदेश में करवाईये। क्योकि हमारे पुलिस के अफसर या तो किराये में रहते हैं या तो अंग्रेज जमाने के टूटे-फूटे छपरी में टपकते हुए में रहते हैं। यह काम अच्छा है, इसको ठीक कराईये। थाने का परिसीमन करा दीजिये। पता चला इस रोड का थाना है तो दूसरे रोड में उसका थाना पड़ेगा। तो गांव का परिसीमन करवा दीजिये। छोटे-छोटे थाने और चौकी हैं, वह आपकी बदनामी का बहुत बड़ा अड्डा है। जंगल क्षेत्र का कोई चौकी का थानेदार हुआ, तो फिर वह अपने को बादशाह मान लेता है। वह रेत भी पकड़ता है, लकड़ी पकड़ता है, झउहा भी पकड़ता है, झाड़ू भी पकड़ता है। आप ऐसे लोगों को दण्डित करिये। क्योंकि थानेदार को कानून व्यवस्था देखने का काम है। रेत वगैरह पकड़ने का इनका काम नहीं है, अध्यक्ष जी। गांव के अंदर दूरस्थ जंगल में कोई क्या रेत बेचेगा। अपनी जरूरत के लिए लाता है। उनको मत पकड़े, उनको तंग करते हैं। अध्यक्ष जी, एक मनोहरपुर गांव है, वहां चुनाव के समय सरकारी दफ्तर में 20 पेटी शराब जब्त हुई। पुलिस ने खुद पकड़ा, रिपोर्ट हुई, कोई कार्रवाई नहीं। किसी नेता का फोन आया रहा होगा। अभी जो सरकार खुद शराब बेच रही है। 4 पौवा लेकर जाओ, 4 पौवा थानेदार अपने पास से मिला देगा, 8 पौवा में अंदर। जमानत ही नहीं होना है। तो यह सब नहीं होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए। सट्टा, शराब, चिटफण्ड कम्पनी, इसके ऊपर कार्रवाई हो। पुलिस कर्मियों की मांग को भी प्रशासनस बहुत देखे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, झीरम की बहुत बात कर रहे थे। जांच होना चाहिए। आपको जिस प्रकार का जैसा जांच, जहां से जांच, अमेरिका से, एन0आई0ए0 से, सी0बी0आई0 से, एस0आई0टी0 से, सी0आई0डी0 से, दरोगा से, सिपाही से जिससे जांच कराना है, कराओ। लेकिन सिर्फ जांच कराना नहीं। जब भा0ज0पा0 के लोग मीसा बंदियों को 50 हजार रूपये मीसा बंदी का पेंशन दे सकते हैं तो आप भी तो झीरम घाटी के हमलें में हमारे लोग, इस प्रदेश के लोग मारे गए हैं। मृत परिवार को 1-1 लाख रूपये और 50-50 हजार रूपये घायल परिवार के लोगों को पेंशन देने की घोषणा करिये, गृह मंत्री जी। तब समझेंगे कि झीरम में श्रद्धांजलि है। वह गरीब नवजवान जो पी0एस0ओ0 बनकर गया था, वह भी मारा गया। मैंने तो अपने विधायक निधि से पी0एस0ओ0 के लिए स्मृति द्वार बनवाया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- धर्मजीत जी, माननीय गृहमंत्री जी, भा0ज0पा0 के लोग मीसा बन्दियों को दे सकते हैं, कहा। आपने, झीरमघाटी के लिए मांग किया। हम उसके समर्थन में हैं। आप घायलों और मृतकों के लिए घोषणा कर दीजिये। हम समर्थन दे रहे हैं। (अध्यक्ष महोदय द्वारा बेल बजाये जाने पर) एक मिनट, अध्यक्ष महोदय। मांग का सवाल है। यदि सहमति बन रही है तो फिर यह अपेक्षा करेंगे कि आप घोषणा करिये। फिर पूछकर बतायेंगे, देखेंगे वाला काम नहीं होना चाहिए। जब सहमति बन रही है तो सदन की गरिमा बढ़े।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, खत्म करिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- उसमें बहुत से गरीब परिवार भी हैं और बहुत से अच्छे लोग, बहुत सक्षम लोग भी हैं। लेकिन आप उनके सम्मान के लिए करिये। घायल हुए हैं, मरे हैं, हमारे नेताओं के खून से हमारी धरती लाल हुई है। आप उनके सम्मान में करिये और जांच भी कराईये। छत्तीसगढ़ की जेल में क्षमता से ज्यादा कैदी हैं, भैय्या। उसकी थोड़ी क्षमता बढ़वा दीजिये। अध्यक्ष जी, मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य विभाग से उधारी का डाक्टर आता है। वहां कोई डाक्टर-वाक्टर नहीं रहता। मैं कहता हूँ कि जो लंबे समय के लिए सजायाफ्ता कैदी हैं, कम्पाण्डर का, ड्रेसर का उनको ट्रेनिंग दिलवाईये। बजट में प्रावधान करिये, सेल में किनारे में खुद का छोटा सा अस्पताल रखिये, जिसमें मूलभूत सुविधा रहे। मलेरिया की जांच हो सके, उनके पेट की जांच हो सके, ड्रिप लग सके, उनको डाक्टर डेली चेक कर सके। (अध्यक्ष महोदय द्वारा भाषण खत्म करने हेतु बेल बजाई गई)

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती रश्मि सिंह।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । एक आखिरी बात पर्यटन में बोल लूं, पर्यटन मण्डल का होटल-मोटल भी चल रहा है । पिछली सरकार ने बहुत बनवाया। सरगांव के पास जो मोटल है, उसमें अगर कोई भी बंदा अकेले जाकर नहीं, घूमकर आ जाए सिर्फ पांच मिनट के लिए अंदर घुसकर आ जाए, पक्का उसको घोड़ा करायत सांप काटेगा ही, उसको गौहा डोमी सांप काटेगा ही ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वह उसके सड़क से उतरकर बिल्डिंग तक नहीं पहुंच सकता, उसके पहले वह अल्ला-ताला को प्यारा हो जायेगा । ऐसा नहीं होना चाहिए । ये छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा है । कुछ नहीं तो आप सरकारी दफ्तर खोल दो, कुछ नहीं तो थाने को दे दो, कुछ नहीं तो वहां के गांव की महिलाओं को दे दो, कुछ तो करो । आमाडोह भाभी जी का विधान सभा क्षेत्र है, मेरे क्षेत्र में वह बना है-आमाडोह । कितना सुन्दर, बहुत सुन्दर जगह है, अध्यक्ष जी, आप एक बार जरूर चलिए । हम चाहेंगे कि आप वहां चलिए । आपके कबीर चबूतरा से मुश्किल से 5-7 किलोमीटर दूर है । वहां दुर्दशा है । हमारे मुंगेली जिले के औंरापानी में लोरमी ब्लॉक में एक पर्यटन विभाग का क्या बना है, उसको क्या कहूं, कब्रिस्तान कहूं, खण्डहर कहूं कि क्या कहूं, वह क्या बना है, वह आजतक मुझे समझ में नहीं आया, बहुत दूरस्थ अंचल में पहाड़ के नीचे है । या तो उसको ठीक करा दो या किसी गरीब बैगा को दान कर दो, कम से कम वह उसमें रहेगा तो एक आवास की बचत होगी । चित्रकोट का आपका टूरिस्ट हट बढ़िया है, सरोधा दादर भी बढ़िया है । ऐसी ही बनवाईए और ऐसी ही जगह को सलेक्ट करके बनवाईए, जहां थोड़ा खुबसूरत सीनरी रहे । अब आपने नेशनल हाईवे के किनारे बनाया है तो धूल में वहां कोई क्या रहेगा ? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप टूरिजम डिपार्टमेंट के अधिकारियों का दल भेजिए-उत्तरांचल । गढ़वाल टूरिजम का वहां पर सिस्टम देखकर आ जाएं, वह सिस्टम ज्यादा अच्छा है और हमारे पर्यटन केन्द्र के रूप में छोटे-छोटे बांध को आपने पर्यटन केन्द्र बनाया है तो हमारा खुड़िया तो 1930 में अंग्रेजों ने बनवाया है । बिलासपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है, बहुत सुन्दर है, प्राकृतिक सौंदर्य है और वेलेंटाइन डे के लायक जगह भी है तो उसको पर्यटन स्थल घोषित कराईए, वहां पर बहुत सी अच्छी-अच्छी जगह है, अभी तो और बोलना चाहता था ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वेलेंटाईन डे में क्या होता है, मंत्री जी को जरा बता दीजिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अब वे समझ रहे हैं, वेलेंटाईन डे तो वे भी मनाते ही होंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उनको वहां पर भेज दो ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि आप खूंड़िया आ जाएं और उसको देख लो, बृजमोहन जी को भी ले चलो, आपको जिसको चाहें, उसको ले चलिए, लेकिन मंत्री जी, अभी तो आपको काम करने का अवसर ज्यादा नहीं मिला है, लेकिन अगली बार ये व्यवस्था सुधारिए । अकबर भाई, मैंने पण्डरिया बाजार रोड़ के बारे में भी इनको बोला है, वह बहुत खराब स्थिति में है, मध्यप्रदेश वाले बहुत अच्छे हैं । हमारी हालत खराब है, उसको बनवाईए और पण्डरिया का बाईपास मार्ग भी ।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह (तखतपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं लोक निर्माण और गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट की चर्चा करने के लिए खड़ी हुई हूं और इन मांगों का समर्थन करती हूं । मांग संख्या 24लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत है । बारह माह तक सड़क के माध्यम से आवागमन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बेहतर करने के लिए जो सड़क के प्रस्ताव रखे गए हैं, नये कार्यों के लिए 236 करोड़, 27 लाख, 50 हजार की मांग की गई है । मैं उक्त प्रस्ताव का समर्थन करती हूं और माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि तखतपुर विधान सभा क्षेत्र के लिए मैं चाहूंगी कि सड़कों का जो प्रस्ताव है, उसे भी शामिल करें और जैसा कि माननीय सदस्य धर्मजीत सिंह ने कहा कि एयरपोर्ट, बिलासपुर पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत जो कार्य हुए हैं और 27 बार उसकी जांच के लिए समिति आ चुकी है तो दो माह ही कांग्रेस के शासन को हुए हैं और यदि बिलासपुर का विमान संचालन चकरभाटा से नियमित रूप से शुरू हो जाता है तो बिलासपुर जिले के हम सभी विधायक इसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे तो कृपया उस दिशा में भी विचार करें और मेरे आग्रह को नोट करें कि मैं ऐसा आग्रह करती हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं पीडब्ल्यूडी के विषय में जैसा कि माननीय धर्मजीत सिंह जी ने कहा कि किसी महिला को बने हुए भवन दान दे दिए जाएं तो अगर कोई प्रस्ताव उनकी तरफ से आएगा तो मैं भी समर्थन करूंगी क्योंकि पिछली सरकार ने बहुत सारे भवन और कमरे इसी तरह बना-बनाकर तोड़ दिए हैं, जिसमें मुख्य रूप से पर्यटन के बहुत से भवन पूरे प्रदेश में बने पड़े हुये हैं और वह अनुपयोगी हैं । मैं चाहूंगी कि मेरे द्वारा संकरी और गनियारी में कालेज स्थापना की मांग की गई है, ऐसे ही भवनों का अगर इस्तेमाल किये जाने का प्रस्ताव आये, मैं वन चेतना केन्द्र जो संकरी मोड़ पर है, उसमें किसी कॉलेज स्थापना के लिए प्रस्ताव देना चाहूंगी । अग्निशमन के प्रस्ताव के संबंध में मैं कहना चाहूंगी कि लगभग सभी नगर पंचायतों में अग्निशमन की सेवा है । बिलासपुर में, तखतपुर में अग्निशमन का वाहन नहीं है, उसके लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगी । इसके अलावा अभी सभी सदस्यों ने झीरम घाटी पर चर्चा की है । झीरम पर बहुत सी बातें हो गयी है, लेकिन सारी बातें जो अनसुलझी है, मुझे उम्मीद है कि झीरम पर इस शासन में अतिशीघ्र बहुत महत्वपूर्ण चीजें तय होगी । निवेदन करना चाहूंगी कि जब झीरम की घटना हुई थी तो जगदलपुर के मेडिकल कालेज में केवल एक टिटनेस का इंजेक्शन ही सारे घायलों को लगाया गया था । उसके अलावा वहां के मेडिकल कॉलेज से कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई थी । माननीय स्व. विद्याचरण शुक्ल जी की मृत्यु टिटनेस के कारण हुई । समय पर जो टिटनेस का इंजेक्शन लगा था, वह भी उपलबध नहीं हुआ था, यदि इन अवस्थाओं को सुधारा जा रहा है, अभी शासन के दो माह ही हुये हैं, अत: शासन की सराहना की जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय :-धन्यवाद । केशव प्रसाद चन्द्रा जी ।

श्रीमती रशिम आशिष सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं ह्यूमन ट्रेफिकिंग पर दो मिनट बात करना चाहूंगी, क्योंकि चर्चा अधूरी रह जायेगी । बहुत से बच्चे गायब थे, जिनको छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद गुम बच्चों को ढूंढ निकालने के लिए पुलिस ने जो अभियान चलाया, उसके तहत विगत दो माह में, जनवरी माह में 344 बच्चे, उनके अभिभावकों तक पहुंचा दिये गये हैं । निश्चित रूप

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

से हमारे कांग्रेस के माननीय मंत्री जी के निर्देशन में बहुत अच्छा कार्य चल रहा है । चावल के एक दाने से पता चलता है कि स्थिति क्या है ? मैं उनको बधाई दूंगी । मैं इसके लिए उन्हें साधुवाद करती हूॅं, धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, आपके दल के लिए चार मिनट है । आप कितने मिनट बोलेंगे, आप स्वयं समझ लें ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- आपका जैसा निर्देश होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चार मिनट । चलिये पांच मिनट देते हैं ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजेपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय ताम्रध्वज साहू जी को गृह विभाग के रूप में एक बहुत बड़े विभाग की जिम्मेदारी मिली है साथ ही हम सब को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, जैसा कि पुराने काल में कहा जाता है, विश्वकर्मा जी बनाने के लिए हुआ करते थे, आज विश्वकर्मा की भूमिका पर वे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क बन रहे हैं, भवन बन रहे हैं, लेकिन उसमें गुणवत्ता नहीं है । गुणवत्ता नहीं होने के कारण उस गारण्टी पीरियड को भी हम पार नहीं कर पा रहे हैं, उस गारण्टी पीरियड में भी मरम्मत की आवश्यकता पड़ रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान समय में जो प्रदेश में परम्परा चल रही है, निविदा में 38 परशेंट से बिलो रेट पर ठेकेदार को आप काम दे रहे हैं । आपका प्राक्कलन है, 38 परशेंट बिलो रेट पर ठेकेदार काम ले रहा है । या तो वह गुणवत्ताविहीन बनायेगा या आपका प्राक्कलन गलत है जो 38 परशेंट पर आप बना रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में जितने भी निविदा प्रारंभ हुये हैं, 20-25 परशेंट बिलो में टेण्डर हो रहा है । इस परिस्थिति में हम कैसे उम्मीद करेंगे, हम ठेकेदार से बात करते हैं, उनकी बात सुनेंगे तो और आश्चर्यजनक, इतने बिलो पर लिये हैं । विभाग का खर्च इतना, फलाना का खर्च इतना, बात करते हैं, सब कुछ काटेंगे तो आज जो सरकार पैसा दे रही है, उसका आधा पैसा भी है, सड़क और बिल्डिंग पर नहीं लग रहा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, एक किसान घर पर बिना कॉलम के पत्थर का घर बनाता है, बिना सीमेंट की जोड़ाई से बनाता है, वह मकान सौ साल टिकता है । लेकिन सरकार, 16 एम.एम., 22 एम.एम. 25 एम.एम. का छड़ लगाकर बिल्डिंग बनाता है । वह बिल्डिंग पांच साल भी नहीं टिकता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, जो काम हो रहा है, वह गुणवत्ताविहीन है, कमीशनविहीन काम है और अगर गुणवत्तायुक्त और कमीशनविहीन काम होगा तो निश्चित रूप से आज जो सड़क और बिल्डिंग बन रही है उसकी लाईफ कई साल होगी। मैंने मुख्य बजट पर कहा था कि बजट का ये जो आंकड़ा है वह केवल धोखा देने के लिए है। मेरे क्षेत्र में वर्ष 2014-15 में छितापड़रिया से खम्हरिया, बेलादुला से कलमीडीह रोड स्वीकृत हुआ लेकिन आज तक वह रोड नहीं बना। क्यों नहीं बना? टेंडर हो गया, एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट का समय समाप्त हो गया, लेकिन सड़क नहीं बना। वर्ष 2015-

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

16 में सेमरिया से करनौद, सेमरिया से मुक्ता, डभरा कोसमझर मांजरकुट होते हुए मरघट्टी- मिरौनी- अमोदा तक एक भी सड़क नहीं बना। वर्ष 2016-17 में बरकूट से करनौद, सोठी आश्रम से संजय ग्राम दर्राभांठा। अध्यक्ष महोदय, आपके क्षेत्र से होते हुए मेरे विधानसभा तक सलनी-कचन्दा तक जाना है, देवरघटा से हरेठीखुर्द अरसिया से घिवरा से करही, और एक प्रमुख मार्ग जो कि तीन विकासखंडों को जोड़ता है जैजैपुर विकासखंड से मालखरौदा और मालखरौदा विकासखंड से डभरा विकासखंड, जैजैपुर से गोबराभांठा तक की सड़क जिसमें मंत्री जी मैं आज दावा करता हूं कि उस 22 किलोमीटर की सड़क पर यदि आप चलेंगे तो आपको तुरंत डभरा अस्पताल जाना पड़ेगा। लेकिन यह वर्ष 2016-17 के बजट में आने के बावजूद भी आज तक काम प्रारंभ नहीं हो पाया। इसी प्रकार वर्ष 2017-2018 के बजट में हसौद से रींवाडीह, अकलसरा से भोथिया, मलनी से खजरानी और वर्ष 2018-19 के बजट में बोडसरा से करमनडीह, धमनी से नरियरा, नगारीडीह से मल्दा, घोघरी से बरभांठा, ये तमाम सड़कें बजट में आईं लेकिन अभी तक एक भी सड़क नहीं बन पाई। ऐसे बजट का कोई औचित्य नहीं है और किस चीज के लिए आप पैसा मांग रहे हैं? आप हर बार यहां से बजट पारित करवाते हैं लेकिन उसका उपयोग क्यों नहीं होता? उपयोग किस लिए नहीं होता? क्या आपके अधिकारी लोग उसका प्राक्कलन नहीं बना रहे हैं, टेंडर नहीं कर रहे हैं? या फिर ऐसा है कि मैं विपक्ष का विधायक हूं तो आप चाहते हैं कि झूठा आश्वासन देकर बजट ला दें और उनके क्षेत्र में काम न हो। ये विकास की बात है इससे कोई एक विधायक नहीं जुड़ा है। इससे तमाम छत्तीसगढ़ के लोग जुड़े हुए हैं। यह कनेक्टिविटी विकास का मुख्य स्रोत है। आपका आवागमन मजबूत रहेगा तो निश्चित रूप से सभी तरह का विकास होगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बजट में सम्मिलित है उन सड़कों की आप स्वीकृति करवाईये और उन्हें आप बनवाईये। अभी भी आप मुझे तीन सड़क दिये हैं, मेरे अनुरोध पर आपने तीन सड़कें दी हैं उसका भी हश्र ऐसा न हो जाए कि पांच साल तक आपकी सरकार पूरी हो जाए और काम न हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरा जो विधायक आदर्श ग्राम है देवरघट्टा वहां शिव का बहुत प्राचीन मंदिर है। वहां लंबे समय से मेला लगता है लेकिन आज वहां मंदिर की स्थिति ऐसी है कि वह बहुत जीर्ण-शीर्ण हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग में से आप उस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए कुछ राशि दे दीजिए ताकि वहां की जो पुरानी परंपरा है वह जीवित रहे। जब माननीय चन्द्राकर जी इस विभाग को देख रहे थे तो उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया था कि ग्रामीण पर्यटन केन्द्र का विकास हो। यदि पुराने समय से जुड़ा हुआ ऐसा कोई स्थल हो जिसको ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर सकें तो यह उचित होगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- उस योजना का नाम था-हमारा छत्तीसगढ़।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कचन्दा में खंभाश्री का मंदिर है वहां हर समय बहुत बड़ा मेला लगता है। उसी प्रकार बम्हनीडीह विकासखंड में जो माननीय अध्यक्ष महोदय के पूर्व क्षेत्र में रहा है बड़गड़ी शीतबाबा मंदिर है इनको ग्रामीण पर्यटन केंद्र बनाने के लिए वहां सुविधा उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, केशव जी, हाथी लोग जिधर से चलते हैं न उस कारीडोर में भी पक्की सड़क की मांग करो। वो हाथी आपके लिए बहुत पूजनीय, आदरणीय है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां का कानून व्यवस्था मजबूत रहेगा वहां निश्चित रूप से आदमी खुशहाल रहेगा। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्थिति क्या है? हम अपनी फरियाद ले करके पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि जिस चौक पर खाकी वर्दी वाला खड़ा है तो लोग उस चौक से गुजरना पसंद नहीं करते, अगल बगल से रास्ता खोज करके निकल जाते हैं, स्थिति किसलिए है? स्थिति इसलिए है कि ये जो भ्रष्टाचार यहां कायम है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, ये हाल है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सुबह कहा था कि सत्ता रूढ़ दल के लोगों की अपेक्षाएं समाप्त हो गई है, मंत्री पूरे निराश हैं, पूरे अधिकार एक आदमी के हाथ में केन्द्रित है, संस्थाएं भंग हो गई और संस्कृति विभाग ने बोला एक काम हो रहा है कापड़ामा, दूसरा सब ठप्प। इसलिए क्या करेंगे बेचारे बैठ के, क्या करेंगे बैठ के, सुबह से ये कर रहे हैं ?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त करता हूं। पुलिस से हमें बहुत अपेक्षा है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, पुलिस से अपेक्षा है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था अच्छा बनाये, जो जांच चल रहा है वो तो चल रहा है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, एस.आई.टी किस बात के लिए, हाथी के लिए कुछ के लिए।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी आप कितना समय लेंगे अपने भाषण में, क्योंकि आपके 3 घंटे निर्धारित थे, 2.30 मिनट समाप्त हो चुके हैं, तो 2 घंटे 40 मिनट, तो कितना मिनट का भाषण देंगे।

लोक निर्माण मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- अध्यक्ष महोदय, जितना कम से कम समय एकात घंटे तो लग ही जायेंगे क्योंकि सभी विभागों के जवाब भी देना है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- अंतिम वक्ता के रूप में डॉ. रेणु जोगी जी आपको विशेष समय दिया जा रहा है।

डॉ. श्रीमती रेणु जोगी :- अध्यक्ष जी, धनयवाद। मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। मैं माननीय मंत्री जी के कटौती प्रस्ताव के मांग संख्या के विरोध में बोलेने के लिए खड़ी हुई हूं। पी.डब्ल्यू.डी विभाग, लोक निर्माण विभाग के बारे में दो ही बातें कहना चाहूंगी। विगत दो वर्षों से पेंड्रा का बायपास 54 करोड़ का स्वीकृत है पर अभी तक भू अर्जन की प्रक्रिया में उलझा हुआ है। रतनपुर से पंडरिया तक लगभग 76 किलोमीटर की ए.डी.बी की रोड बन रही है जो कोटा शहर के बीच से सारा हैवी ट्रैफिक निकलेगा। लगभग 75 प्रतिशत निर्माण हो चुका है । मैं आपसे मांग करना चाहती हूं कि कोटा बायपास रोड बनना बहुत जरूरी है, पिछले बजट में स्वीकृत था पर प्रशासनिक स्वीकृति के कारण नहीं मिल पाया। बेलगहना में मात्र एक किलोमीटर का बायपास है क्योंकि सारा हैवी ट्रैफिक शहर के बीच से गुजरता है। पर्यटन की दृष्टि से अमरकंटक मेरे क्षेत्र में राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है, न सिर्फ पर्यटक स्थल धार्मिक स्थल भी है। हजारों की संख्या में वहां श्रद्धालु आते हैं। जलेश्वर और सोनमुड़ा छत्तीसगढ़ में मेरी विधानसभा में स्थित है। वहां पर्यटन विभाग का 20 कमरें का होटल बन चुका है, जिसका इस प्रतिवेदन में कोई जिक्र नहीं है। आमाडोल में भी 20 व्यक्तियों के रहने के क्वाटेजेस बने हैं तो कुछ ऐसा सर्किट बनाइये कि रतनपुर जो एक धार्मिक नगरी है। अमरकंटक, अचानकमार आदि ये सब जोड़ के कम से कम दो दिवसीय, वहां एक पर्यटन सर्किट बन सकें । अभी मैं प्रतिवेदन में पढ़ रही थी तो मुझे हर्ष हुआ कि 4 करोड़ 81 लाख का कुरदर ग्राम पंचायत में जो बैगा ग्राम पंचायत है, ऐथिक टूरिज्म डेस्टिनेशन डेव्लपमेंट केन्द्र के द्वारा स्वीकृत हुआ है, जहां पर बहुत से काटेजेस और अन्य सुविधा के स्थान बनने हैं। आशा करती हूं कि इसका निर्माण भी आप जल्दी करेंगे पर जो कुरदर ग्राम पंचायत है, वहां बिजली स्वीकृत होने के बाद भी, राजीव गांधी विद्युत स्वीकृत है, पर आज दिन तक बिजली नहीं लग पाई है। इसके अतिरिक्त आपके पास संस्कृति विभाग भी है रतनपुर में 7 दिवसीय माघी पूर्णिमा का मेला होता है। स्वर्गीय राजेन्द्र प्रसाद जी शुक्ल जी के द्वारा वह आंरभ किया गया था। उसे आपके विभाग के द्वारा मात्र 10 लाख रूपये दिये जाते हैं। मैं देख रही थी कि पुन्नी राजिम मेला में 3 करोड़ की राशि दी जाती है और हम लोग 10 लाख, तो कृपया रतनपुर माघी पूर्णिमा मेला आदिवासी माघी पूर्णिमा मेले के लिए 10 लाख को 20 या 25 लाख कर दें।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद्।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पुलिस विभाग से संबंधित बात कहना चाहती हूँ कि मैं महिला थाने की बार-बार बात करती हूँ। गौरेला में भवन भी बना है उस क्षेत्र में एक महिला थाना खुल जाये। क्योंकि जिला मुख्यालय से बहुत दूर है और पुलिस की बात ही हो रही है

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तो उन्हें मध्यप्रदेश में साप्ताहिक अवकाश दिया जा रहा है तो हमारे छत्तीसगढ़ की भी पुलिस को दिया जाए, कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा। इतना कहकर, मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सौरभ सिंह जी, अंतिम वक्ता। आप तीन में अपनी बात समाप्त करें।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सोनसरी ग्राम के रूद्रप्रताप सिंह की शहादत चुनाव के दौरान बस्तर में हुई थी, आपके परिवार में एक उनकी वाईफ है और वह शासकीय कर्मचारी है और एक 6 साल की लड़की है। आपने उनको बाल आरक्षक की नियुक्ति दी है। उनके परिवार का निवेदन है जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि कैबिनेट के अन्य निर्णयों में जिस पद पर शहादत होती है आने वाले समय में उस पद पर ही नियुक्ति दी जाती है। उनकी 6 साल की लड़की है वह व्यस्क होगी फिर उसके लायक होगी तो उस समय ऐसे उदाहरण रहे हैं कि 5, 10, 15 साल बाद नियुक्ति दी गई है तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो नियुक्ति आदेश है उसको बदलकर जिस पद पर लड़की के पिताजी की शहादत हुई थी, उस पद पर ही नियुक्ति दी जाए। ये उनके परिवार का अनुरोध है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया। हम लोग जेल विभाग के बारे में बोल रहे थे। जेल विभाग के बारे में कई चर्चाएं हुई। जेल में जो विचाराधीन कैदी हैं, उनके लिए लिगल सेल को सुधारना बहुत जरूरी है और बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं हैं जिनके पास कुछ चीज नहीं है और वे विचाराधीन कैदी के रूप में एक तरह से जेल के बंदी होकर पड़े रहते हैं उनका न चालान पुटअप होता है, न कुछ होता है। कृपापूर्वक लीगल सेल को सुधारने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया मेरे अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में अकलतरा बाईपास वहां से सारी कोयले की गाड़ियां चलती हैं और अकलतरा बाईपास का निर्माण बहुत दिन से अपेक्षित है और अकलतरा बाईपास निर्माण का कार्य लगभग स्वीकृत नहीं हो पा रहा है। ये 5 साल से बजट में है इसके साथ साथ मैं एक बात बोलूंगा कि छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद लगातार स्टेट हाईवे बनी हैं मेजर डिस्ट्रीक्ट रोड बने हैं और बहुत सारी पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कें बनी हैं। इस बजट में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि उन सड़कों का मैनटेनेंस कहां से होगा ?कितने दूर तक उन सड़कों का मैनटेनेंस होगा। हम नयी सड़क बनाने की मांग तो कर रहे हैं नयी सड़कें बन गई, ये सड़क बन जाए, वो सड़क बन जाए, लेकिन जो पुरानी सड़कें बनी हैं उनके साईड सोल्डर का क्या होगा ?उनके पैच वर्क का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

क्या होगा ?फिर से बी.टी. का क्या होगा ? तो बजट की जो स्थिति है उस पर माननीय मंत्री जी कृपापूर्वक ध्यान देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस की बात थी जांजगीर जिले के उत्तर भाग में आपका विधान सभा क्षेत्र, हमारे विधान सभा क्षेत्र में सुनियोजित ढंग से पिछले 4-5 महीने में एक माफिया तंत्र का राज आ गया है। जिसके तहत डिजल, कोयले चोरी के प्रकरण बढ़ रहे हैं और मध्यप्रदेश से कई गैंग आकर काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कई बार हम लोगों ने इस आशय की शिकायत की है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है कि वह एस.ई.सी.एल. का कोयला कैसे जा रहा है ? और एस.ई.सी.एल. का दक्षिण भाग से कैसे उसका डिजल निकल रहा है और उसका स्क्रैप निकल रहा है इस पर कृपापूर्वक ध्यान देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में तीन थाने हैं और तीनों थाने की बाउण्ड्री वॉल नहीं है और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप डी.एम.एफ. का मद वापिस ले आये हैं, कृपापूर्वक उसी से बाउण्ड्री वॉल की व्यवस्था करते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, टूरिज्म में बहुत अच्छा काम हुआ है, माननीय अजय चन्द्राकर जी बोल रहे थे, लोरनी प्लानेट बना है, चित्रकूट, सरोदादादार, मेनपाट, गंगेरल ऐसे टूरिज्म प्लेस हैं, लेकिन उनकी बुकिंग की प्रक्रिया सरल औ सुलभ नहीं हैं। अगर हम उनमें जाकर रहना चाहते हैं तो कैसे बुकिंग करेंगे। बुकिंग डाट काम के थ्रू आपके जो ट्रेवल के पोर्टल्स हैं, उनके थ्रू हम उनको एप्रोच नहीं कर सकते, उनकी लोकेशन बहुत अच्छी हैं, वहां जाने की बहुत लोगों की आशा रहती है, पर उनमें रिजर्वेशन कैसे होगा, हम कैसे जायेंगे, इस कोई विशेष करके व्यवस्था नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय :- सौरभ जी, धन्यवाद।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- कांग्रेस की ओर से अंतिम वक्ता श्री किस्मत लाल नंद जी, तीन मिनट में समाप्त करिये।

श्री किस्मत लाल नंद (सराईपाली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2019-2020 की गृह विभाग से संबंधित अनुदान मागों पर चर्चा करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के 27 जिले में जिन-जिन जिलों को नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रखा गया है उसमें महासमुन्द एक ऐसा जिला है कि वहां पर 9 अक्टूबर 2010 को सांकरा थाने के अंतर्गत एक जबरदस्त इनकाउंटर हुआ और उसमें 7 नक्सली मारे गये और भारी मात्रा में हथियार, गोला, बारूद बरामद हुआ। उसके बावजूद भी बस्तर और सरगुजा क्षेत्र

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

में अधिकारियों, कर्मचारियों को जो सुविधायें मिल रही हैं, वहां के अधिकारियों, कर्मचारियों को 50 प्रतिशत राशि दी जा रही है, वह महासमुन्द जिले के अधिकारियों, कर्मचारियों को नहीं दी जा रही है।

समय :
3:52 बजे

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, इसके ठीक विपरीत 1 नंवबर 2000 को मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है तब से कवर्धा में केवल आज तक केवल एक फारेस्ट गार्ड के हाथ से नक्सलियों ने रेंगाखार थाना क्षेत्र के एक गांव में मलाजखंड के बार्डर में केवल एक हैमर लूटा था। उसके अलावा न ही वहां कोई इनकाउंटर हुआ और न ही कोई पुलिस कर्मचारी, अधिकारी हताहत हुए, उसके बावजूद भी कवर्धा में रेंगाखार, शिल्पी, बोडला और कुकडुर थाना को 20 प्रतिशत अधिक राशि जा रही है। साथ ही अजाक, पंडरिया, पिपरिया, मंडातराई, सहसपुर लोहारा है, यहां तक डी.आर.पी. लाईन को भी 15 प्रतिशत राशि दी जा रही है। मैं छत्तीसगढ़ शासन के माननीय गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि जिस प्रकार से नक्सल प्रभावित क्षेत्र के सारे जिलों कों जो प्राथमिकतायें जा रही हैं, वैसे ही महासमुन्द के अधिकारी, कर्मचारियों को भी वह लाभ मुहैया कराया जाये। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए जो अभी बजट में रेस्पांस भत्ता 45 करोड़ 84 लाख दिया गया है, वह मेरे हिसाब से बहुत कम है, पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए और भी राशि बढाई जानी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी।

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय सभापति महोदय, लोक निर्माण विभाग, गृह विभाग, संस्कृति, पर्यटन, जेल, धर्मस्व, पुरातत्व सभी विभागों में माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। आरदणीय श्री शिवरतन शर्मा जी, संतराम नेताम जी, अजय चन्द्राकर जी, आशीष छाबड़ा जी, नारायण चंदेल जी, मोहन मरकाम जी, धर्मजीत सिंह जी, श्रीमती रश्मि आशीष सिंह जी, केशव प्रसाद चन्द्रा जी, डॉ.(श्रीमती)रेणु अजीत जोगी जी, सौरभ सिंह जी और हमारे अंतिम वक्ता के रूप में सम्माननीय सदस्य किस्मत लाल नंद जी ने भाग लिया। उपरोक्त सदस्यों ने बहुत ही उपयोगी सुझाव दिये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, 15 साल बाद आप इधर आये हैं, आपके बजट के पहले वक्ता बोल रहे हैं। हम कोशिश करते थे, लाख राजनीतिक व्यस्ततायें हों, मंत्री बोल रहे हैं तो कम से कम उतने समय सदन के नेता आ जायें।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- लगभग सभी मंत्री चूंकि आज माननीय मंत्री जी के बजट का उत्तर हो रहा है और ऐसे समय पर सम्मान करते हुए सभी मंत्रियों को उपस्थित रहना चाहिए । आज पहला दिन है, अभी हमें आने वाले 20 दिनों तक और बैठना है, अगर यही स्थिति रही तो पूरा सदन नीरस हो जायेगा । सदस्य उपस्थित रहें, मंत्री उपस्थित रहें, माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहें, जरा इस बात की माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आपको विशेष रूप से चिंता करनी चाहिए जिससे कि सदन की गरिमा बनी रहे ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- किसकी चिंता करनी चाहिए ? आप इधर देख रहे हैं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इधर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका दायित्व है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- पहले अपनी तो चिंता कर लो फिर हमारी चिंता करना ।

श्री अजय चंद्राकर :- अच्छा चलिये, हमारी चिंता आप करिये । क्या आपको उधर का दृश्य पसंद है यह बता दीजिये ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं । हम सब लोग बैठे हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- उधर जो दृश्य है वह आपको पसंद है तो हमको कुछ नहीं कहना है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- सारे मंत्री बैठे हुए हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- वाह-वाह । आप भी इन चीजों का समर्थन करने लग गये ।

श्री रविन्द्र चौबे :- किसका ?

श्री अजय चंद्राकर :- ये जो उपस्थिति है उसके लिये तर्क में आप खड़े हो गये, आपको नहीं होना था किसी और को भले हो जाना था । क्या करेंगे, चलिये आपके साथ पूरी सहानुभूति है बोलिये ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय सभापति महोदय, उपरोक्त सभी सम्मानित सदस्यों ने काफी उपयोगी सुझाव दिये हैं । मैं उक्त सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और जो सुझाव दिये हैं जिसमें कहीं हमारी कमियों का उल्लेख उन्होंने किया, मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा और भविष्य में जब हमारी योजनाएं बनेंगी तो उस दिशा में हम कारगार पहल करेंगे, योजनाएं बनायेंगे ऐसा मैं सोचता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकनिर्माण विभाग से मैं अपनी चर्चा शुरू करूंगा । बहुत से सदस्यों ने अपने विधानसभा क्षेत्र की मांग भी रखी है मैंने नोट किया है और समयानुसार उस पर भी निर्णय किया जायेगा । नया जनादेश हमें मिला है । नया जनादेश मिलने के बाद कम समय में जितना अच्छा निर्णय किया जा सकता है, जितनी अच्छी योजनाएं बनायी जा सकती हैं, जितना अच्छा काम किया जा सकता है उसकी शुरूआत हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम सबने शुरू किया है । एक नारा दिया गया है कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ और उसके तहत् उस विचारधारा को लेकर, उस संस्कृति को लेकर, उस अभियान के तहत् हम लोगों ने अपना काम, उस नारे से प्रेरित होकर हमारी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और बजट के ठोस प्रावधानों से छत्तीसगढ़ में प्रगति एवं खुशहाली का एक नया अध्याय आरंभ होगा । मेरा मानना है, हमारी सरकार का मानना है कि जनादेश का सम्मान करते हुए हमारा जन घोषणापत्र तैयार हुआ जिसमें गांव व गरीब को विशेष प्राथमिकता देने का संकल्प के साथ प्रदेश के दूर-दराज तथा वनांचल एवं सुदूर क्षेत्रों तथा जहां तक अभी तक विकास का पहिया नहीं पहुंचा है वहां का विकास करने की हमारी सरकार ने ठानी है । माननीय सभापति महोदय, राज्य के सभी पहुंचविहीन गांवों की कनेक्टिीविटी सुनिश्चित करने के लिये जवाहरसेती योजना के तहत् पुलों का निर्माण सभी नदियों और नालों पर करना सुनिश्चित किया गया है जिससे गांव का बारहमासी आवागमन सुनिश्चित हो, गांव के किसानों तथा कामगारों को मण्डी तथा रोजगार तक पहुंचना सुलभ होगा जिससे गांव का विकास भी होगा । हमारी सरकार द्वारा विकास के पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता से बारहमासी सड़कों द्वारा जोड़ा जायेगा जिससे प्रदेश के सभी क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित होगा । गांव में पहुंचने वाली सड़कों की स्थिति अभी भी संतोषप्रद नहीं है इस हेतु गांव की छोटी-छोटी सड़कों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाना है इस हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा मूलभूत न्यूनतम सेवा के तहत् कई ग्रामीण सड़कों को......।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, यदि आप पीडब्ल्यूडी में बोल रहे हैं तो एक चीज बताने का कष्ट करेंगे कि आपका बजट आयोजन बढ़ा है कि घटा है यह बताने का कष्ट करेंगे ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- मुझे जितना बताना है, आप सबने जितना सुझाव दिया उसके आधार पर मैं बात रख रहा हूं । अभी शुरू किया नहीं है, व्यय पर गया नहीं हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- तो सदन में इसमें आपको संकोच करने की क्या जरूरत है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- मैं संकोच नहीं कर रहा हूं । न डर रहा हूं, न झिझक रहा हूं, न संकोच कर रहा हूं ।

श्री अजय चंद्राकर :- बढ़िया-बढ़िया । बढ़ा है कि घटा है यह बता दीजिये न । मांग संख्या पर ही पहले बोल दीजिये ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- मैं समझता हूं कि बढ़ा है कि घटा है इसको आप भी देख चुके हैं, आप प्रतिवेदन पढ़ चुके हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने नहीं देखा है, मुझे इतना पढ़ना नहीं आता ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय सभापति महोदय, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । साइडलैब तथा प्रयोगशाला में सामग्री का परीक्षण कर उपरांत कार्य कराने पर बल दिया जायेगा । राज्य में गाड़ियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने से सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ते जा रहा है जिसके कारण सड़कों की चौड़ाई बढाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है । इनको देखते

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हुए सड़कों की चौड़ाई बढ़ाया जाना अतिआवश्यक है । प्रदेश में स्थित सभी राजमार्गों को दो लेन में किया जाना आवश्यक है । सभी मुख्य जिला मार्गों का भी उन्नयन कर चौड़ा किया जाना आवश्यक है । शहरी क्षेत्रों में रेल्वे क्रांसिग पर आये दिन जाम की स्थिति बनी रहती है । आम जनता को भारी असुविधा होती है इसलिये राजधानी रायपुर में यह समस्या काफी अधिक है इसके लिये रायपुर के कोटा भवानी नगर से सीतानगर गुढ़ियारी में अंडरब्रिज तथा कोटा हीरापुर रेल्वे लाईन पर रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित किया गया है । इस रेल्वे ब्रिज के बनने से कोटा एवं कबीरनगर क्षेत्र का यातायात सुगम होगा । माननीय सभापति महोदय, लोकनिर्माण विभाग द्वारा विभिन्न विभाग के कार्यालयों एवं आवासीय भवनों का निर्माण किया जाता है । विभाग में ही स्ट्रक्चर डिजाईन का कार्य भी किया जा रहा है । इस वर्ष बजट में उच्च न्यायालय बोदरी में अतिरिक्त कोर्ट रूम का निर्माण, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय के कार्यों के निर्माण, पॉलिटेक्निक कॉलेज के भवन, महाविद्यालय के भवन, हाईस्कूल भवन, हॉयरसेकेण्डरी स्कूल भवन, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 100 बिस्तर अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि का निर्माण किया जा रहा है ।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं बजट पर आ रहा हूं । वर्ष 2019-20 के बजट प्रस्ताव निम्नानुसार हैं मांग संख्या-24 जिसमें हम सड़क और पुल का कार्य लेते हैं । इस योजना के लिये कुल 1454 करोड़ 85 लाख 30 हजार की मांग की गयी है इसमें नये कार्यों के लिये प्रावधान निम्नानुसार हैं । एक रेल्वे ओवर ब्रिज एवं एक अण्डर ब्रिज कुल लागत 18 करोड़ 90 लाख, 4 करोड़ 72 लाख 50 हजार का प्रावधान किया गया है । जवाहरसेती योजना के तहत् 43 पुल निर्माण कुल अनुमानित लागत 211 करोड़ हेतु रूपये 53 करोड़ का प्रावधान किया गया है । राज्यों में सड़कों का निर्माण, 6 राज्य मार्ग लंबाई 59 किलोमीटर, कुल अनुमानित लागत 58 करोड़ के निर्माण एवं उन्नयन हेतु 14 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है ।

सम्माननीय सभापति महोदय, मूलभूत न्यूनतम सेवा के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण इसके तहत् 19 ग्रामीण मार्ग लंबाई 73 किलोमीटर अनुमानित लागत 44 करोड़ के निर्माण और उन्नयन के लिये 11 करोड़ का प्रावधान किया गया है । जिले के मुख्य सड़कों का निर्माण । मुख्य जिला सड़कों के निर्माण अंतर्गत 25 मार्ग, लंबाई 291 किलोमीटर अनुमानित लागत 164 करोड़ में 40 करोड़ 97 लाख 50 हजार का प्रावधान किया गया है । न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत 103 ग्रामीण मार्ग, लंबाई 385 किलोमीटर, अनुमानित लागत 293 करोड़, बजट प्रावधान 82 करोड़ 82 लाख 50 हजार, शहरी क्षेत्र के मार्ग, शहरी क्षेत्र के सड़कों के निर्माण अंतर्गत 41 मार्ग, लंबाई 147 किलोमीटर, अनुमानित लागत 117 करोड़ इसमें 29 करोड़ 25 लाख का प्रावधान किया गया है । एडीबी ऋण सहायित परियोजना, इस योजना के लिये कुल 610 करोड़ 92 लाख का प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जी, इसके अंदर नये कार्य का कोई प्रस्ताव नहीं है एडीबी सहायित ऋण परियोजना लोन-2 के चल रहे कार्यों के लिये 340 करोड़ 92 लाख मार्गों के सर्वेक्षण के लिये 20 करोड़ तथा लोन 3 के स्वीकृत 25 कार्यों के लिये 250 करोड़ इस प्रकार इस योजना में कुल 610 करोड़ 92 लाख का प्रावधान किया गया है।

समय :
4:05 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, प्रदेश का सबसे बड़ा बजट । लॉ एण्ड ऑडर और संस्कृति वगैरह, मैं तो सोच रहा था कि कुछ जोरदार एक्सटेम्पोर आएगा । जो अधिकारियों ने दिया है, आप तो उसे ही पढ़ रहे हो । अपना कुछ बोलिए, वह सब तो हमने मांग संख्या में पढ़ लिया है । आप कुछ करिये, छत्तीसगढ़ का सपूत होने का परिचय दीजिए। वह तो लिखा लिखाया, पूरा बस्ता है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- 15 साल बाद आपको छत्तीसगढ़ का सपूत होने सबूत भी मिल जाएगा ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अजय भइया, हमू मन ला बोले के मौका मिले रहितिस तो जरूर बोले रहितेन । लेकिन बड़ अकन समय ला आप मन एक दूसरा के बात मा खतम कर देव, आधा घंटा ला अइऐ खा देव । हमन ला बोले के समय कब मिलही ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कागज ला मांग ले अउ पढ़ ले । भाषण के का जरूरत हे ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- बिना कागज के बोल लेबो, आप अवसर तो देव ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- स्वीकृत 25 कार्य निविदा स्तर पर हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- का हे मंत्री जी, तैं जेन चीज ला पढ़त हस ना ओला सब हमू मन पढ़ डरे हन । हमर जौन सुझाव गे हे एती ले, ओमा का करत हस ओला बता ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय शिवरतन शर्मा जी, यह कहना उचित तो नहीं है लेकिन आपकी सरकार 15 साल चली उसमें भी, मंत्रीगण कागज देखकर ही पढ़ते रहे होंगे । बिना कागज के कोई मंत्री खड़ा नहीं हुआ होगा । जो अधिकारी या विभाग बनाता होगा, जो योजनाएं बनती होंगी, उसे ही प्रस्तुत करते रहे होंगे । जहां तक मैं समझता हूं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आंकड़े तो कोई भी व्यक्ति देखकर ही पढ़ेगा । मैं भी रहूंगा तो देखकर ही पढ़ूंगा उसमें कोई आपत्ति नहीं है । मेरा कहना है कि जो चीज प्रतिवेदन में छप चुकी है । वह हम सब लोगों ने पढ़ लिया है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- तो फिर पारित कर दीजिए प्रस्ताव ।

श्री शिवरतन शर्मा :- इधर से जो नया सुझाव गया है । उस पर कुछ करेंगे क्या, यह बताइए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री ताम्रध्वज साहू :- पहले अपनी बात रख लूं । उसके बाद आपकी बात पर आउंगा ।

श्री मोहन मरकाम :- तो फिर कटौती प्रस्ताव देना ही नहीं था, सर्वसम्मति से पास हो जाता ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- मांग संख्या 67, भवन कार्य, इस योजना के लिए कुल कार्य हेतु 668 करोड़, 35 लाख, 21 हजार की मांग की गई है । नये कार्यों के लिए प्रावधान है । उच्च न्यायालय बोदरी में 7 नग कोर्ट रूम, 10 करोड़ व्यय संभावित । जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय के 20 न्यायिक भवन एवं 50 कोर्ट रूम, अनुमानित लागत 80 करोड़, इस वर्ष 45 करोड़ का व्यय संभावित । इन सभी कार्यों के लिए 55 करोड़ का प्रावधान किया गया है । राज्य प्रशासनिक अकादमी निमोरा में स्पोर्टस कॉम्पलेक्स निर्माण के लिए 4 करोड़ 50 लाख, छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली, दिल्ली के द्वारिका में नया छत्तीसगढ़ भवन के निर्माण के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है । राष्ट्रीय सैन्य दल लखौली विकासखंड आरंग एनसीसी अकादमी परियोजना के अंतर्गत स्टेज दो निर्माण के लिए 14 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, परिवहन कार्यालय भवन निर्माण के लिए 44 लाख का प्रावधान किया गया है। होमगार्ड परिसर में आवास का निर्माण, जिला सेनानी, नगर सेना कोरिया, रायगढ़ के लिए किया गया है । इस हेतु 84 लाख का बजट प्रावधान किया गया है । राज्य निर्वाचन आयोग में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के रख रखाव के लिए गोदाम निर्माण के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है । एचडीआरएफ बिलासपुर और जगदलपुर में बैरक निर्माण अनुमानित लागत 2 करोड़, इस हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है । जेल भवनों का निर्माण, आप लोग बातें उठाते रहे हैं उनका भी उल्लेख एक साथ करता जा रहा हूं, अगर सुन रहे हों तो । जेल भवन का निर्माण बिलासपुर में 1500 बंदी क्षमता वाली विशेष जेल का निर्माण, अनुमानित लागत 35 करोड़, बेमेतरा में 200 बंदी क्षमता वाली खुली जेल का निर्माण, अनुमानित लागत 25 करोड़ । रायपुर में विशेष जेल का निर्माण अनुमानित लागत 300 करोड़, इन सबके लिए 15 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है ।

माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण । 55 हाईस्कूल भवन, 1 भवन का 73 लाख, 73 हजार के दर से 7 करोड़ 70 लाख का व्यय संभावित है । 30 हायर सेकेंडरी स्कूल भवन कुल 121 करोड़ का 9 करोड़ व्यय संभावित है । इस वर्ष इन सभी कार्यों के लिए 16 करोड़, 70 लाख का प्रावधान किया गया है ।

महाविद्यालय भवन, कन्या महाविद्यालय बालोद में भवन निर्माण के लिए 2 करोड़ व्यय संभावित । शासकीय महाविद्यालय खरसिया में अतिरिक्त कक्ष निर्माण 46 लाख । नागार्जुन विज्ञान स्नात्कोत्तर महाविद्यालय रायपुर में डोम शेड 80 लाख। इन सब कार्यों के लिए 3 करोड़, 26 लाख का प्रावधान किया गया है । पॉलीटेक्नीक भवनों का निर्माण, शासकीय पॉलीटेक्नीक महासमुंद में संस्था

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

भवन और आंतरिक सड़क निर्माण के लिए 34 लाख, कन्या पॉलीटेक्नीक राजनांदगांव के छात्रावास में बाउंड्री निर्माण 20 लाख पॉलीटेक्नीक दुर्ग के सामने में विशेष मरम्मत के लिए 73 लाख, सभी कार्यों के लिए 01 करोड़ 27 लाख का प्रावधान किया गया है। अस्पताल औषधालय भवनों के निर्माण में गरियाबंद के सौ बिस्तर अस्पताल। नवीन भवन निर्माण 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 9 उप स्वास्थ्य केन्द्र 52 लाख का प्रावधान किया गया है। 5 प्राथमिक स्वास्थ्य भवन निर्माण 62 लाख 50 हजार का प्रावधान । दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण के लिए 96 लाख का प्रावधान। उच्च न्यायालय हेतु आवासीय परिसर का निर्माण। माननीय उच्च न्यायालय परिसर बोदरी बिलासपुर में 9 नग भवन का निर्माण का प्रावधान। न्याय प्रशासन के आवास गृह का निर्माण। इसके लिए न्यायिक अधिकारी और कर्मचारियों के लिए 1237 आवासीय भवन निर्माण का कुल लागत 238 करोड़ 55 लाख अनुमानित है। इस हेतु 70 करोड़ का प्रावधान किया गया है। समाज कल्याण संस्थाओं का एकीकृत परिसर माना कैंप, रायपुर स्थित समाज कल्याण परिसर के भवनों के निर्माण लागत 2 करोड़ 50 लाख का व्यय संभावित है। दिव्यांगजनों के लिए जिला नि:शक्तजन पुनर्वास केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु 2 भवनों के निर्माण लागत 80 लाख प्रति भवन पर 40 लाख पर व्यय संभावित है। इस वर्ष इन सभी कार्यों हेतु 90 लाख का प्रावधान किया गया है। महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोनी, बिलासपुर में बाउण्ड्री वॉल निर्माण हेतु 26 लाख, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिलाई में बाउण्ड्री वॉल निर्माण 26 लाख, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डोण्डीलोहारा, लैलूंगा एवं तिल्दा में 50 सीटर छात्रावास निर्माण हेतु 1 करोड़ 15 लाख व्यय संभावित है। इन सभी कार्यों हेतु 1 करोड़ 67 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। आदिम जाति कल्याण विभाग की योजनाएं, विभाग द्वारा बजट में सम्मिलित अनुसूचित जनजाति उप योजना एवं अनुसूचित जाति उप योजना अंतर्गत निर्माण कार्यों का भी संपादन किया जाता है। वर्ष 2019-20 के लिए निम्नलिखित मांग संख्या में नये कार्यों का प्रावधान किया गया है। इस योजना के लिए अनुसूचित जनजाति उप योजना सड़क पुल के लिए 1 लाख 7 करोड़ 42 लाख 50 हजार का प्रावधान किया गया है। इनमें से नये कार्यों के लिए प्रावधान निम्नानुसार है। जवाहर सेतु योजना । जवाहर सेतु योजना अंतर्गत 54 पुल निर्माण, कुल अनुमानित लागत 196 करोड़ हेतु 39 करोड़ 57 लाख 50 हजार का प्रावधान किया गया है। राज्यों के राज्यमार्ग। दो राज्य मार्ग लंबाई 38 किलोमीटर अनुमानित लागत साढ़े 15 करोड़ के निर्माण एवं उन्नयन हेतु 3 करोड़ 87 लाख 50 हजार का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम अंतर्गत 90 ग्रामीण मार्ग लंबाई 373 किलोमीटर कुल अनुमानित लागत 278.50 करोड़ के निर्माण एवं उन्नयन हेतु 69 करोड़ 62 लाख 50 हजार का प्रावधान किया गया है। मुख्य जिला सड़कें। मुख्य जिला सड़कों के निर्माण अंतर्गत 5 मार्ग लंबाई 60 किलोमीटर, कुल अनुमानित लागत 37.30 करोड़। इसके लिए 9 करोड़ 32 लाख 50

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हजार का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजाति उप योजना में भवन कार्य, इसके लिए 132 करोड़ 27 लाख 24 हजार का प्रावधान किया गया है। इनमें से नये कार्यों के लिए माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण 45 हाई स्कूल भवनों का निर्माण, इसके लिए 6 करोड़ 30 लाख। 20 हायर सेकण्डरी स्कूल भवन निर्माण, इसके लिए 6 करोड़ का व्यय संभावित है। इन सभी कार्यों के लिए 12 करोड़ 30 लाख का प्रावधान किया गया है। इंजीनयरिंग तकनीकी महाविद्यालय इसके भवनों के निर्माण के लिए शासकीय इंजीनयरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर में संस्था के इलेक्ट्रिकल विभाग के इलेक्ट्रो मशीन लैब और पावर प्रोडक्ट रूम निर्माण 78 लाख। शासकीय महाविद्यालय जगदलपुर के कर्मशाला भवन में नवीनीकरण कार्य के लिए 01 करोड़, इन सभी कार्यों के लिए 01 करोड़ 78 लाख का प्रावधान किया गया है।

उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण, 5 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण के लिए 83 लाख 80 हजार रूपये का प्रावधान है। 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण के लिए 50 लाख का प्रावधान है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन- 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण के लिए 96 लाख का प्रावधान किया गया है। गनोरा जशपुर, दुलदुला जशपुर एवं बतौली सरगुजा में नवीन आई0टी0आई0 के भवन निर्माण के लिए 01 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।

अनुसूचित जाति उपयोजना में सड़क, पुल, भवन कार्य निर्माण के लिए कुल 358 करोड़ का प्रावधान है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको पटल पर रखवा लें। पढ़ा हुआ मान ले।

श्री ताम्रध्वज साहू :- जो परिपाटी सदन की है, मैं उसी के अनुसार पढ़ रहा हूँ। आप भी पढ़ते रहे हैं, मैं भी वहां बैठकर सुनते रहा हूँ। पटल पर रख भी देंगे, जरा सुनिये। इतनी जल्दी क्यों निराश हो रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी, निराश नहीं हो रहे हैं। प्रिन्ट होने के अलावा कोई नई चीजों की घोषणाएं करें तो हम सुनेंगे। आप बाकी चीजें पटल पर रख देंगे तो हम उसको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अगर आप लोग 15 साल के कार्यकाल में जो प्रतिवेदन दिए थे, उसको बिलकुल नहीं पढ़े, सीधा पटल पर रखे, सिर्फ नई बात रखे तो मैं भी वही प्रक्रिया करने को तैयार हूँ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ऐसा है, हम लोग 15 प्रतिशत पढ़ते थे।

श्री ताम्रध्वज साहू :- 15 परसेंट की बात नहीं है। पर आप जो बोल रहे हैं वह आपने किया है तो मैं तैयार हूँ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम लोग 15 परसेंट पढ़ते थे और 85 परसेंट अपनी बात कहते थे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री ताम्रध्वज साहू :- 85 परसेंट, 1 परसेंट की बात नहीं है। आप जो कह रहे हैं, वह प्रक्रिया आपने किया है तो मैं पटल पर रखने को तैयार हूं।

श्री मोहन मरकाम :- सुनने की आदत तो डालिये साहब।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 15 परसेंट पटल पर तो आ ही गया है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अगर आपने किया है तो मैं तैयार हूं। मैं नई परिपाटी बिलकुल लागू नहीं करूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, कुछ तड़कता-फड़कता कुछ भाषण दो, इतना जोरदार गृह विभाग है, धर्मस्व संस्कृति है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- वह सब बोलूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- वैसा कुछ भाषण दो न, आप पढ़े जा रहे हो। जिसमें सबको रूचि हो।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सब बोलूंगा, आप बैठो तो सही। आप सुनो तो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- थोड़ा नींद-वींद भाग जाए, मजा आए, इसको जेल में डालेंगे, एस0आई0टी0 बनायेंगे, इसको निलंबित करेंगे या लाठी चलायेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- सट्टा होगा, जुआ पकड़ा नहीं जायेगा, अवैध दारू पूरी मिलेगी, जनता को शांति सुख रहेगा, ऐसा बोलिये।

श्री ताम्रध्वज साहू :- दो एस0आई0टी0 से इतना घबरा गए। मैं और जोर से बोलूंगा तो पता नहीं क्या होगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- अच्छा, एक एस0आई0टी0 आप गठित कर दो।

श्री ताम्रध्वज साहू :- बिलकुल। शिवरतन शर्मा को कब-कब बोलना है, नहीं बोलना है, उसके लिए एक एस0आई0टी0।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी खत्म कर रहा हूँ, चिंता मत करो। अनुसूचित जाति उपयोजना, इस योजना के लिए 358 करोड़ 58 लाख का प्रावधान किया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी बहुत आनंद ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आपकी बातों का आनंद ले रहा हूँ। (हंसी)

श्री ताम्रध्वज साहू :- इसमें 3 पुल निर्माण के लिए 29.70 करोड़ अनुमानित लागत है। इस हेतु 7 करोड़ 42 लाख 50 हजार का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 49 मार्ग, जिसकी लंबाई 224 किलोमीटर है। अनुमानित लागत 135.60 करोड़ है। इसके लिए 33 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं गृह विभाग की ओर आता हूँ। जिसकी जैसी, क्या बोलूं, प्रवृति, स्थिति, आवाज, उसके अनुसार वह जोर से बोलता है। तो मेरी आवाज जरा धीरे है, संयमित और कम बोलता हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तै हर हमर मन के सियान हस, ओला हमन मानथन।

श्री ताम्रध्वज साहू :- इसलिए तड़कतेधार, फड़कतेधार...।

श्री शिवरतन शर्मा :- पुलिस विभाग को नियंत्रित करना है न, तो आवाज में कड़क होनी चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है कि वह सब ठीक है। वह भी मान लेंगे। लेकिन कुछ, कुछ वाला जो विषय है न, आ ही नहीं रहा है। इसलिए सबकी पीड़ा है। कुछ आ ही नहीं रहा है न, वह तो टेबल में है। लेकिन अब क्या बोले।

श्री ताम्रध्वज साहू :- बैठो, आप जो सुनना चाहते हो, मैं वही बोल रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह विभाग के बजट पर चर्चा करना चाहता हूँ। गृह विभाग के विषय में बहुत सारी बातें आईं। फड़कतेदार की भी बात आई, धमाकेदार की भी बात आई। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विभाग मिलने के बाद जब मैं वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। उसके बाद जब पूरे प्रदेश के सभी आई0पी0एस0 अधिकारियों को बुलाकर बैठक लिया तो मैंने एक बात कहा, धीरे-धीरे कोशिश करूंगा और वह बात है अपराधियों के लिए पुलिस के मन में डर हो, जनता के मन में पुलिस के लिए सम्मान हो। मैंने ये दो बातें पुलिस के अधिकारियों को पहली बैठक में कहा है। कोशिश करूंगा कि अपने कार्यकाल में इस पर जितना ज्यादा इस पर काम किया जा सके और हम प्रयास भी कर रहे हैं कि उस पर काम हो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपका कार्यकाल कब तक रहेगा ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- जब तक रहेगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जब तक चाहेंगे तब तक ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- अभी बोल रहा हूं, तब तक तो है और उस तक के लिए जिम्मेदारी से बोल रहा हूं । मैंने कल भी कहा कि मैं कल की चिन्ता नहीं करता, आज जो है, वह करता हूं और इसलिए मेरे लिए कोई चिन्ता न करे, यह मैंने कल भी कहा और फिर से कह रहा हूं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- चिन्ता नहीं करते, हम आपके लिए कामना करते हैं । चिन्ता और कामना में अंतर है । हमारी कामना है कि आप यहां आ जाएं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- क्या कामना करते हैं ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- हम कामना करते हैं कि एयरपोर्ट से आपको वापस बुला लिया गया, वैसी घटना आपके साथ मत हो ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- मुझे किसी ने न एयरपोर्ट से वापस बुलाया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- समाचार-पत्रों की विश्वसनीयता, सोशल मीडिया को आप मानते हैं कि नहीं मानते ? ये बताइए ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- मैं सबकी विश्वसनीयता को मानता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह दुर्घटना मत घटे, आपको फिर से एयरपोर्ट से वापस मत बुलाया जाये, ऐसी कामना करते हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- फटाका फूटने और मिठाई बंटने के बाद पीछे न हटना पड़े, हम यही कामना करते हैं ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- मैं उनसे ज्यादा अजय चन्द्राकर जी, शिवतरन शर्मा और बृजमोहन अग्रवाल जी की बातों पर विश्वास करता हूं क्योंकि कुछ कहना होता है तो आप ही लोग तो मुझे सीखाते हो कि ऐसा भी बोला जाए क्योंकि जब मैं 10 साल वहां था, आप लोग इधर थे तो आप ही लोग तो चिट देते थे कि ऐसा बोलना है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग की मांग संख्या-3 गृह विभाग से संबंधित....

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं चिट नहीं देता था साहब, सामने संसदीय कार्यमंत्री बैठे हैं, पूछ लीजिए। मैं आग्रह करता था कि मेरे विभाग में बोलिए करके, पूछ लीजिए । ऐसा किसी के खिलाफ चिट नहीं देता था ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- मैं कहां कह रहा हूं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- सामने बैठे हैं, पूछ लीजिए ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, 2019-20 के वार्षिक बजट में प्रावधानित राशि के संबंध में हुई अनुदान मांगों की चर्चा का जवाब प्रस्तुत कर रहा हूं । हम लोग गृह विभाग में एक प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस विभाग की छवि निखरे । लोगों के मन में पुलिस के प्रति विश्वास हो, सम्मान बढ़े और काम कुछ ऐसा करें, जहां लगे की कानून का राज है और महिलाओं, बच्चों के प्रति जो अपराध होते हैं, उस पर हम कैसे रोक लगा सके । हमारी सरकार महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहतर पुलिस अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार के लिए संकल्पित है और इस हेतु हमने गृह विभाग के वित्तीय वर्ष 2019-20 में 4291 करोड़, 21 लाख का जो बजट प्रावधान किया है और उसमें मुख्य बजट की प्रावधानित राशि की तुलना में 197 करोड़ अधिक है । अजय जी, 197 करोड़ अधिक है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- परम आदरणीय भैया जी, जहां पर मैं आपको पीडब्ल्यूडी में पूछा था, वहां पर तो सिर पीछे कर दिए ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- कोई जरूरी है कि आप जो कहो, वह मैं बोलूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसको तो मैं पूछा ही नहीं हूं तो क्यों बता रहे हो ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- नहीं पूछोगे, उसी को तो बताऊंगा न ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय गृहमंत्री जी, एक सौ कुछ करोड़ रूपए अधिक बता रहे हो । 75 हजार पुलिस के कर्मचारी हैं और उसके कल्याण की बात आपने की थी ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- मैं अभी बता रहा हूं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अभी तो बात चल रही है, आखरी तो होने दो।

श्री शिवरतन शर्मा :- 45 करोड़ में कितना उसके हिस्से में आएगा, ये तो बता दो ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अभी तो आप सुनो । माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कभी शेरा-शायरी आता नहीं था, लेकिन कभी-कभी इधर से बोलते देखता हूं तो लगता है कि मुझे भी अजय चन्द्राकर जी को सुनाकर बोलना चाहिए, अजय जी, फड़कतेदार बात को तो सुनो :-

है मेरा मकसद, हर मुंख पर मुस्कुराहट हो ।
अंधेरे वाले घरों में भी अब सजावट हो ।।
रात में जो खड़ा चौराहे पर मुस्तैद पहनकर वर्दी ।
खिले रहें उसके चेहरे, परिवार में भी खिलखिलाहट हो ।।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, आपने बहुत अच्छी शायरी सुनाई कि चौराहे में खड़े सिपाही के मन में भी खिलखिलाहट हो । उसके चेहरे में खिलखिलाहट लाने के लिए क्या कर रहे हो, ये तो बताओ । 45 करोड़ में खिलखिलाहट नहीं आ सकती, ये ऊंट के मुंह में जीरा है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अभी तो आप सुनने का साहस तो करो । अभी आगे सुना रहा हूं, अभी पांच साल लगातार सुनाऊंगा, आप चिन्ता मत करो। अभी तो ये दो महीने का है । अभी तो पांच साल सुनोगे ।

श्री मोहन मरकाम :- सुनने का साहस तो रखिए साहब ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अभी आप सुनने का साहस तो करो । अभी आगे सुना रहा हूॅ। पांच साल लगातार सुनाउंगा, चिन्ता मत करो । अभी तो दो महीने का है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री मोहन मरकाम :- अभी सुनने का साहस तो रखिये ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- मेरे विभाग का पांच साल । फिर..।

श्री अजय चन्द्राकर :- बड़े भईया, आप सुना कहां रहे हो ? आप पढ़ रहे हो । यही तो हम कह रहे हैं कि आप सुनाइये ।

श्री ताम्रध्वज साहू :-सुना तो रहे हो ना ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप पढ़ रहे हो, आप सुना नहीं रहे हो ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- पढ़कर ही कोई सुनाता है । आप बोल रहे थे कि मैं रात को दिनकर पढ़ रहा था । पढने के बाद ही तो यहां सुना रहे थे ना कि बिना पढ़े सुनाये । बिना पढ़े सुनाये हो तो बताओ ? आपका सदन में वक्तव्य है कि रात को दिनकर पढ़ रहा था, वो पढ़ रहा था, ये पढ़ रहा था, पढ़कर ही तो यहां सुना रहे थे ना ? चलिये। अध्यक्ष महोदय, इस साल हमने जिला पुलिस बल को रिस्पांस भत्ता देना नया प्रारंभ किया है । मौके पर पहुंचने के लिए, सायकल बहुत पुराना था, इसलिए हम लोगों ने प्रावधान किया । उसके लिए प्रधान आरक्षक को 1000 रूपया, सहायक पुलिस निरीक्षक से निरीक्षक स्तर तक 1200 रूपये, इसके लिए 45 करोड़ का प्रावधान किया गया है । पुलिस कल्याण के लिए, उनके बच्चे, कर्मचारियों, अध्ययनरत बच्चों की शिक्षा के लिए पिछले बार सवा करोड़ रूपये का प्रावधान था, इस बार बढ़ाकर हम लोगों ने 3 करोड़ किया है । इसी प्रकार पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को गंभीर बीमारियों में जो अतिरिक्त सहायता देते हैं, पिछले बार 1.75 करोड़ था, उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 4 करोड़ किया है । इसमें हम लोगों ने हर चीज के लिए, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों के लिए बढ़ाया है । अध्यक्ष महोदय, तनाव प्रबंधन के लिए उचित व्यवस्था, जैसे कि अजय जी के लिए मैं लाईन ला रहा हूँ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मोर तो वृन्दावन बिहारी लाल की जय बोल दे हस ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- आप मांगों तो दूं, इसीलिए तो बार-बार बोल रहा हूँ। यह तो अलग से ले डाले हैं, पहले से ।

श्री अजय चन्द्राकर :-आप वह 68 लोगों को दे देते, 1 करोड़ से 2 करोड़ करवाकर सिर्फ ताली बजवा रहे हो ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- थाने में ओपन जिम की व्यवस्था कर रहे हैं । आप अपने भवन में जिम की व्यवस्था किये थे, इसलिए आपको बता रहा हूँ । थाने में हम लोग ओपन जिम की व्यवस्था कर रहे हैं, इसके लिए 2 करोड़ का प्रावधान कर रहे हैं..।

श्री धर्मजीतसिंह :- उसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए ना ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- मैं नहीं कह रहा हूँ, आप फिर उसको शुरू करवा रहे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हो । सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, गंभीर प्रकरणों की अनुसंधान की गुणवत्ता बनी रहे, उसके लिए सम्माननीय अध्यक्ष महोदय पुलिस महकमा में अनेक सारी योजनायें है, कार्यक्रम है, कार्य करना पड़ता है, अलग-अलग चीजों की जरूरत पड़ती है । उसके लिए प्रदेश के तीन बड़े जिले रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में, प्रयोग के तौर पर, पृथक अनुसंधान इकाई का गठन करना हम लोग चाह रहे हैं । उसके लिए 17 शहरी थानों में इकाई गठित करने के लिए 450 अतिरिक्त पदों का सृजन किया जायेगा । इसके लिए जल्दी से जल्दी प्रकरणों का निराकरण करने में सुविधा मिलेगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार गुमशुदा बच्चों को खोजने के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर इस प्रयोजन के लिए अलग सेल गठित करने का निर्णय लिया है । उसके लिए 216 पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है । पिछले वर्ष हर चीज में बजट भी हमने बढ़ाया है । एक नया ईकाई का भी गठन कर रहे हैं । सेल भी बना रहे हैं । क्राइम पर रोक लगाने के लिए अलग-अलग उपाय भी किये जा रहे हैं । उसके लिए सेट अप भी तैयार किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, साईबर क्राइम के संबंध में कहना चाहूंगा कि आजकल अपराधियों की लगातार सूचना प्रौद्योगिकी के कारण से वृद्धि हो रही है । अपराधी भी ज्यादातर आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं । इसलिए हमने प्रत्येक जिलों में सायबर अपराधों से निपटने के लिए सायबर पुलिस के गठन का निर्णय लिया है । इस हेतु हमने 192 पदों के सृजन का प्रावधान बजट में रखा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यातायात प्रबंधन में भी हम सुधार चाहते हैं । सड़क उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्येश्य से सड़क सुरक्षा कोष का भी गठन कर रहे हैं । अभी इसको 11 जिलों में हम कर रहे हैं । क्रमश: गरियाबंद, बालोद, मुंगेली, कोरिया, जशपुर, कोण्डागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, हेतु 200 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान रखा गया है । महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के अनुसंधान हेतु विशेष इकाई का हम गठन करने जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल के विशेष निर्देश पर प्रदेश में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण बने, मुझे सदन को बताते हुए यह खुशी हो रही है कि प्रदेश के 22 जिलों में एक विशिष्ट महिला अपराध अनुसंधान इकाई गठित करने का निर्णय हमने लिया है। प्रत्येक जिले में 15 पुलिस अधिकारियों की यह इकाई महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों की विवेचना करेगी। इस प्रयोजन हेतु हमारी सरकार ने 330 नये पदों के श्रृजन का प्रावधान इस बजट में किया है। अध्यक्ष महोदय, हम नये थाना और चौकी का भी श्रृजन करने जा रहे हैं। जिला नारायणपुर में पुलिस द्वारा सोनपुर, कोहकामेटा में नये सुरक्षा कैंप खोले गये हैं। परंतु आम लोगों की समस्या सुनने एवं आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए हमारी सरकार ने यहां थाना स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। हमने जिला बस्तर की पुलिस चौकी बस्तर को थाना में उन्नयन करने, जिला-दुर्ग के जामगांव (आर) एवं जिला रायगढ़ के केडार में नया थाना खोलने का निर्णय लिया है। इस प्रकार चार नये थाना एवं चौकी का थाने में उननयन के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लिए कुल 325 पदों का प्रावधान बजट में किया गया है। हम पुलिस दूरसंचार को बेहतर करेंगे। महोदय, अपराध संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए हम लोग कुछ कमी महसूस कर रहे थे। कई नए थाने बने परंतु दूरसंचार के बल में वृद्धि नहीं हो रही थी इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि समस्त थानों में एक पुलिस कर्मी को पदस्थ करें और इसके लिए 468 नवीन पदों के श्रृजन का प्रावधान इस बजट में हम लोगों ने किया है। थानों में साफ-सफाई करने के लिए कलेक्टर दर पर सफाई कर्मचारियों के 100 नवीन पद का श्रृजन किया गया है। इसके अलावा हथियार, विस्फोटक के संग्रहण के लिए आर्म्स शाखा में 16 नये पदों का श्रृजन, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनात जवानों के लिए बुलेटप्रूफ 500 जैकेट खरीदने के लिए 5 करोड़ रूपये का प्रावधान, नाईट विजन डिवाईस के लिए चार करोड़ रूपये का प्रावधान, साईबर भवन का निर्माण करने के लिए 6.25 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। हमारे पुलिस के लोग जब अचानक जाते हैं तो उनके लिए कहीं भी ठहरने की व्यवस्था नहीं होती तो जिला कोंडागांव, बीजापुर, सुकमा, नारायणर, बलरामपुर, रामानुजगंज में 50-50 पुलिसकर्मियों के लिए ट्रांजिस्ट हॉस्टल का निर्माण करायेंगे, उसके लिए 2 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। वी.आई.पी. वाहनी के भवन के लिए 1 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। थानों में अतिरिक्त सुविधाएं देने के लिए फोटोकापी, फैक्स मशीन आदि के लिए 02 करोड़ 14 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। पुलिस अधिकारियों के लिए कानून से संबंधित पुस्तकों के क्रय के लिए भी 1 करोड़ 05 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये सब पुलिस कल्याण के अंतर्गत है, 45 करोड़ के अंदर है या अलग से है?

श्री ताम्रध्वज साहू :- यह अलग से है। हमने जिला इकाईयों के लिए फर्नीचर उपकरण का बताया ये सभी चीज है। माननीय धर्मजीत सिंह जी ने एक बात थाने परिसीमन के संबंध में उठाई और चिटफंड कमेटी की भी एक दो बातें आई थीं, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मैं जब आई.पी.एस. की बैठक लिया तो उस समय पूरे प्रदेश में समस्त आई.पी.एस. को निर्देशित कर दिया गया है कि पूरे प्रदेश में समस्त थानों एवं चौकियों का परिसीमन कर लिया जाए। चौकी के नजदीक का गांव 10-20 किलोमीटर दूर के थाने के क्षेत्र में है तो व्यावहारिक जो कठिनाई आती है, और ये भी निर्देश दिया गया है कि यदि अनावश्यक थाने और चौकी नजदीक-नजदीक हों तो यदि उसे बंद करने की आवश्यकता हो तो बंद करें और जहां खोलना जरूरी हो वहां खोलें। जैसे माननीय चौबे जी अपने लिटिया चौकी को बंद करने के लिए कह रहे हैं तो वह लिख लिये हैं और उनका कहना है कि लिटिया चौकी बंद किया जाए तो वह बंद कर दिया जायेगा। तो इस प्रकार से आपने जो कहा वह पहले ही निर्देशित है। जहां तक पुलिस वेलफेयर की बात है, हम लोग पुलिस वेलफेयर के लिए जो फंड देते हैं उसके अलावा कुछ जिलों में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पुलिस पेट्रोल पंप है। हम लोगों ने चर्चा करके निर्णय लिया है कि हर जिले में पुलिस पेट्रोल पंप की स्थापना करें, एच.पी. वाले आये थे उनसे बात किये हैं, उनसे जो आय होती है वह उस जिले में बजट के अलावा लगभग 1 करोड़ रूपये की राशि उसमें आती है। तो मुझे लगता है कि वह राशि पुलिस के गरीब बच्चों की पढाई, बीमारी के इलाज आदि में काम आ सकता है। तो बेहतर होगा कि हम हर जिले में पुलिस पेट्रोल पंप की स्वीकृति करा लें। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात कर लिया हूं, हमारे विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा कर लिया हूं और पेट्रोलियम विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा की गई है। पेट्रोलियम विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा किया गया है। चिटफंड कंपनी की बाद आप लोगों ने जो कही है, बीच-बीच में आया है, सबको मालूम है कि उसके लिए कमेटी बना दी गई है। पूरे प्रदेश में जितनी भी कंपनियां, जितने एजेंट, जितने निवेशक, जितने अरब रूपये उनके जमा, उनकी संपत्ति वापसी कैसी हो, कमेटी सब जांच करके सुझाव देगी। उसके बाद उस पर निर्णय किया जायेगा। इसके बाद गृह विभाग के बाद, जेल विभाग है उस पर चर्चा करके आपके सामने बात रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था लाबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार स्वालपाहार ग्रहण करें।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जेल विभाग में मुख्य उद्देश्य बंदियों का सुरक्षित अभिरक्षा एवं व्यवस्थापन, बंदियों का स्वास्थ्य, बंदियों की शिक्षा, स्वस्थ, मनोरंजन, व्यावसायिक प्रशिक्षण और बंदी पुनर्वास। अभी बजट भाषण में जैसे कि कई विद्वान सदस्यों ने कहा ओभर क्राउडिंग की समस्या का उल्लेख किया, शासन ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे विभाग ने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। वर्तमान में 33 जेल है, अधिकृत बंदी आवास क्षमता 12063 है। 18 हजार बंदी यहां इस समय हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए भांठापारा, भानुप्रतापपुर में उप जेल निमार्णाधीन है। कोण्डागांव, प्रतापपुर, बलरामपुर में दो दो सौ बदी आवास क्षमता वाली उप जेल के निर्माण कार्य की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। रायपुर में विशेष जेल के निर्माण के लिए 15 करोड़ का बजट प्रावधान, बिलासपुर में 1500 बंदी क्षमता वाली विशेष जेल के निर्माण के लिए 35 करोड़, बेमेतरा में 200 बंदी क्षमता वाली खुली जेल के लिए 25 करोड़, की बजट प्रावधान की व्यवस्था हम लोगों ने की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके मांग संख्या 5 में जेलों के अंतर्गत 183 करोड़ 45 हजार का बजट प्रावधान किया गया है। इसके तहत नया रायपुर जेल मुख्यालय के लिए फर्नीचर 25 लाख, प्रदेश के समस्त जेलों में सी.सी.टी.वी. 1 करोड़, विडियों कांफ्रेसिंग सिस्टम 17 लाख 50 हजार, केन्द्रीय जेल जगदलपुर में सोलर लाईटिंग 50 लाख। नवीन मद मांग संख्या 67 में नवीन मद के रूप में बिलासपुर जेल, रायपुर जेल, बेमेतरा जेल, की बात मैंने आपके सामने रखी। जेल में जो भी कौशल विकास केन्द्र या अन्य कामों को, जो किया जाना है उसकी भी बात मैंने आपके सामने रखी है। इसके बाद अग्नि समन विभाग हमारा एक

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

छोटा सा विभाग है। अग्नि समन केन्द्र के निर्माण हेतु पूर्व में स्वीकृति दी गई है। वर्तमान बजट में 7 अग्नि समन केन्द्र के निर्माण हेतु 7 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। अग्नि समन केन्द्र का निर्माण होने से ....।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो माननीय मंत्री जी की प्रशंसा करना चाहता था ईमानदारी से, पर मेरा दिमाग 15 मिनट से थोड़ा बदल गया है। मैं अधिकारियों की बहुत खुलकर प्रशंसा करना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत अच्छा नोट बनाकर दिया।

अध्यक्ष महोदय :- स्वलपाहार की व्यवस्था है, आपने सुन लिया न। (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, हमर नारायण चंदेल जी पूछथे कि चोचोबोरो बर कतेक व्यवस्था हे ये बता दे।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष जी, चलिये कम से कम श्री अजय चंद्राकर जी, इस बात का मुझे आज प्रमाण पत्र दे दीजिए कि अधिकारी जो लिख के दिये हैं, उसे ही पढ़ रहा हूं। मैं अनपढ़ हूं, पढ़ा-लिखा नहीं हूं। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब पर्यटन संस्कृति और धर्मस्व धार्मिक न्यास पर आना चाहता हूं। अभी पर्यटन की क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। पर्यटन के क्षेत्र में, चलिये बिना देखे ही पढ़ देता हूं। पर्यटन, धर्मस्व धार्मिक न्यास, संस्कृति पुरातत्व, धर्मस्व, ये जो विभाग है। विभाग संभालने के बाद जब मैंने जानकारी ली, तो प्रदेश के अंदर सबसे छोटा विभाग या जिधर ध्यान न जाये इस तरह से ये विभाग है। अध्यक्ष जी, मैं पहले धर्मस्व पर चर्चा करता हूं। श्री अजय चंद्राकर जी की प्रशंसा भी करूंगा । वे संस्कृति पर बहुत सारी अच्छी बात कह रहे थे। मैंने उनसे कहा भी है कि मुझे और बतायेंगे। मैं धर्मस्व पर समझता हूँ कि मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को मीटिंग में भी कह दिया है, मैंने मंचों में भी कहा है और सदन में भी मैं जवाब दे रहा हूँ। पी.डब्ल्यू.डी., गृह, जेल चूंकि आंकड़ों से संबंधित था। मैं आंकड़े देखकर, पढ़कर बताया। क्योंकि सड़क का नाम याद नहीं रहेगा। इसलिए मुझे देखना पड़ेगा। कहीं 59 करोड़ है या 54 करोड़ है यह देखना पड़ेगा, यह लिखा है इसलिए मुझे उसको देखना पड़ेगा। मैं अब बिना देखे बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि धर्मस्व का मतलब, उसमें काम जो होना चाहिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंतर्गत जितने मंदिर हैं, जहां मेला लगता है निजी मंदिर चौक में बनाये हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। धर्मस्व विभाग में प्रदेश के अंदर जितने मंदिर हैं जहां मेला लगता है उसको चिन्हांकित किया जाना चाहिए। मैंने अपने विभाग के सचिव को कह दिया है आप सारे कलेक्टर को पत्र लिख दीजिए, पटवारी के माध्यम से और पंचायत के सचिव के माध्यम से जिला पंचायत सी.ई.ओ. को लिख दीजिए, जानकारी मंगवा लीजिए, जहां जिस गांव में मंदिर है जहां सार्वजनिक मेला लगता है पूरे साल में कितनी बार मेला लगता है, किस पर्व में मेला लगता है कौन बनाया है उसकी जीर्णशीर्ण अवस्था है ठीक अवस्था है, कितनी राशि खर्च करनी पड़ेगी? क्या उसको

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मेला के रूप में विकसित करने के लिए करना पड़ेगा ? मैं जानकारी मंगाने के लिए निर्देश कर दिया हूँ। धर्मस्व का कोई सेटअप नहीं है। कोई विभाग नहीं, कोई डायरोक्टोरेट नहीं, कुछ नहीं। हमारे एक प्रमुख सचिव है जिनके पास धर्मस्व का बजट जाता है वह दूसरों को काम करने के लिए देते हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की है कि एक अलग डायरोक्टोरेट बनाया जाए, अलग सेटअप तैयार किया जाए ताकि इन विभागों का काम आगे बढ़ सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये पूरे प्रदेश का कलेक्ट हो जाएगा तब वास्तविक बजट ये 8 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ का एक विभाग का बजट है, उससे ज्यादा बजट, हम इसी साल 100 करोड़ से ज्यादा का बजट बना रहे थे, लेकिन कलेक्शन नहीं हो पाया था। विभाग के पास कहीं संख्या नहीं थी, कहीं सूची नहीं थी। इसलिए हम वह नहीं कर पाये। इस बार जब पूरे मंदिरों की संख्या, जीर्ण शीर्ण अवस्था, मेला कहां लगता है कलेक्ट हो जाएगा तो निश्चित तौर पर धर्मस्व के क्षेत्र में जो काम प्रदेश में होना चाहिए। वह हम अगली बार जरूर पेश करना चाहेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, धार्मिक न्यास का मतलब, न्यास का मतलब ट्रस्ट होता है। हमारे प्रदेश में इतने मंदिर हैं जहां कोई निजी रूप से कमेटी बना लिया, समिति बना लिया, ट्रस्ट है सैकड़ों एकड़ जमीन लोगों ने, दानदाताओं ने दान दिया है उसका क्या उपयोग हो रहा है ? कोई देखने सुनने वाला नहीं है। कोई पीक उड़ा रहा है कोई खर्च कर रहा है, धार्मिक न्यास के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी इस प्रकार के मंदिर हैं ये सब पंजीबद्ध होना चाहिए। इसके लिए भी पत्र लिखने के निर्देश हो चुके हैं ये बजट सत्र के बाद हम लोग इस दिशा में काम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुरातत्व का जहां तक प्रश्न है संग्रहालय की बात भी आयी। मैं जब गया तो मुझे जानकारी दी गई, खनन किया गया। एक से एक पुरानी मूर्तियां निकली, संग्रहालय नहीं था। केन्द्र के लोग ले गये तो उसी दिन मैंने अधिकारियों से कहा कि तत्काल या तो नया रायपुर में जगह एलाट करवा लें या अगर पुरानी जगह में जगह हो तो तत्काल संग्रहालय का निर्माण करें, उसके लिए पूरा पैसा हमारे पास है। कोई कमी नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी, एक मिनट। मैं अध्यक्ष जी बोल नहीं पाया था। आप संग्रहालय की बात कर रहे हैं। वर्ष 1982 में बिलासपुर में संग्रहालय की स्थापना हुई है। वहां 98 मूर्तियां हैं। 2 शिलालेख हैं, लेकिन वह टाऊन हॉल के बरामदे में रखा हुआ है। उसके लिए आपने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि हम जमीन खोज रहे हैं। संग्रहालय के लिए बहुत बड़े जमीन की जरूरत नहीं है एकाध कोई भवन खाली कराकर ही उसको सुरक्षित रखिए। बहुत बेशकीमती मूर्तियां हैं। अगर वह चोरी हो गई या वह खराब हो जाएंगी, वह इस जीवन में नहीं आने वाली है। इसलिए ये जो मूर्तियां हैं धरोहर हैं इसकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर अभी कम से कम धर्मादा, धर्मस्व विभाग में इसको

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्राथमिकता दीजिए, उसमें बिलासपुर का है और बिलासपुर के रतनपुर मंदिर का आप पैसा बढ़ाईये आप सिर्फ 10 लाख रूपये दे रहे हैं, उसको 25 लाख की घोषणा कर दीजिए।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां भी ऐसी जानकारियां मिलेंगी। तुरंत उस पर कार्यवाही करेंगे, मंगायेंगे, सरंक्षित करेंगे, सुरक्षित करेंगे। कहीं उसके लिए कोई कमी का प्रश्न नहीं आएगा। हम संग्रहालय भी बनायेंगे। वहां भी रखेंगे और जहां भी खुदाई, खनन करने की जानकारी मिलेगी, जो पुराने लोग हैं जिनका अलग-अलग क्षेत्रों का अनुभव होगा, कहीं पर ऐसा नहीं है कि हमें जानकारी नहीं चाहिए। आप सब जितनी जानकारी देंगे, हम जानकारी लेंगे और उस दिशा में काम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने संस्कृति, धर्मस्व धार्मिक न्यास की बात कही। मैं पर्यटन के विषय में चर्चा करूं। मैं जल्दी समाप्त । पर्यटन के क्षेत्र में जहां-जहां भी अभी हमारे पर्यटन स्थल वर्तमान में चिन्हांकित हैं और जहां-जहां की मांग आ रही है, सभी को संकलित करके हम अधिकारियों को भेजेंगे, खुद जाना होगा तो जायेंगे, अगर हमारे विधायकगण वहां की जो जानकारी देंगे, उसको पर्यटन स्थल में विकसित करने के बाद देश के अन्यान्य भाग के लोग, विश्व के लोग देखने के लिए आएं, उसके लिए जो करना पड़ेगा, पुराने मंत्रियों का जो अनुभव होगा, मैं उनसे भी बैठकर चर्चा कर लूंगा, उनके अनुभव का लाभ लेने में मुझे कोई झिझक नहीं हैं। उनके साथ बैठ करके, चर्चा करके पर्यटन मोटल की जो बात कही गई, उसको टेन्डर दे करके अलग करने की बात, छत्तीसगढ़ होटल की बात, जितनी भी बातें हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, नये सिरे से अप्रैल के बाद हम लोग उसमें काम करेंगे। जरूरत पड़ी तो आपसे मीटिंग भी करेंगे, आपसे मिलेंगे भी, चर्चा भी करेंगे। आप जो सुझाव देंगे, क्योंकि आप प्रदेश के लिए सुझाव दे रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक घर के लिए किसी का कोई सुझाव नहीं है, इसलिए पूरा उस पर चर्चा की जायेगी, उसको पूरा समाहित किया जायेगा। पर्यटन के क्षेत्र में जो बेहतर किया जा सकता है, निश्चित किया जायेगा, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, संस्कृति के क्षेत्र की बात पर आना चाहूंगा। यह बार-बार कहा जाता है कि बाहर के लोगों को नहीं बुलाना। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि संस्कृति के आदान-प्रदान को बंद करने की बात हम लोगों ने कभी नहीं कही है। दूसरी प्रदेश की संस्कृति है, भरतनाट्यम का है, शास्त्रीय है, छत्तीसगढ़ की है, उसके लिए कहीं पर बात नहीं कही गई है। अनावश्यक खर्चे, तामझाम, दिखावा इस टाईप हम नहीं करेंगे, ये बात है। अभी हमारा संस्कृति विभाग मैदानी ईलाके तक केन्द्रित है। सरगुजा की, बस्तर की संस्कृति को सहेजने के लिए हमारा संस्कृति विभाग क्या कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संस्कृति विभाग में बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता है। माननीय अजय चन्द्राकर जी जब बोल रहे थे, इसलिए मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था, नोट कर रहा था और मैंने उनसे कहा भी है कि मैं जब मीटिंग कर लूंगा, सब तरफ से जो मैं चाहता हूं उसको कर लूंगा, फिर आपसे जरूर चर्चा करूंगा। आप

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

इसमें जितना ज्यादा सुझाव दे सकेंगे, देंगे, मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूंगा। छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिए जितना ज्यादा किया जा सकेगा, जितना कर सकेंगे, उसमें संभव प्रयास होगा, कोई कमी नहीं करने दी जायेगी। आप सबका जितना बेहतर सुझाव छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे ले जाने के लिए मिलेगा, उसमें कहीं ये नहीं सोचा जायेगा कि यह धर्मजीत जी कह रहे हैं या अजय चन्द्राकर जी कह रहे हैं, ये कहीं नहीं सोचा जायेगा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिए पूरा समावेश किया जायेगा। इसमें कहीं पर भी कोई कमी नहीं की जायेगी।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप एक पुण्य का काम तो कर दीजिए। रतनपुर के मंदिर को 10 लाख का 25 लाख बोल दीजिए न। आपके पास 2 करोड़ है। आप बोल ही दीजिए न, महामाया का पुण्य मिलेगा।

श्री ताम्रध्वज साहू :- मैं बोल रहा हूं न, उसमें आ रहा हूं। माननीय अजय चन्द्राकर जी ने जो सिरपुर के उत्खनन केन्द्र की बात कही है, उसका उत्खनन कार्य 2011 में पूर्ण किया जा चुका है। केन्द्र शासन से प्राप्त अनुमति के शर्तों के अनुरूप उत्खनित स्थलों तथा....।

श्री अजय चन्द्राकर :- सर, खुदाई के लिए कितने स्थल चिन्हित हैं, कितनी की खुदाई हो चुकी है, आपने कहा कि पूरी हो चुकी है, मैं कह रहा हूं कि पूरी नहीं हुई है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- नहीं, पूरी हो चुकी, मैंने अभी नहीं कहा।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने अभी कहा न कि पूरी हो चुकी है। अभी आपने क्या पढ़ा, रिकार्ड दिखवाईये न।

श्री ताम्रध्वज साहू :- उसकी जानकारी दे रहा था, खनन का कैसे पूरा हो जायेगा बोलूंगा, अभी तो खनन के विषय में कोई चर्चा ही नहीं किया हूं। पुरातत्व के विषय में मैंने इतना ही कहा कि जो-जो सग्रहालय नहीं बना है, इधर मुड़ा हूं। खनन पूरा हो चुका है, खनन के विषय में मैं ऐसा नहीं बोला हूं। इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा लक्ष्मण मंदिर परिसर में पुराअवशेषों के प्रदर्शन हेतु भवन का निर्माण करा लिया गया है। भवन की जहां भी और जरूरत पड़ेगी, उसके लिए निर्माण किया जायेगा। उसमें कहीं कोई कमी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, सिरपुर में अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है करके वहां पर संग्रहालय बनाना था, क्या उस पर कुछ व्यवस्था करेंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही कहा कि आपके द्वारा जो निर्देश होगा, सदस्यों के द्वारा जो जानकारी दी जायेगी, मैं सभी को मिला करके अधिक से अधिक जितना जल्दी हो सकेगा, जरूर विभाग करेगा। ग्रामीण पर्यटन केन्द्र की बात आई । जरूर ऐसा नाम आते जायेगा विधायकों से तो जरूर परीक्षण कराकर उस पर शामिल करेंगे । रोड साईड सरगांव वाली बात माननीय धर्मजीत जी ने कही है, मैं निश्चित तौर पर अन्य जो मोटल है उसको अभी करवा रहे हैं उसके तहत्

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उसको भी लेकर के सिरपुर के समग्र विकास के लिये सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित किया गया है ताकि पूरे सिरपुर अंचल का समग्र विकास पुरातत्व एवं हमारी धरोहर को सुरक्षित एवं व्यवस्थित रखने के उद्देश्य से किया जा सके । श्री सौरभ सिंह जी ने, प्रदेश के सभी जिलों में लीगल एण्ड क्लीनिक की स्थापना की जा चुकी है उसमें जिला विधिक प्राधिकरण से वकील की व्यवस्था भी कर दी गयी है, केंद्रीय जेल रायपुर और बिलासपुर में संबंधित जो चर्चा है, उसमें एक-एक नवीन ओवरक्राउडिंग की तो विशेष जेल बनाने का प्रावधान कर दिया गया है । बाकी जगह बता दिया भाटापारा, भानुप्रतापपुर, कोण्डागांव यहां पर बलरामपुर, यहां पर उप जेल का निर्माण चालू कर दिया गया है, चालू है, वर्ष 2019-20 में विभाग के मार्गों के मरम्मत, नवीनीकरण कार्यों के लिये भी संयुक्त प्रावधान किया गया है और बिलासपुर से उरगा वाली जो कारीडोर की बात बिलासपुर से बलौदा से पतौरा-उरगा तक जायेगा, लंबाई 77.40 किलोमीटर ।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह कौन सी रोड है इसी को थोड़ा सा बताईये न । मैं समझ नहीं पाया कि बिलासपुर से उरगा, कोई नया मार्ग बन रहा है कि इसी को आप जोड़ रहे हैं ? इसको जरा बता दीजियेगा क्योंकि इस प्रकार का मार्ग मैंने अभी तक देखा नहीं है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- इसी प्रकार रायपुर-धमतरी, एन.एच. की लंबाई 70 किलोमीटर का निर्माण एन.एच.आई. द्वारा मार्च 2017 से कराया जा रहा है । जिन-जिन बातों का उल्लेख विद्वान सदस्यों ने किया उनकी भी जानकारी मैंने प्रदान की और कोई चीज होगी तो उसको भी मुझे बतायेंगे तो उसकी भी जानकारी मैं लेकर के दे दूंगा । इस प्रकार से सभी विभागों के विषय में मैंने गृह और पीडब्ल्यूडी, जेल, हमारा अग्निशमन, पुरातत्व, धर्मस्व, धार्मिक न्यास, संस्कृति सभी विभागों के विषय में जो बजट प्रावधान किया गया है और उस पर माननीय सदस्यों के जो सुझाव आये उसको भी मैंने लिखा है और उनके उत्तर भी मैंने दिये हैं और उनको प्रदेश की जनता के हित में आवश्यकताएं भी मैंने बताई हैं और जो सुझाव आमंत्रित किये हैं उसको आगे आने वाले समय में पूरा करने की भी बात करेंगे । माननीय धर्मजीत सिंह जी ने जो मंदिर के मेला के लिये 10 लाख को 25 लाख करने की बात कही है, मैं राशि कितना है यह देख लेता हूं पर बढ़ाकर तुरंत इसी साल भेजूंगा । इस बात की घोषणा करता हूं कि वह 15 होगा कि 20 यह बात नहीं पर बढ़ाकर कर दिया जायेगा । (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि बजट को सर्वसम्मत पारित करें ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात जन घोषणा पत्र में पुलिसकर्मियों के लिये, पुलिस के जवानों के लिये, होमगार्ड तक के लिये जो कल्याण की बातें कही गयीं उसके लिये केवल 45 करोड़ की राशि दी गयी । माननीय विधायक और खासकर विपक्ष के विधायक और सत्तारूढ़ दल के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

विधायकों की अनुशंसा की पहली बार अवहेलना की गयी । कोई भी हमारे सुझाव और चीजों को स्थान बजट में नहीं दिया गया और पूंजीगत व्यय को कम करके इस प्रदेश को अंधेरे में ले जाने की कोशिश हुई और हमें हमारे उठाये किसी विषयों पर कोई गंभीरता नहीं दिखायी गयी इसके विरोध में हम सदन से बहिर्गमन करते हैं ।

समय :

4:54 बजे

बहिर्गमन

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के विरोध में

(माननीय सदस्य, श्री अजय चंद्राकर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

अध्यक्ष महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या- 24, 67, 76, 3, 4, 5, 51, 26 एवं 37 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं, मांगों पर मत लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या-24 लोक निर्माण कार्य - सड़कें और पुल के लिए-दो हजार सात सौ छप्पन करोड़, एक लाख, दस हजार रूपये,

मांग संख्या-67 लोक निर्माण कार्य - भवन के लिए-एक हजार तीन सौ बत्तीस करोड़, सात लाख, अट्ठारह हजार रूपये,

मांग संख्या-76 लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए - छ: सौ दस करोड़, बयानबे लाख रूपये,

मांग संख्या-3 पुलिस के लिए - चार हजार पांच सौ चार करोड़, पैंतालीस लाख, पंचानबे हजार रूपये,

मांग संख्या-4 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए-उनसठ करोड़, चौबीस लाख, अड़तालीस हजार रूपये,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या-5 जेल के लिए - एक सौ तिरासी करोड़, बांसठ लाख, पैंतालीस हजार रूपये,

मांग संख्या-51 धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिए-चौदह करोड़, चौवालीस लाख, पचास हजार रूपये,

मांग संख्या-26 संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय के लिए-चालीस करोड़, चौरानबे लाख, चार हजार रूपये तथा

मांग संख्या-37 पर्यटन के लिए-उनसठ करोड़ रूपये तक की राशि दी जाये ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(मेजो की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 15 फरवरी, 2019 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित ।

(4 बजकर 57 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 15 फरवरी 2019 (माघ 26, शक संवत् 1940) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

चन्द्र शेखर गंगराड़े

रायपुर (छत्तीसगढ़) **सचिव**

दिनांक : 14 फरवरी, 2019 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

पंचम विधान सभा **प्रथम सत्र**

गुरूवार, दिनांक 14 फरवरी, 2019

(माघ 25, शक सम्वत् 1940)

[अंक 10]